बैंकों का षड्यंत्र

{जहाँ कागज़ पर लिखा धन, असली संपत्ति छीन लेता है।}



"पूर्व प्रकाशित अध्ययन सामग्री का
पुनरीक्षण, एकीकृत एवं संक्षिप्त संस्करण
जून 2026"



लेखक ✍ ---
अप्पुन कुमार

बैंकों का षड्यंत्र

जहाँ कागज़ पर लिखा धन, असली संपत्ति छीन लेता है।

"पूर्व प्रकाशित अध्ययन सामग्री का पुनर्परीक्षण, एकीकृत एवं संक्षिप्त संस्करण"



अप्पुन कुमार

Founder & Director

Dharmdev Sah Samajik Kalyan

Sankalp Foundation

जिस व्यक्ति के पास धन है, वह कुलीन है, वह पण्डित, शास्त्रों का ज्ञाता और सभी गुणों को जानने वाला है। वह व्याख्याता और सुन्दर है, क्योंकि समस्त गुण स्वर्ण अर्थात् धन का ही आश्रय ग्रहण करते हैं ।

-------- **भर्तृहरि कृत नीतिशतकम्**

पुस्तक विवरण

शीर्षक: बैंकों का षड्यंत्र
लेखक: अप्पुन कुमार
भाषा: हिंदी
संस्करण: प्रथम संस्करण (2026)

प्रकाशन विवरण

प्रकाशक: स्व-प्रकाशित (Self Published)
प्रकाशन स्थिति: आगामी प्रकाशन (Forthcoming Publication)
ISBN: 978-93-5933-454-7

अस्वीकरण

यह पुस्तक केवल शैक्षणिक एवं जन-जागरूकता के उद्देश्य से तैयार की गई है। इसमें प्रस्तुत विचार लेखक के व्यक्तिगत अध्ययन, शोध, सार्वजनिक अभिलेखों, उपलब्ध दस्तावेजों एवं विभिन्न स्रोतों के विश्लेषण पर आधारित हैं। यह पुस्तक किसी भी प्रकार की कानूनी, वित्तीय या व्यावसायिक सलाह नहीं है।

संपर्क

ईमेल: appunk91@gmail.com

प्रस्तावना

पुस्तक लिखने की प्रेरणा

मुझे इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा उस क्षण मिली, जब मैंने समाज की एक कटु और असहज सच्चाई को बहुत निकट से देखा। एक ओर अरबपतियों के हज़ारों करोड़ रुपये के बैंक ऋण चुपचाप माफ कर दिए जाते हैं, और दूसरी ओर गरीब व मध्यम वर्ग के लोग मामूली कर्ज़ के बोझ तले दबकर अपना सब कुछ यहाँ तक कि जीवन भी हार बैठते हैं।

इस विडंबनापूर्ण स्थिति ने मेरे मन में एक बुनियादी प्रश्न खड़ा किया आख़िर सरकार और बैंकिंग व्यवस्था अमीरों के विशाल ऋण तो आसानी से माफ कर देती है, पर आम नागरिक के छोटे-छोटे कर्ज़ के लिए कोई राहत क्यों नहीं देती? क्या एक ही देश में दो प्रकार का न्याय चल रहा है?

भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को **विधि के समक्ष समानता** का अधिकार देता है। फिर भी बैंकिंग प्रणाली में यह दोहरी नीति क्यों दिखाई देती है? यह स्थिति न केवल सामाजिक और नैतिक दृष्टि से अन्यायपूर्ण है, बल्कि संवैधानिक मूल्यों के भी प्रतिकूल प्रतीत होती है।

जब मैंने इस विषय का गहन अध्ययन करना आरंभ किया, तो यह स्पष्ट होने लगा कि यह भेदभाव केवल आर्थिक कारणों तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक सुनियोजित तंत्र काम कर रहा है एक ऐसा तंत्र, जिसे साधारण भाषा में **बैंकों द्वारा रचित षड्यंत्र** कहा जा सकता है।

वास्तविकता का उद्घाटन :

अध्ययन के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ कि बैंकिंग व्यवस्था केवल धन के लेन-देन की संस्था नहीं है। यह एक जटिल और शक्तिशाली प्रणाली का हिस्सा है, जहाँ निर्णय हमेशा वही नहीं लेते जो सामने दिखाई देते हैं।

इसी छिपी हुई वास्तविकता को सामने लाने का प्रयास इस पुस्तक का उद्देश्य है। यहाँ यह समझाने की कोशिश की गई है कि “बैंक सिर्फ़ बैंक नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा हैं, जो चुनिंदा वर्गों को लाभ पहुँचाने और आम जनता को कर्ज़ के जाल में फँसाए रखने का काम करती है।”

यह विचार आरंभ में जटिल और असहज लग सकता है, किंतु इस पुस्तक में इसे सरल, संक्षिप्त और सहज भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, ताकि प्रत्येक पाठक इस व्यवस्था को समझ सके, उस पर प्रश्न उठा सके और आवश्यकता पड़ने पर उसके विरुद्ध खड़ा हो सके।

रुपये के वादे रुपया से भारी, पर छुपा है इनमें कर्ज़ की सवारी।
चमकती दुनिया ख्वाबों की मीत, मगर भीतर छिपा बैंकों का अतीत।।

इस पुस्तक का श्रेय और समर्पण

इस पुस्तक का श्रेय किसी भी व्यक्ति विशेष को देना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसका उद्देश्य व्यक्तिगत उपलब्धियों का बखान करना नहीं बल्कि **सामूहिक पीड़ा और संघर्ष** को आवाज़ देना है।

यह पुस्तक उन सभी **न्यायप्रिय और जागरूक नागरिकों** को समर्पित है, जो बैंकों के षड्यंत्र और उनके असंवैधानिक कृत्यों के खिलाफ अपने स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। यह उनके संघर्ष, साहस, और दृढ़ता का सम्मान है। तथा यह पुस्तक उन सभी लोगों के संघर्ष और बलिदान समर्पित है, जो इस असंवैधानिक और अमानवीय बैंकिंग व्यवस्था के शिकार हुए हैं।

- वह किसान जिसने अपनी मेहनत और सपनों को सींचा, लेकिन बैंक के कर्ज़ के दबाव में अपनी जान गंवा दी।
- वह छोटा व्यापारी जिसने परिवार का भविष्य बेहतर बनाने का सपना देखा, पर बैंक की वसूली नीति के कारण अपनी आजीविका खो दी।
- वह आम आदमी जिसने अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन का सपना देखा, लेकिन ब्याज के जाल में फँसकर अपने अधिकारों से वंचित रह गया।

"यह पुस्तक हर उस व्यक्ति को समर्पित है,
जिसने इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई, और हर उस व्यक्ति
की स्मृति को समर्पित है। जिन्होंने इस व्यवस्था की भेंट चढ़कर अपनी जान गंवाई।"

इस पुस्तक में आपको क्या-क्या जानकारी मिलेगी ?

यह पुस्तक एक गंभीर और संवेदनशील विषय को छूती है, जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों की भूमिका और उनके कामकाज से संबंधित है। यह पुस्तक उन पहलुओं को उजागर करती है, जो आमतौर पर आम जनता के सामने नहीं आते।

आजकल, आप समाचार में सुन रहे होंगे कि बहुत सी आम जनता और किसान बैंक ऋण की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि बैंकिंग व्यवस्था से इन लोगों की हत्या की जा रही है, जिसे आगे इस पुस्तक में समझाने का प्रयास किया गया है।

बैंकों का प्रभाव केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत भी

लेखक का परिचय



नाम : अप्पुन कुमार
वर्तमान स्थिति : विद्यार्थी
आयु : 20 वर्ष

मेरी शोध-यात्रा फरवरी 2024 में भारत की बैंकिंग एवं मुद्रा व्यवस्था के अध्ययन से प्रारंभ हुई। अध्ययन के दौरान मैंने दिनांक **26 अप्रैल 2024** को भारतीय रिज़र्व बैंक को अपना प्रथम सूचना का अधिकार (RTI) आवेदन (आवेदन संख्या **RBIND/R/E/24/02871**) प्रस्तुत किया। इसके पश्चात बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था से संबंधित विभिन्न विषयों पर भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्त मंत्रालय तथा अन्य सरकारी संस्थाओं के साथ निरंतर पत्राचार एवं अध्ययन किया। वर्तमान समय तक मेरे नाम से **85 RTI आवेदन** दर्ज हैं।

सितंबर 2024 में मैंने बैंकिंग एवं मुद्रा व्यवस्था पर आधारित अपनी पहली अध्ययन सामग्री **"बैंकों का षड्यंत्र (आम जनता की हत्या का प्रयास)"** शीर्षक से दो भागों में प्रकाशित की। इसके बाद निरंतर अध्ययन, प्राप्त तथ्यों तथा आत्ममूल्यांकन के आधार पर **जनवरी 2025** में इसका संशोधित एवं विस्तृत संस्करण तीन भागों में प्रकाशित किया।

बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित विभिन्न व्यावहारिक एवं विधिक समस्याओं के समाधान हेतु **अक्टूबर 2024** में मैंने जनसाधारण के लिए **15 प्रकार के आवेदन प्रारूप** निःशुल्क उपलब्ध कराए। तथा अपने अध्ययन के दौरान प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर मैंने बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित विषयों पर **30 अप्रैल 2025** तथा **18 जुलाई 2025** को **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** के समक्ष जनहित से संबंधित दो पत्र (PIL हेतु अभ्यावेदन) भी प्रस्तुत किए। समाजहित के कार्यों को संगठित एवं संस्थागत स्वरूप देने के उद्देश्य से **3 नवंबर 2025** को मैंने **Dharmdev Sah Samajik Kalyan Sankalp Foundation** की स्थापना की।

यह पुस्तक वर्ष **2024 से 2026** के दौरान लगभग दो वर्षों तक किए गए मेरे अध्ययन, शोध, सरकारी दस्तावेज़ों, तथा **पूर्व प्रकाशित अध्ययन सामग्री के पुनर्परीक्षण का संशोधित, परिष्कृत एवं एकीकृत संक्षिप्त संस्करण है।** इस संकलन का उद्देश्य किसी पूर्वाग्रह का समर्थन करना नहीं, बल्कि उपलब्ध दस्तावेज़ों, एवं सार्वजनिक अभिलेखों के आधार पर विषय का व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत करना है।

मैं यह स्वीकार करता हूँ कि **ज्ञान एक सतत विकसित होने वाली प्रक्रिया है।** अतः इस पुस्तक में प्रस्तुत विचार एवं निष्कर्ष उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेज़ों एवं मेरे अध्ययन पर आधारित हैं। यदि भविष्य में नए तथ्य, अभिलेख अथवा प्रमाण उपलब्ध होते हैं, तो उन्हें भी आगामी संस्करणों में समुचित स्थान दिया जाएगा।

— **अप्पुन कुमार**

विषय सूचि

अध्याय – 1

मुद्रा-प्रणाली

मुद्रा वह माध्यम है जिससे हम वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान करते हैं। यह किसी भी देश की आर्थिक प्रणाली का आधार होती है। मुद्रा का सबसे बड़ा काम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापना और विनिमय की प्रक्रिया को आसान बनाना है।

1.1.मुद्रा-प्रणाली कसौटी

मुद्रा-प्रणाली कसौटी मुद्रा का तीन प्रकार से वर्गीकरण करती है:

1.धातु मुद्रा

2.कागज मुद्रा

3.साख मुद्रा



1.**धातु-मुद्रा**

सोना, चांदी, निकल, तांबा आदि जैसी किसी भी धातु से बनी मुद्रा को धातु-मुद्रा कहते हैं। धातु-मुद्रा का आगे मानक मुद्रा, प्रतीक मुद्रा तथा सहायक मुद्रा के रूप में वर्गीकरण किया गया है।

(i) **मानक मुद्रा**

मानक मुद्रा "वह मुद्रा है जिसका मूल्य वस्तु के रूप में गैर-अमौद्रिक उद्देश्यों के लिए भी उतना ही है जितना की मुद्रा के रूप में उसका मूल्य है।" इस तरह की मुद्रा सिक्कों के रूप में होती है जिसका अंकित मूल्य उसके यथार्थ मूल्य अथवा धातु-मूल्य के बराबर होता है। इस तरह के सिक्कों का धारक चाहे तो उन्हें पिघलाकर धातु के रूप में अथवा मुद्रा के रूप में प्रयोग कर सकता है, क्योंकि सिक्कों में धातु का मूल्य उतना ही होता है जितना उनका मौद्रिक मूल्य है। इसलिए मानक मुद्रा को पूर्ण मूल्य मुद्रा भी कहते हैं।

(ii) **प्रतिक मुद्रा**

प्रतीक मुद्रा वह प्रतिनिधि मुद्रा है जिसका यथार्थ मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है। भारत में जो एक रुपये का सिक्का चल रहा है, वह प्रतीक सिक्का है। यदि उसे पिघलाया जाए, तो इसकी धातु एक रुपये में नहीं बिकेगी।

1.2.कागजी मुद्रा

कागज-मुद्रा से तात्पर्य कागज के बने विभिन्न अंकित मूल्य के नोटों से है जिसे देश का केन्द्रीय बैंक तथा/अथवा सरकार जारी करती है। कागज-मुद्रा को प्रतिनिधि कागज-मुद्रा, परिवर्तनीय कागज-मुद्रा, अपरिवर्तन कागज-मुद्रा और आदेश कागज-मुद्रा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

(i) **प्रतिनिधि कागज-मुद्रा**

प्रतिनिधि कागज-मुद्रा "वास्तव में पूर्ण-मूल्य सिक्कों अथवा उनके बराबर के स्वर्ण-बुलियन की मालगोदाम रसीद है जो प्रचलन में होती है।" इसे प्रतिनिधि पूर्ण-मूल्य मुद्रा भी कहते हैं क्योंकि यह सरकारी खजाने में रखे स्वर्ण सिक्कों अथवा बुलियन से पूर्णतया समर्थित होती है।







(ii) **परिवर्तनीय कागज मुद्रा**

परिवर्तनीय कागज-मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे मानक सिक्कों अथवा बुलियन के रूप में शत-प्रतिशत समर्थन प्राप्त नहीं होता। परन्तु कागज मुद्रा का धारक (holder) उसे मांग पर बुलियन अथवा सिक्कों में बदलवा सकता है। प्रतिनिधि और परिवर्तनीय कागज मुद्रा दोनों में इतना ही अन्तर होता है कि प्रतिनिधि कागज-मुद्रा को तो मानक सिक्कों अथवा बुलियन का पूर्ण समर्थन प्राप्त होता है जबकि परिवर्तनीय कागज मुद्रा को उनका पूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता।

(iii) **अपरिवर्तनीय कागज मुद्रा**

जिस कागज मुद्रा को मानक सिक्कों अथवा बुलियन का कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता और जिसे उनमें बदलवाया भी नहीं जा सकता उसे अपरिवर्तनीय कागज मुद्रा कहते हैं।

(iv) **आदेश या अधिदिष्ट-मुद्रा**

जो कागज-मुद्रा सरकार के आदेश पर प्रचलित होती है उसे आदेश मुद्रा कहते हैं। आदेश मुद्रा प्रतिनिधि अथवा प्रतीक मुद्रा है जो राज्य द्वारा निर्मित अथवा जारी की जाती है, परन्तु जिसे कानून द्वारा अपने अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु से नहीं बदला जा सकता। यह वैध मुद्रा होती है। भारत सरकार द्वारा जारी प्रतीक सिक्के आदेश मुद्रा हैं। आज कल व्यवहार में आदेश मुद्रा और अपरिवर्तनीय कागज मुद्रा में कोई भेद नहीं है।

1.3.स्वीकार्यता कसौटी

स्वीकार्यता कसौटी के आधार पर मुद्रा को वैध मुद्रा और अवैध मुद्रा में वर्गीकृत किया जा सकता है।

(1) **वैध मुद्रा** - वैध मुद्रा वह मुद्रा है जिसे सरकार तथा जनता दोनों ही भुगतान और ऋण चुकाने के साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। क्योंकि इसे सरकार की मंजूरी प्राप्त है, इसलिए लोगों को इस तरह की मुद्रा अनिवार्यतः स्वीकार करनी पड़ती है। किसी देश की सरकार और केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए नोट और सिक्के उस देश में अनिवार्य वैध मुद्रा होती है।

(2) **अवैध मुद्रा** - जिस मुद्रा को सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक की कानूनी मंजूरी प्राप्त नहीं होती उसे अवैध मुद्रा कहते हैं।

भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी **'मुद्रा'** की एक परिभाषा नहीं दी गई है बल्कि इसके गुणों को बताया गया है। **जैसे:** धन भुगतान का माध्यम है,विनिमय को सरल बनाने वाला एक साधन है। तथा यह मूल्य संग्रहण का साधन और मापन की इकाई है।

MANUAL ON FINANCIAL AND BANKING STATISTICS 2007
Part I – Financial Statistics,
Chapter I – Monetary Statistics P- 3

₹1 का करेंसी नोट एवं अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोट

₹1 का करेंसी नोट भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता, बल्कि इसे भारत सरकार स्वयं जारी करती है। तथा इस नोट पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं।

इसके विपरीत, ₹2 से लेकर ₹500 तक के सभी बैंक नोट भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। जिसकी गारंटी भारत सरकार देती है। उदाहरण के लिए, यहाँ ₹50 के बैंक नोट को देखें। जिस पर स्पष्ट रूप से लिखा है:

"मैं धारक को पचास रुपये अदा करने का वचन देता हूँ।"

इसके नीचे भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर हैं। यही वचन ₹2 से लेकर ₹500 तक के सभी बैंक नोटों पर अंकित मिलता है, जबकि ₹1 के करेंसी नोट पर ऐसा कोई वचन नहीं लिखा होता। इसका मतलब यह है कि यह 50 रुपये नहीं है, यह सिर्फ 50 रुपये की रसीद है, जिसे अगर आप भारतीय रिजर्व बैंक को देते तो 1933 से पहले वह आपको 50 चांदी के रुपये देता, लेकिन अब आपको यह नहीं मिलेगा।





सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 के धारा 2 (क) के अनुसार एक रुपया का नोट सिक्के की परिभाषा के अंतर्गत आता है। भारत सरकार 1 रुपये के नोट पर मुहर लगाती है/स्टाम्पिंग करती है एवं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर 1 रुपये के नोट के बराबर मुद्रा का भुगतान करने का वचन देते हैं। इसलिए, सरकार का सार्वभौम कार्य एक रुपये के करेंसी नोट को प्रिंट करना है जो अन्य सभी उच्च मूल्यवर्ग के बैंकनोटों, जो कि प्रॉमिसरी नोट हैं, को कानूनी स्वीकार्यता प्रदान करता है।

-Department of Economic Affairs

अध्याय – 2

भारत में करेंसी नोटों का प्रारंभिक स्वरूप

करेंसी नोट मूलतः एक वचन पत्र होते थे, जिसमें सरकार यह प्रतिबद्धता करती थी कि करेंसी नोट की अंकित राशि के बराबर मूल्य का सोना या चांदी का सिक्का धारक को मांगने पर प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार के नोटों को परिवर्तनीय मुद्रा कहा जाता था, क्योंकि धारक इसे बैंक में प्रस्तुत कर वास्तविक धातु प्राप्त कर सकता था।

(Source :- Paper Currency act 1861, Paper Currency act 1882,...)



Act No. XIX o. 1861.

IX. **ऐसे नोट कब जारी किए जा सकते हैं।**

प्रधान आयुक्त, आयुक्त, उप आयुक्त और एजेंट अपने-अपने "जारी करने वाले सर्किलों" में किसी व्यक्ति की मांग पर अपने-अपने सर्किलों में नियुक्त शहर या कस्बे में स्थापित ऐसे कार्यालय या कार्यालयों या जारी करने वाली एजेंसियों से **धारा III** के तहत निर्धारित मूल्यवर्ग के वचन पत्र जारी करेंगे, जो दस रुपये से कम राशि के नहीं होंगे निम्नलिखित शर्तों पर:

1. सबसे पहले भारत सरकार के चालू चांदी के सिक्के में इसकी राशि के बदले में।

या दूसरे मानक चांदी के बुलियन या विदेशी चांदी के सिक्के में इसकी राशि के बदले में, जो ऐसे मानक के अनुसार गणना की गई हो सिक्का बनाने के लिए उपयुक्त मानक चांदी के प्रति 1000 तोला पर 979 रुपये की दर से

- **भारतीय कागजी मुद्रा अधिनियम 1882** के **धारा 11** के अनुशार मुद्रा जारी करने वाला कार्यालय धारक के मांग पर करेंसी नोट के बदले (a) भारत सरकार के वर्तमान चांदी के सिक्के में देगा।

- **करेंसी और बैंक नोट्स एक्ट 1914 के** (3) करेंसी नोट रखने वाला व्यक्ति बैंक ऑफ इंग्लैंड में ऑफिस के घंटों के दौरान मांगने पर नोट की फेस वैल्यू के बराबर सोने के सिक्कों में पेमेंट पाने का हकदार होगा, जो उस समय यूनाइटेड किंगडम में लीगल टेंडर हो।
- **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की** 39. (1) रिज़र्व बैंक मांग किए जाने पर बैंक-नोटों और भारत सरकार के करेंसी नोटों के विनिमय में रुपए के सिक्के देगा और जो सिक्का भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 के अधीन वैध निविदा है उसके विनिमय में मांग किए जाने पर करेंसी नोट या बैंक-नोट देगा।

2.1. भारतीय कागज़ी मुद्रा का संक्षिप्त परिचय

भारत में वित्तीय लिखत और लेन-देन की प्रणाली का इतिहास प्राचीन काल से ही समृद्ध रहा है। 'हुंडियों' के रूप में प्रचलित इस वित्तीय प्रणाली ने व्यापार और लेन-देन को सुविधाजनक बनाया। हालांकि आधुनिक कागज़ी मुद्रा का आरंभ 18 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ।

इस अवधि में निजी और अर्ध-सरकारी बैंकों ने कागजी मुद्रा जारी करना शुरू किया। इनमें मुख्य रूप से प्रेसिडेंसी बैंक जैसे **बैंक ऑफ बंगाल (1806) बैंक ऑफ बॉम्बे (1840)** और **बैंक ऑफ मद्रास (1843)** शामिल थे। ये बैंक ब्रिटिश शासन के अधीन थे और इन्हें नोट जारी करने का अधिकार प्राप्त था। इन बैंकों द्वारा जारी मुद्रा का प्रयोग केवल उनके संबंधित क्षेत्रों में किया जाता था।

बैंक ऑफ हिन्दोस्तान (1770-1832) जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार (1773-1775) (जिसे वॉरन हेस्टिंग्स ने स्थापित किया) और **बंगाल बैंक (1784-1791)** ने कागजी मुद्रा जारी की। हालांकि, इनमें से अधिकांश नोट केवल सीमित समय और क्षेत्र में ही प्रचलन में रह पाए।

2.2. प्रारंभिक बैंकिंग संस्थान और भारतीय कागजी मुद्रा का विकास

भारत में प्रारंभिक कागजी मुद्रा जारी करने में **जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार (1773-1775)** अग्रणी था। यह राज्य प्रायोजित बैंक था, जिसमें स्थानीय विशेषज्ञों की भागीदारी थी और इसे सरकारी समर्थन प्राप्त था। बैंक सफल और लाभदायक होते हुए भी सरकार द्वारा बंद कर दिया गया जिससे इसका अस्तित्व अल्पकालिक रहा।

बैंक ऑफ हिन्दोस्तान (1770-1832) जिसे **एलेक्ज़ेंडर एजेंसी हाउस** द्वारा स्थापित किया गया था प्रारंभिक बैंकों में सबसे प्रमुख था। तीन बार जनता का विश्वास खोने के बावजूद यह लंबे समय तक बना रहा। अन्तः जब इसकी संस्थापक फर्म **मेसर्स एलेक्ज़ेंडर एंड**

कंपनी 1832 में वाणिज्यिक संकट का शिकार हुई, तो इसके साथ ही बैंक ऑफ हिन्दोस्तान भी बंद हो गया।

बैंक ऑफ बंगाल (1806) :- यह पहले **बैंक ऑफ कलकत्ता** के रूप में स्थापित हुआ और बाद में इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल रखा गया। इसकी स्थापना 50 लाख सिक्के रुपए की पूंजी के साथ हुई थी। इस बैंक को सरकारी चार्टर के माध्यम से विशेषाधिकार दिए गए, जिसमें एक निर्धारित क्षेत्र (सर्किल) में नोट जारी करने की अनुमति शामिल थी।

2.3. प्रारंभिक कागजी मुद्रा और 1861 का कागजी मुद्रा अधिनियम

भारत में कागजी मुद्रा का आरंभ 18वीं शताब्दी में हुआ। इस दौरान **कागजी मुद्रा अधिनियम 1861** भारतीय मुद्रा प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस अधिनियम ने भारत सरकार को कागजी मुद्रा जारी करने का एकाधिकार प्रदान किया, जिससे **निजी और प्रेसिडेंसी बैंकों** द्वारा नोट जारी करने की प्रक्रिया समाप्त हो गई। इस प्रणाली की परिकल्पना और क्रियान्वयन का श्रेय **सर जेम्स विल्सन** को जाता है, जो भारत के वायसरॉय की कार्यकारी परिषद में पहले वित्तीय सदस्य थे। उन्होंने इस नीति को लागू करने के लिए आवश्यक ढांचा तैयार किया। उनकी अकाल मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी **सैम्युअल लाइंग** ने उनके प्रस्तावों में आवश्यक संशोधन कर इस कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया।

2.4. भारतीय मुद्रा नोट जारी करने में भारत सरकार की भूमिका

भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना से पहले भारत में मुद्रा नोट जारी करने का कार्य **भारत सरकार** द्वारा किया जाता था। 1 अप्रैल 1935 को **भारतीय रिज़र्व बैंक** की स्थापना के बाद मुद्रा प्रबंधन का अधिकांश कार्य इस बैंक को सौंप दिया गया।

हालांकि **1 रुपए का नोट** जारी करने का अधिकार भारत सरकार ने अपने पास ही रखा। यह अधिकार विशेष रूप से युद्धकालीन उपाय के तहत **अगस्त 1940** में फिर से लागू किया गया, जब 1 रुपए का नोट सिक्के के समकक्ष जारी किया गया।

भारत सरकार ने **1994 तक 1 रुपए का नोट** जारी करना जारी रखा जबकि अन्य सभी मूल्यवर्ग के नोट भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए। यह 1 रुपए का नोट आज भी भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है और उस पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं।

किन्तु वर्तमान समय में रुपये का कोई निश्चित स्वर्ण या रजत मानक नहीं है।

मैंने दिनांक **19/07/2024** को **सूचना का अधिकार अधिनियम** 2005 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से यह जानकारी माँगी थी कि ***वर्तमान समय में भारतीय मुद्रा में ₹1 (एक रुपये) का मानक मूल्य क्या है?***

इस प्रश्न के उत्तर में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक **13/12/2024** को सूचित किया गया कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले बैंकनोट **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934** के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए जाते हैं। उक्त अधिनियम भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट **www.rbi.org.in** पर *सामयिक प्रकाशन* अनुभाग में उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक ने "**भारतीय मुद्रा**" से संबंधित *अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न* (खंड 'क' – भारतीय मुद्रा / मुद्रा प्रबंधन की मूल बातें, प्रश्न संख्या 1 एवं 2) का संदर्भ दिया है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह जानकारी दिनांक **15 अप्रैल 2025** तक अद्यतन है।

उक्त FAQ के अनुसार स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934** तथा **सिक्का अधिनियम, 2011** के अंतर्गत क्रमशः बैंकनोटों और सिक्कों का निर्गमन किया जाता है। इन दोनों अधिनियमों के प्रावधानों में रुपये या सिक्कों के किसी ***मानक मूल्य*** का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कागजी मुद्रा तथा सिक्कों से संबंधित पूर्ववर्ती सभी वैधानिक प्रावधानों को निरस्त किया जा चुका है।

अध्याय – 3

भारतीय मुद्रा "रुपया"

रुपये की उत्पत्ति एवं ऐतिहासिक विकास के संबंध में, यह तथ्य स्थापित है कि "रुपया" शब्द का प्रथम प्रयोग भारत में **शेरशाह सूरी** द्वारा उनके शासनकाल **(1540-1545)** के दौरान किया गया था। उस अवधि में यह चांदी का सिक्का था।

रुपये की उत्पत्ति एवं ऐतिहासिक विकास के संबंध में, यह तथ्य स्थापित है कि "रुपया" शब्द का प्रथम प्रयोग भारत में **शेरशाह सूरी** द्वारा उनके शासनकाल **(1540-1545)** के दौरान किया गया था। उस अवधि में यह चांदी का सिक्का था, जो मुगल शासन काल तक प्रचलन में बना रहा।



कालांतर में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी प्रशासनिक पकड़ मजबूत की, तब उसने अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में सिक्का जारी करने हेतु **GOLD AND SILVER COINAGE ACT NO. XVII OF 1835** को अधिनियमित किया। उक्त अधिनियम के अंतर्गत, "**रुपया"** को आधिकारिक रूप से **कंपनी के रुपया** के नाम से परिभाषित किया गया जिसका भार **180 ग्रेन ट्रॉय (165 ग्रेन शुद्ध चांदी)** निर्धारित किया गया। साथ ही, "मोहर" यानि सोने का सिक्के का भार **180 ग्रेन ट्रॉय (165 ग्रेन शुद्ध सोना)** सुनिश्चित किया गया तथा विनिमय दर के अनुसार एक मोहर का मूल्य **15 रुपये** के समकक्ष निर्धारित किया गया। इस तथ्य की पुष्टि **GOLD AND SILVER COINAGE ACT 1835** की धारा 1 एवं धारा 7 के अवलोकन से की जा सकती है।

पुनश्च, **1 नवंबर 1858** को ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश भारत सरकार (British Indian Government) की स्थापना की गई। तत्पश्चात, **23 अप्रैल 1862** को **Coinage Act 1862** अधिनियमित किया गया, जिसमें पूर्ववर्ती **Coinage Act 1835** के मानकों को अपनाया गया। इस अधिनियम की विशेषता यह थी कि इसमें "ईस्ट इंडिया कंपनी रुपया" का नाम परिवर्तित कर "गवर्नमेंट रुपया" (Government Rupee) कर दिया गया, जिसका प्रमाण **Coinage Act, 1862 का धारा 2 हैं।**

- ब्रिटिश शासनकाल में ही निर्मित **भारतीय दंड संहिता 1860 (Indian Penal Code, 1860)** के **धारा 230** में "सिक्के" की परिभाषा दी गई थी। जिसके उपधारा **(घ)** स्पष्ट रूप से यह स्थापित करती थी कि वह सिक्का, जिसका नाम "कंपनी रुपया" (Company's Rupee) है, वह **भारतीय सिक्का** (Indian Coin) हैं

3.1. रुपया और सोने का संबंध

जब हम रुपये की बात करते हैं, तो ऐतिहासिक दृष्टि से इसका संबंध चांदी के सिक्कों से जोड़ा जाता है। परंतु, रुपये की बड़ी इकाई के रूप में "मोहर" (सोने का सिक्का) का भी उल्लेख मिलता है। शेरशाह सूरी के शासनकाल में, 1 मोहर का मूल्य 10 रुपये के बराबर था। इसका अर्थ यह था कि यदि किसी को 10 रुपये का भुगतान करना होता, तो 10 चांदी के सिक्कों के स्थान पर 1 सोने की मोहर दी जाती थी।

जबकि ब्रिटिश शासनकाल में रुपये के मूल्य और वजन में परिवर्तन किए गए। इस काल में 1 मोहर का मूल्य 15 रुपये के बराबर कर दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि 15 चांदी के सिक्कों की जगह 1 मोहर दी जाती थी। **और ब्रिटिश शासनकाल के मुद्रा संबंधित अधिनियमों के अनुसार, 1 मोहर का वजन 11.664 ग्राम सोना था।**

- **1 मोहर का वजन और कानूनी अधिनियम :- GOLD AND SILVER COINAGE ACT 1835** इस अधिनियम की धारा 7 में 1 मोहर का वजन **11.664 ग्राम** सोने का निर्धारित किया गया हैं। तथा ब्रिटिश शासनकाल में बने **भारतीय सिक्का अधिनियम 1870 की धारा 5** में भी 1 मोहर का वजन **11.664 ग्राम** का उल्लेख किया गया हैं।

1 रुपया = कितना सोना

- ब्रिटिश शासन के समय 1 मोहर का मूल्य 15 रुपये के बराबर था। अब यदि हमें 1 रुपये में कितना सोना होता है, यह निकालना है, तो निम्नलिखित गणना करनी पड़ेगी जैसे :
- **1 रुपये का सोना = 1 मोहर का वजन** ÷ **15 चांदी के सिक्के**

  = 11.664÷15 = 0.7776 ग्राम

  इस प्रकार, 1 रुपये का सोना **0.7776 ग्राम** होता था।

3.2. भारतीय सिक्के का संक्षिप्त परिचय

बंगाल में सिक्कों का विकास मुगल पैटर्न से हुआ, मद्रास में सिक्कों की ढलाई डिजाइन और मेट्रोलॉजी (पगोडा) दोनों ही दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुरूप हुई। पश्चिम भारत में इंग्लिश सिक्कों का विकास मुगल और इंग्लिश दोनों ही तरीकों से हुआ। इंग्लिश ने

सम्राट फरु ख्शियर से 1717 ई. में बॉम्बे मिंट में मुगल सिक्कों की ढलाई करने की अनुमति मांगी। इंग्लिश तरीके के सिक्कों की ढलाई बॉम्बे मिंट में की गई। **स्वर्ण सिक्कों को केरोलिना, चांदी के सिक्कों को एंजलिना, ताम्र सिक्कों को कपेरून और जस्ते के सिक्कों को टिनी नाम दिया गया।** 1830 के आरंभिक काल तक इंग्लिश हुकूमत भारत में अपने पैर पूरी तरह जमा चुकी थी। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही उठापटक के बाद उभरकर आई सार्वभौम शक्ति ने सिक्का ढलाई अधिनियम 1835 को अधिनियमित करने और ढलाई कर जारी किए जानेवाले सिक्कों में एकरूपता लाने को संभव किया।

भारतीय सिक्का अधिनियम 1906 पारित हुआ जिसके द्वारा टकसालों की स्थापना तथा भविष्य में जारी किए जानेवाले सिक्कों और प्रचलन में रखे जानेवाले मानकों को शासित किया जाता था
(रुपया 180 ग्रेन रजत 916.66 मानक आधा रुपया 90 ग्रेन, चौथाई रु पया 45 ग्रेन)।
भारतीय सिक्का अधिनियम 1906 पारित हुआ जिसके द्वारा टकसालों की स्थापना तथा भविष्य में जारी किए जानेवाले सिक्कों और प्रचलन में रखे जानेवाले मानकों को शासित किया जाता था (रुपया 180 ग्रेन रजत 916.66 मानक आधा रुपया 90 ग्रेन, चौथाई रु पया 45 ग्रेन)।

प्रथम विश्वयुद्ध के कारण चांदी का भारी संकट छा गया था, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार को एक रुपया और ढाई रुपए के कागज़ी नोट छापने के लिए विवश होना पड़ा। छोटे मूल्यवर्ग के चांदी के सिक्कों को तांबा-निकेल धातु में जारी किया गया। समय आने पर जॉर्ज V का उत्तराधिकारी एडवर्ड VIII हो गया। तथापि उसके लघु शासनकाल में कोई भी सिक्का जारी नहीं हुआ।

1936 में जॉर्ज VI राजसिंहासन पर आसीन हुआ। द्वितीय विश्वयुद्ध से उपजी विवशता ने सिक्कों में विभिन्न प्रकार के प्रयोगों को अंजाम दिया जिसके तहत मानक रुपया की जगह "चौकोन रजत मिश्र धातु के सिक्के" आ गए। चौकोर रजत सिक्के 1940 से जारी हुए थे। 1947 में इनकी जगह शुद्ध निकेल के सिक्कों ने ले ली।

सितंबर 1955 में भारतीय सिक्का ढलाई अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे देश में सिक्का निर्माण के लिए **मेट्रिक प्रणाली** को अपनाया गया। यह संशोधन **1 अप्रैल 1957** से लागू हुआ।

रुपये के मूल्य और नाम में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन इसे **16 आना या 64 पैसे** के बजाय **100 पैसे** में विभाजित किया गया। नए दशमलव सिक्कों को शुरुआत में **सार्वजनिक स्वीकृति** के लिए, **"नया पैसा"** कहा गया।

1 जून 1964 से "नया" शब्द हटा दिया गया और इसे केवल "पैसा" कहा जाने लगा। वर्ष 1968 में बीस पैसे का एक सिक्का जारी किया गया लेकिन इसे अधिक लोकप्रियता हासिल नहीं हुई। सत्तर के दशक में लागत-लाभ के कारण 1, 2 और 3 पैसे के सिक्के बंद कर दिए गए।

1988 में 10, 25, और 50 पैसे के **स्टेनलेस स्टील** के सिक्के जारी किए गए, और **1992** में 1 रुपये का स्टेनलेस स्टील का सिक्का पेश किया गया।

3.3. सिक्का निर्माण विधेयक 2009

- सिक्का निर्माण विधेयक, 2009 को वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने 17 दिसंबर 2009 को लोक सभा में पेश किया। विधेयक को विभाग से संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति (अध्यक्ष: डॉ. मुरली मनोहर जोशी) को भेजा गया, जिसे तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।
- विधेयक सिक्का निर्माण और टकसालों से संबंधित कानूनों को समेकित करता है तथा धातु टोकन अधिनियम 1899; सिक्का निर्माण अधिनियम 1906; कांस्य सिक्का (कानूनी निविदा) अधिनियम 1918 और लघु सिक्के (अपराध) अधिनियम 1971 को निरस्त करता है। <u>“सिक्का” को उस धातु के रूप में परिभाषित किया जाता है जो सरकार द्वारा लगी मुहर से बना होता है और वह एक वैध मुद्रा है।</u>

> The Coinage Bill 2009 को 17 दिसंबर 2009 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। विस्तृत परीक्षण हेतु इसे वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया, जिसने 31 अगस्त 2010 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके पश्चात विधेयक 25 मार्च 2011 को लोकसभा तथा 11 अगस्त 2011 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति की स्वीकृति 1 सितंबर 2011 को प्राप्त होने के बाद यह The Coinage Act 2011 के रूप में अधिनियमित हुआ।

अध्याय– 4

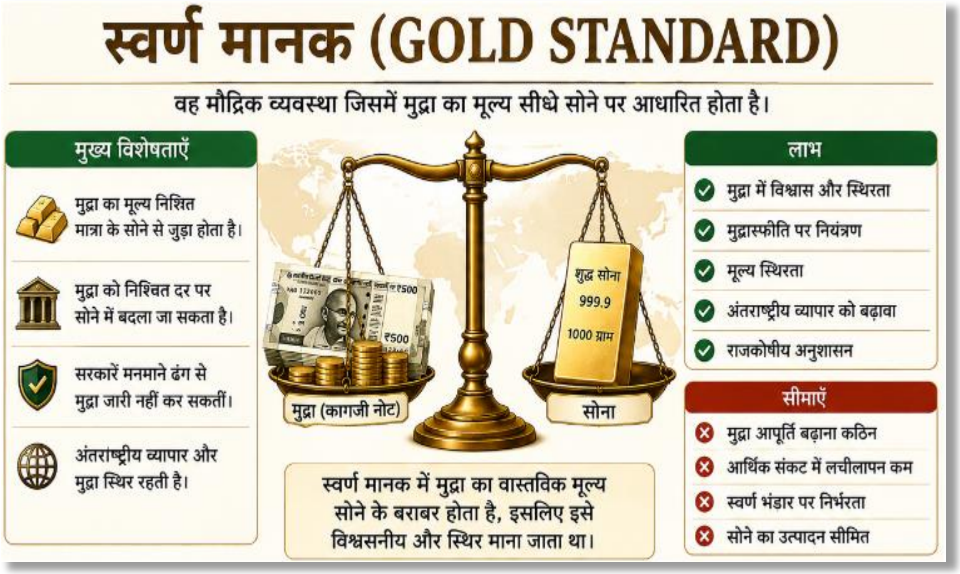
मानक

मानक किसी भी कार्य, वस्तु या प्रणाली के लिए तय किए गए निश्चित नियम या मापदंड होते हैं। ये समानता, गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं। यदि मानक हों, तो कार्यों में स्पष्टता, नियंत्रण और पारदर्शिता बनी रहती है।

4.1. मानक के साथ रुपया

1. मूल्य स्थिरता

जब रुपया किसी मानक, जैसे कि सोने या चांदी के आधार पर जुड़ा होता है, तो उसकी मूल्य स्थिरता सुनिश्चित होती है। यह मुद्रास्फीति (महंगाई) को नियंत्रित करने में मदद करता है।



2. विश्वसनीयता और स्थायित्व

मानक आधारित मुद्रा में जनता और व्यापारियों का विश्वास अधिक होता है। इसका कारण यह है कि इसके पीछे वास्तविक मूल्य (जैसे सोने या चांदी की कीमत) होता है।

3. मुद्रा की छपाई पर नियंत्रण

मानक के साथ जुड़ी मुद्रा की छपाई सीमित होती है, क्योंकि इसे मानक (जैसे सोना या चांदी) की मात्रा के अनुपात में छापा जाता है। इससे अत्यधिक मुद्रा छापने और इसके परिणामस्वरूप होने वाली मुद्रास्फीति से बचाव होता है।

4. लोगों का विश्वास बढ़ना

मानक आधारित रुपया जनता को भरोसा दिलाता है कि मुद्रा का वास्तविक मूल्य है, और इसे आसानी से अन्य मूल्यवान चीजों में बदला जा सकता है।

4.2. मानक के बिना मुद्रा

जब मुद्रा के पीछे कोई स्थिर मानक न हो, तो उसका मूल्य केवल विश्वास पर आधारित होता है। ऐसी मुद्रा अस्थिर और अविश्वसनीय होती है, जिससे महंगाई, आर्थिक संकट और निवेश में गिरावट जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सरकार जब मनमानी मात्रा में नोट छापने लगती है, तो आम लोगों की बचत और आय का वास्तविक मूल्य घटने लगता है। व्यापार और उद्योग में भी अनिश्चितता बढ़ती है, जिससे अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ जाती है।

4.3. मुद्रा अवमूल्यन

मुद्रा की अवमूल्यन का मतलब है किसी देश की मुद्रा का मूल्य गिरना। इसका अर्थ होता है कि उस मुद्रा की विनिमय दर अन्य देशों की मुद्राओं के मुकाबले कम हो जाना। जब मुद्रा अवमूल्यित होती है, तो वह विदेशी मुद्रा के सापेक्ष कमजोर हो जाती है।

उदाहरण के तौर पर, यदि रुपये का अवमूल्यन होता है, तो डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत घट जाती है। इसका मतलब यह है कि अब पहले से अधिक रुपये खर्च करके ही एक डॉलर खरीदा जा सकता है।

4.4. रुपया का अवमूल्यन और विदेशी कर्ज

जब रुपये का अवमूल्यन होता है, तो भारत का विदेशी कर्ज़ बढ़ जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि विदेशी कर्ज़ आमतौर पर डॉलर या अन्य मजबूत मुद्राओं में लिया जाता है। जब रुपये का मूल्य गिरता है, तो इन कर्ज़ों को चुकाने के लिए अधिक रुपये खर्च करने पड़ते हैं।

उदाहरण के लिए, अगर भारत ने किसी विदेशी बैंक से 100 अरब डॉलर का कर्ज़ लिया और उस समय 1 डॉलर की कीमत ₹75 थी, तो कुल कर्ज़ ₹7.5 लाख करोड़ होता। लेकिन अगर रुपये का अवमूल्यन होकर 1 डॉलर = ₹85 हो जाता है, तो उसी कर्ज़ की कीमत बढ़कर ₹8.5 लाख करोड़ हो जाएगी। इससे सरकार और कंपनियों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव बढ़ता है। इसके अलावा, जब रुपया कमजोर होता है, तो आयात महंगा हो जाता है, जिससे सरकार को और अधिक विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ती है।

Gold Standard Act 1925

महामहिम राजा की ओर से, लॉर्ड्स स्पिरिचुअल और टेम्पोरल, और कॉमन्स की सलाह और सहमति से, इस वर्तमान संसद में इकट्ठे होकर, और उसी के अधिकार से, यह अधिनियम बनाया जाता है, जैसा कि निम्नलिखित है:—

1. (1) जब तक और जब तक महामहिम राजा उद्घोषणा द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं देते
((a) बैंक ऑफ़ इंग्लैंड, किसी भी अन्य अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुए भी, **बैंक ऑफ़ इंग्लैंड अधिनियम 1833 की धारा 6** के अर्थ में *कानूनी सिक्के* में किसी भी बैंक नोट (जिसे इस अधिनियम में "बैंक नोट" कहा गया है) का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा; तथा केवल इस कारण से कि बैंक कानूनी सिक्के में बैंक नोटों का भुगतान जारी नहीं रखता, बैंक नोट *कानूनी निविदा* होना समाप्त नहीं करेंगे।

(b) मुद्रा और बैंक नोट अधिनियम 1914 की धारा 1 की उपधारा (3) जिसमें यह प्रावधान है कि मुद्रा नोट का धारक उसके अंकित मूल्य के बराबर स्वर्ण सिक्के में भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी होगा **प्रभावहीन हो जाएगी**।

(c) सिक्का अधिनियम 1870 की धारा 8 (जो किसी भी व्यक्ति को टकसाल में सोने की बुलियन लाने पर उसे परखने, सिक्के बनाने और उसे सौंपने का हकदार बनाती है) बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा टकसाल में लाई गई सोने की बुलियन को छोड़कर, प्रभावी नहीं रहेगी।

(2) जब तक पिछला सब-सेक्शन लागू रहता है, बैंक ऑफ़ इंग्लैंड किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो बैंक के हेड ऑफिस में बैंक के ऑफिस के घंटों के दौरान इस बारे में मांग करता है, और किसी भी लीगल टेंडर में खरीद की कीमत चुकाता है, गोल्ड बुलियन बेचने के लिए बाध्य होगा। यह सोना 1870 के कॉइनेज एक्ट द्वारा सोने के सिक्के के लिए तय की गई शुद्धता के स्टैंडर्ड का होगा, और इसकी कीमत तीन पाउंड, सत्रह शिलिंग और दस पेंस हाफपेनी प्रति औंस ट्रॉय होगी, लेकिन सिर्फ़ लगभग चार सौ औंस ट्रॉय शुद्ध सोने वाली बार के रूप में।

2. (a) गोल्ड स्टैंडर्ड पर वापस लौटने के संबंध में एक्सचेंज ऑपरेशन्स के लिए ज़रूरी कोई भी पैसा इस एक्ट के पास होने के दो साल के अंदर ऐसे तरीके से जुटाया जा सकता है जैसा ट्रेजरी को ठीक लगे, और उस मकसद के लिए वे यूनाइटेड किंगडम के अंदर या बाहर, और ब्रिटिश या किसी दूसरी करेंसी में, ऐसी सिक्योरिटीज़ बना और जारी कर सकते हैं, जिन पर ऐसी ब्याज दर हो और जिनके रीपेमेंट, रिडेम्पशन या अन्य शर्तों के बारे में वे जैसा ठीक समझें, और वे ऐसे

तरीके से और ऐसी शर्तों पर, जैसा वे उचित समझें, किसी भी लोन के ब्याज और मूलधन के पेमेंट की गारंटी दे सकते हैं जो ऊपर बताए गए मकसद के लिए लिया जा सकता है:
बशर्ते कि इस सेक्शन के तहत बनाई या जारी की गई कोई भी सिक्योरिटीज़ उनके जारी होने की तारीख से दो साल के अंदर रिडीम की जाएंगी, और इस सेक्शन के तहत कोई भी गारंटी ऐसी नहीं दी जाएगी जो इसे दिए जाने की तारीख से दो साल बाद तक लागू रहे।

(b) इस एक्ट के तहत जुटाए गए किसी भी पैसे का मूलधन और ब्याज, और इस एक्ट के तहत दी गई किसी भी गारंटी को पूरा करने में ट्रेजरी द्वारा देय कोई भी रकम, साथ ही इस सेक्शन के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के संबंध में या उसके लिए ट्रेजरी द्वारा किया गया कोई भी खर्च, यूनाइटेड किंगडम के कंसोलिडेटेड फंड या उसकी बढ़ती हुई आय पर चार्ज किया जाएगा।

(c) जहाँ इस अधिनियम के शुरू होने के बाद पास किए गए किसी विनियोग अधिनियम द्वारा ट्रेजरी को एक तय रकम तक पैसा उधार लेने की शक्ति दी जाती है, तो कोई भी रकम जो उस अधिनियम के पास होने के समय इस धारा के अनुसार ट्रेजरी द्वारा उधार ली गई हो या गारंटी दी गई हो और जो उस समय बकाया हो, उसे उक्त विनियोग अधिनियम द्वारा दी गई शक्ति का इस्तेमाल करके जुटाया गया माना जाएगा और उस अधिनियम के तहत उधार ली जा सकने वाली रकम उसी हिसाब से कम कर दी जाएगी।

3. This Act may be cited as the Gold Standard Act, 1925.

4.6. After the Gold Standard, 1931-1999

> बैंक ऑफ़ इंग्लैंड के उप-गवर्नर द्वारा भेजा गया गोपनीय तार-संदेश, जिसमें यूनाइटेड किंगडम द्वारा स्वर्ण मानक से हटने के निर्णय के संबंध में सूचना दी गई है।
> सितंबर 1931 में यूनाइटेड किंगडम को स्वर्ण मानक से अपने संबंध को तोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। यह तार-संदेश उसी दिन भेजे गए अनेक संदेशों में से एक है, जिनके माध्यम से बैंक के विदेशी एवं घरेलू संवाददाताओं को सरकार की नीति में हुए इस मौलिक परिवर्तन की जानकारी दी गई।

1. मुझे आपको यह बताते हुए अफ़सोस हो रहा है कि बैंक ऑफ़ इंग्लैंड 1925 के गोल्ड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत अपनी ज़िम्मेदारी के अनुसार सोने की बिक्री को निलंबित करने के लिए मजबूर है। ज़रूरी कानून तुरंत संसद में पेश किया जाएगा। विदेशी ग्राहकों की ओर से इस देश में रखे गए किसी भी सोने के मुफ़्त निपटान पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, न ही किसी ऐसे

सोने पर जो विदेशी खाते के लिए हिरासत में रखने या बाज़ार में बेचने के लिए इस देश में भेजा जा सकता है।

2. लंदन स्टॉक एक्सचेंज कल एक दिन के लिए बंद रहेगा लेकिन कोई बैंक हॉलिडे नहीं होगा।

3. बैंक सामान्य रूप से काम करते रहेंगे और यहाँ किसी बैंकिंग परेशानी की उम्मीद नहीं है।

4. मैं यह जानकारी आपको टेलीफ़ोन से देने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन यह केबल भेज रहा हूँ ताकि अगर मैं आपसे किसी और तरह से संपर्क न कर पाऊँ तो यह जानकारी मिल जाए।

4.7. अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट का कार्यकारी आदेश (नं. 6260)

1 मई 1933 को या उससे पहले उनके पास अब जो भी सोने के सिक्के, सोने के बुलियन, और सोने के सर्टिफिकेट हैं, उन्हें फेडरल रिजर्व बैंक, ब्रांच या एजेंसी, या फेडरल रिजर्व सिस्टम के किसी भी सदस्य बैंक को दे दिया जाएगा।

1933

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट का कार्यकारी आदेश (नं. 6260) जो सोने के निर्यात और विदेशी मुद्रा में लेन-देन पर नियंत्रण से संबंधित है। इस अंश में 1933 के आखिर में संयुक्त राज्य अमेरिका में सोने पर लगाए गए अतिरिक्त प्रतिबंध शामिल हैं।

6 अक्टूबर, 1917 के एक्ट की धारा 5 (b) द्वारा मुझे दी गई शक्ति के आधार पर, जैसा कि 9 मार्च, 1933 के एक्ट की धारा 2 द्वारा संशोधित किया गया है, जिसका शीर्षक है "बैंकिंग में मौजूदा राष्ट्रीय आपातकाल में राहत प्रदान करने और अन्य उद्देश्यों के लिए एक एक्ट", मैं, फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति, यह घोषणा करता हूँ कि राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि मौजूद है, और उक्त शक्ति और मुझे दी गई अन्य सभी शक्तियों के आधार पर, मैं इसके द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर या उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति द्वारा सोने के सिक्के, सोने की सिल्लियों और सोने के प्रमाणपत्रों की जमाखोरी, पहचान और निर्यात की जांच और विनियमन के लिए निम्नलिखित प्रावधान निर्धारित करता हूँ; और विदेशी मुद्रा में लेनदेन और क्रेडिट के हस्तांतरण और संयुक्त राज्य अमेरिका या उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन किसी भी स्थान से किसी भी व्यक्ति द्वारा मुद्रा के निर्यात या निकासी की जांच और विनियमन के लिए।

धारा 2. परिभाषाएँ। इस आदेश में इस्तेमाल किए गए शब्द "व्यक्ति" का मतलब कोई भी व्यक्ति, पार्टनरशिप, एसोसिएशन या कॉर्पोरेशन है; और शब्द "संयुक्त राज्य अमेरिका" का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाली कोई भी जगह है।

धारा 3. रिटर्न। इस आदेश की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर हर वह व्यक्ति जिसके पास सोने के सिक्के, सोने की ईंटें, या सोने के सर्टिफिकेट हैं, वह शपथ लेकर और जैसा कि नीचे बताया गया है, उसके अनुसार ट्रेजरी सेक्रेटरी को एक रिटर्न फाइल करेगा, जिसमें उससे संबंधित सही और पूरी जानकारी होगी, जिसमें रिटर्न देने वाले व्यक्ति का नाम और पता शामिल है; ऐसे सिक्के, ईंटों या सर्टिफिकेट का प्रकार और मात्रा और उनका स्थान; यदि किसी और के लिए रखे गए हैं, तो किस हैसियत से रखे गए हैं और किसके लिए रखे गए हैं, साथ ही उस व्यक्ति का पोस्ट-ऑफिस का पता; और ऐसे सिक्के, ईंटों या सर्टिफिकेट को रखने के लिए ज़रूरी लेन-देन की प्रकृति और एक बयान जिसमें यह बताया गया हो कि ऐसे लेन-देन को सोने के सर्टिफिकेट के अलावा किसी अन्य करेंसी का उपयोग करके क्यों नहीं किया जा सकता है; बशर्ते कि निम्नलिखित के संबंध में कोई रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है

(a) सोने के सिक्के, सोने की ईंटें, और सोने के सर्टिफिकेट जिनकी कुल कीमत किसी एक व्यक्ति के लिए $100 से ज़्यादा न हो;

(b) सोने का सिक्का जिसका दुर्लभ और असामान्य सिक्कों के कलेक्टरों के लिए एक मान्यता प्राप्त विशेष मूल्य हो;
(c) सोने के सिक्के, सोने की ईंटें, और सोने के सर्टिफिकेट जो ट्रेजरी सेक्रेटरी द्वारा या उनके अधिकार के तहत पहले दिए गए लाइसेंस के तहत हासिल किए गए हों या रखे गए हों; और
(d) सोने के सिक्के, सोने की ईंटें, और सोने के सर्टिफिकेट जो फेडरल रिजर्व बैंकों के स्वामित्व में हों।

धारा 4. सोने के सिक्के और सोने की सिल्लियों का अधिग्रहण। इस आदेश की तारीख के बाद फेडरल रिज़र्व बैंक के अलावा कोई भी व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई भी सोने का सिक्का, सोने की सिल्लियां, या सोने के सर्टिफिकेट तब तक हासिल नहीं करेगा, जब तक कि इस कार्यकारी आदेश के तहत जारी लाइसेंस न हो, बशर्ते कि फेडरल रिज़र्व सिस्टम के सदस्य बैंक ऐसे सिक्के, सिल्लियां और सर्टिफिकेट तुरंत फेडरल रिज़र्व बैंक को सौंपने के लिए स्वीकार कर सकते हैं, और यह भी कि जो लोग उद्योग, कला या पेशे में सोने का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वे नियमित रूप से लगे हुए हैं, वे धारा 5(b) के तहत जारी लाइसेंस के तहत रखी गई सोने की

सिल्लियों को खरीदकर अपने सोने के स्टॉक को कुल $100 तक फिर से भर सकते हैं, ऐसी खरीद के लिए लाइसेंस की आवश्यकता के बिना।

धारा 5. सोने के सिक्के, सोने की ईंटें, और सोने के सर्टिफिकेट रखना। इस आदेश की तारीख से तीस दिनों के बाद, कोई भी व्यक्ति अपने पास कोई भी सोने का सिक्का, सोने की ईंट, या सोने के सर्टिफिकेट नहीं रखेगा, या उसमें कोई कानूनी या इक्विटेबल हित नहीं रखेगा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हों और संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार क्षेत्र के अधीन किसी भी व्यक्ति के स्वामित्व में हों, सिवाय इस कार्यकारी आदेश के तहत जारी लाइसेंस के; बशर्ते, हालांकि, सोने के सिक्के, सोने की ईंटें, या सोने के सर्टिफिकेट को अपने पास रखने या उसमें हित रखने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी, जिसके संबंध में यहां धारा 3 के तहत रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

4.8. निक्सन और ब्रेटन वुड्स प्रणाली का अंत, 1971–1973

1944 का ब्रेटन वुड्स समझौता

ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, जिसे आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, 44 देशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन था जो 1 से 22 जुलाई, 1944 तक ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के लिए कई नए नियमों पर सहमत होने के लिए मिले थे। इस सम्मेलन ने आने वाले दशकों के लिए अमेरिकी डॉलर को आर्थिक प्रभुत्व की ओर अग्रसर कर दिया। उस समय तक अधिकांश देश **"सोने के मानक"** का पालन करते थे, जिसमें मुद्रा की वैधता सोने की निश्चित मात्रा से तय होती थी। लेकिन युद्ध की विभीषिका और आर्थिक अस्थिरता ने इस प्रणाली को कमजोर कर दिया था। ऐसे में एक नई, व्यावहारिक और स्थिर मौद्रिक व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गई।

ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत यह तय हुआ कि वैश्विक मुद्राओं की विनिमय दर अमेरिकी डॉलर से जुड़ी होगी, और अमेरिकी डॉलर की कीमत सोने से तय होगी **1 औंस सोना = 35 डॉलर**। चूंकि अमेरिका के पास उस समय दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार था, इसलिए डॉलर को यह विशेष दर्जा मिला। इस व्यवस्था ने डॉलर को "विश्व मुद्रा" बना दिया।

4.9. निक्सन और ब्रेटन वुड्स प्रणाली का अंत, 1971–1973

15 अगस्त, 1971 को **राष्ट्रपति रिचर्ड एम. निक्सन** ने अपनी नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जो "युद्ध-रहित नई समृद्धि लाने" का कार्यक्रम था। बोलचाल की भाषा में **"निक्सन शॉक"** के

नाम से प्रसिद्ध इस पहल ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में स्थापित ब्रेटन वुड्स स्थिर विनिमय दरों की प्रणाली के अंत की शुरुआत की।

15 अगस्त, 1971 को राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन द्वारा अपनी नई आर्थिक नीति की घोषणा के दिन वित्त मंत्री जॉन कोनली। (निक्सन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी)

ब्रेटन वुड्स प्रणाली के अंतर्गत, विदेशी मुद्राओं के बाह्य मूल्य अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष निर्धारित होते थे, जिसका मूल्य कांग्रेस द्वारा निर्धारित **35 डॉलर प्रति औंस के सोने के मूल्य** पर व्यक्त किया जाता था। 1960 के दशक तक, विदेशी सहायता, सैन्य खर्च और विदेशी निवेश के कारण अमेरिकी डॉलर के अधिशेष ने इस प्रणाली को खतरे में डाल दिया, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया भर में प्रचलन में 35 डॉलर प्रति औंस की दर से डॉलर की मात्रा को कवर करने के लिए पर्याप्त सोना नहीं था; परिणामस्वरूप, डॉलर का अधिमूल्यन हो गया। राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी और लिंडन बी. जॉनसन ने डॉलर का समर्थन करने और ब्रेटन वुड्स को बनाए रखने के लिए कई उपाय अपनाए: विदेशी निवेश पर प्रतिबंध; विदेशी उधार पर प्रतिबंध; डॉलर के आधिकारिक बहिर्वाह को रोकने के प्रयास; अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सुधार; और अन्य देशों के साथ सहयोग। कुछ भी कारगर नहीं हुआ।

इस बीच, विदेशी मुद्रा बाजारों के व्यापारी, यह मानते हुए कि डॉलर का अधिमूल्यन एक दिन अमेरिकी सरकार को इसका अवमूल्यन करने के लिए मजबूर करेगा, डॉलर बेचने के लिए अधिक इच्छुक साबित हुए। इसके परिणामस्वरूप डॉलर में समय-समय पर गिरावट आई।

डॉलर पर इसी तरह की मार पड़ी, और साथ ही इस बात के बढ़ते प्रमाण भी सामने आए कि डॉलर का अधिमूल्यन देश की विदेशी व्यापार स्थिति को कमज़ोर कर रहा था, जिसने राष्ट्रपति रिचर्ड एम. निक्सन को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। **13 अगस्त, 1971** को, निक्सन ने कार्ययोजना पर विचार करने के लिए कैंप डेविड प्रेसिडेंशियल रिट्रीट में अपने शीर्ष आर्थिक सलाहकारों की एक बैठक बुलाई, जिसमें वित्त मंत्री जॉन कॉनली और प्रबंधन एवं बजट कार्यालय के निदेशक जॉर्ज शुल्ट्ज़ शामिल थे।

बैठक में विदेश मंत्री विलियम रोजर्स और राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के सहायक हेनरी किसिंजर विशेष रूप से अनुपस्थित थे। दो दिनों की बातचीत के बाद, **15 अगस्त की शाम** को, निक्सन ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में **"शांति की चुनौती"** पर अपनी नई आर्थिक नीति की घोषणा की। इस बात पर ज़ोर देते हुए कि वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी को समाप्त करने में हुई प्रगति का अर्थ यह है कि अब समय आ गया है कि अमेरिकी वियतनाम-पश्चात विश्व की चुनौतियों पर ध्यान दें, **निक्सन ने तीन-स्तरीय कार्य निर्धारित किए**: "हमें अधिक और

बेहतर नौकरियाँ सृजित करनी होंगी; हमें जीवन-यापन की बढ़ती लागत को रोकना होगा; हमें डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सट्टेबाजों के हमलों से बचाना होगा।" पहले दो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, उन्होंने कर कटौती और कीमतों व मज़दूरी पर 90 दिनों की रोक का प्रस्ताव रखा; तीसरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, **निक्सन ने डॉलर की सोने में परिवर्तनीयता को निलंबित करने का निर्देश दिया।** उन्होंने यह भी आदेश दिया कि सभी शुल्क-योग्य आयातों पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाए; डॉलर की सोने में परिवर्तनीयता को निलंबित करने की तरह, इस उपाय का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों को अपनी मुद्राओं के मूल्य को ऊपर की ओर और अपने व्यापार अवरोधों के स्तर को नीचे की ओर समायोजित करने के लिए प्रेरित करना था ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका से अधिक आयात हो सकें।

घरेलू स्तर पर सफल रहे निक्सन के भाषण ने विदेशों में कई लोगों को चौंका दिया, जिन्होंने इसे चिंताजनक एकतरफा कार्रवाई के रूप में देखा; कॉनली ने अपने विदेशी समकक्षों के साथ विनिमय दर पर आगामी वार्ताओं को जिस दृढ़तापूर्ण तरीके से संचालित किया, उससे ऐसी चिंताओं को कम करने में कोई मदद नहीं मिली। फिर भी, महीनों की बातचीत के बाद, दस औद्योगिक लोकतंत्रों के समूह (जी-10) ने दिसंबर 1971 के स्मिथसोनियन समझौते में अवमूल्यन किए गए डॉलर पर केंद्रित निश्चित विनिमय दरों के एक नए सेट पर सहमति व्यक्त की।

हालांकि निक्सन ने इसे "दुनिया के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मौद्रिक समझौता" के रूप में वर्णित किया, स्मिथसोनियन समझौते में स्थापित विनिमय दरें लंबे समय तक नहीं चलीं। पंद्रह महीने बाद, फरवरी 1973 में, सट्टा बाजार के दबाव के कारण डॉलर का और अवमूल्यन हुआ और विनिमय समता का एक और सेट सामने आया मार्च 1973 में, जी-10 ने एक व्यवस्था को मंजूरी दी, जिसमें यूरोपीय समुदाय के छह सदस्यों ने अपनी मुद्राओं को एक साथ बांधा और संयुक्त रूप से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तैराया, एक ऐसा निर्णय जिसने प्रभावी रूप से ब्रेटन वुड्स की स्थिर विनिमय दर प्रणाली को छोड़ने और अस्थिर विनिमय दरों की वर्तमान प्रणाली के पक्ष में संकेत दिया।

https://history.state.gov/milestones/1969-1976/nixon-shock

अध्याय– 5

आधुनिक मुद्रा सृजन प्रक्रिया

आधुनिक मौद्रिक प्रणाली में मुद्रा सृजन मुख्यतः वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है, न कि किसी सरकारी टकसाल या केंद्रीय बैंक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। जब कोई वाणिज्यिक बैंक किसी ग्राहक को ऋण देता है, तो वह राशि उधारकर्ता के खाते में जमा कर दी जाती है। यह जमा राशि वास्तव में उस बैंक द्वारा नव निर्मित मुद्रा होती है जो पहले अस्तित्व में नहीं थी।

1960 के दशक में शिकागो फेडरल रिजर्व द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका **"मॉडर्न मनी मैकेनिक्स"** में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि बैंक जमा किए गए पैसे को उधार नहीं देते हैं। इसके बजाय वे ऋण देते समय उधारकर्ताओं के लेन-देन खातों में जमा करने के बदले में 'प्रॉमिसरी नोट' स्वीकार करतेहैं।

इसका मतलब यह है कि जब आप ऋण लेने जाते हैं, तो बैंक पहले से जमा किए गए पैसे को ऋण के रूप में नहीं देते हैं बल्कि वे आपसे यह वादा करने के लिए कहते हैं कि आप उधार लिया गया पैसा ब्याज सहित और तय समय तक वापस कर देंगे। आपके वादे के बदले में वे आपको एक रसीद देते हैं, जिसे आप पैसे मानते हैं। **जब बैंक ऋण देता है, तो वह सीधे अर्थव्यवस्था में पैसा जोड़ता है।**

5.1. पैसा कैसे बनता है?

मान लीजिए **भारत सरकार** को सरकार चलाने के लिए ₹1,000 करोड़ की ज़रूरत है। तो वह जनता से टैक्स लेकर कुछ पैसा जुटाती है,लेकिन फिर भी कुछ कमी रह जाती है। अब सरकार ₹1,000 करोड़ के सरकारी बॉन्ड जारी करती है (वादा-पत्र कि “हम यह राशि ब्याज सहित लौटाएँगे”)। RBI उन बॉन्ड्स को खरीद लेता है,और बदले में सरकार के खाते में ₹1,000 करोड़ नया पैसा जमा कर देता है।

> सरकारी बांड की खरीद में बैंकिंग प्रणाली बिलकुल नया पैसा बनाती है। जब बैंक सरकार द्वारा जारी किए गए 1 अरब डॉलर के बांड खरीदता है, तो वो सरकारी खाते में 1 अरब डालॅर लिख देता है। इस तरह से सिर्फ वह खाते में लिखकर 1 अरब डॉलर पैदा कर देते हैं।
>
> \- **मेरिनर ऐकिलिस**

अब मान लिया जाए की भारत सरकार ईमानदार लोगों द्वारा संचालित है और किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं है, तो वह सारे रुपये जनकल्याण की योजना में खर्च कर देती है। पैसा जनता के पास पहुँचता है और जनता इस एक हज़ार रुपये को व्यावसायिक बैंकों, जैसे आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, सिटी बैंक, एक्सिस बैंक इत्यादि में जमा कर देती है और बदले में बैंक उनके खाते में पैसा लिख देता है।

अब इस एक हज़ार के नोट को रखकर व्यावसायिक बैंक 9 गुणा कर सकता है। पैसे की मात्रा बढ़ने से आई महँगाई को रोकने का हवाला देकर अब केन्द्रीय बैंक इस एक हज़ार रुपये के बांड को व्यावसायिक बैंक को एक हज़ार रुपये में बेच देता है, जिसे **ओपन मार्केट ऑपरेशंस** कहा जाता है। अब आप देख पा रहे हैं कि केन्द्रीय बैंक द्वारा बनाया गया उसका 1,000 रुपये का नोट उसके पास वापस आ गया है, इस तरह केन्द्रीय बैंक पैसे ना बनाकर सिर्फ एक बिचौलिए का काम कर रहा है अब जब भी भारत सरकार को कर्ज की आवश्यकता पड़ती है तो वह केन्द्रीय बैंक के माध्यम से व्यावसायिक बैंक को कर्जेध्का बांड देती है और व्यावसायिक बैंको के पास कोई पैसा ना होते हुए भी वो उतना पैसा भारत सरकार के खाते में लिख देते हैं खर्च करने पर वह पैसा भारत सरकार के खाते से अब जनता के खाते में लिखा रहता है, केन्द्रीय बैंकों का काम सिर्फ खातों में लिखे गए पैसों के लिए रिज़र्व रखने के लिए बैंकों को आवश्यक पैसों की आपूर्ति करना होता है।

इसमें जब भी भारत सरकार या देश की जनता को कर्जध्लेने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो वे ब्याज समेत पैसा लौटाने का वायदा लिखकर व्यावसायिक बैंक के पास जाते हैं; जिसके बदले व्यावसायिक बैंक उतनी ही रकम आपके खाते में चढ़ा देता है। जिस पर सालाना लाखों-करोड़ों रुपया ब्याज माँगते हैं। खाते में लिखे गए पैसे का 10 प्रतिशत रिज़र्व के रूप में होना चाहिए, जिसे वे भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज पर लेते हैं।

इस तरह से देश के **95 प्रतिशत** पैसे बनाने का काम व्यावसायिक बैंकों का है। जो कि सिर्फ खातों में ही बनता है और लिखा रहता है। भारतीय रिज़र्व बैंक मात्र **5 प्रतिशत** पैसे ही बनाता है, जो कागज़ के नोट के रूप में दिखाई पड़ते हैं।

> जब एक बैंक कर्ज देता है तो यह केवल कर्ज की राशि बैंक अकाउंट में लिख देता है। यह पैसे बैंक किसी और के जमा किए गए पैसों से नहीं लेकर देता। यह पैसा उधार लेने वालों के लिए बैंकों ने नया बनाकर दिया होता है।
>
> - **रॉबर्ट बी. एंडरसन, अमेरिका के वित्त सचिव**

5.2. नए पैसे का मूल्य कैसे निर्धारित होता है?

मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपये में आती है और अब बैंकों ने नए पैसे बनाए और लोन दिए, जिससे देश में पैसे की मात्रा 10 प्रतिशत बढ़ गई। इससे उस चीज़ की कीमत 110 रुपये हो जाएगी बैंकों द्वारा नए पैसे बनाने और लोन देने से मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, जिससे महंगाई होती है यह महंगाई वास्तव में एक तरह की "चोरी" है, जिसमें बैंक हमारी जेब से मूल्य चुराकर लोन देते हैं और ब्याज कमाते हैं हर साल बैंक हमारा पैसा हमें उधार देकर ब्याज और महंगाई से लाखों करोड़ रुपये कमाते हैं महंगाई इसी बैंकिंग सिस्टम की देन है देश का प्रधानमंत्री कोई भी बने या किसी भी पार्टी की सरकार बने, इस सिस्टम को बदले बिना महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सकता।

5.3. बेरोज़गारी, भूखमरी और लालच का वर्तमन मुद्रा से संबंध

बर्नार्ड लीटर जिन्होंने यूरोसिस्टम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई लिखते हैं की लालच और प्रतिस्पर्धा अपरिवर्तनीय मानवीय स्वभाव नहीं हैं, बल्कि लालच और कमी का डर लगातार बनाया जाता है जो हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पैसे (प्रतीकात्मक मुद्रा) का प्रत्यक्ष परिणाम है। इसका परिणाम यह है कि हम सभी को खिलाने के लिए पर्याप्त से अधिक भोजन का उत्पादन कर सकते हैं और दुनिया में हर किसी के लिए पर्याप्त काम निश्चित रूप से है, लेकिन इन सभी को भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है कमी हमारी राष्ट्रीय मुद्रा में है, वास्तव में केंद्रीय बैंकों का यह काम ही है कि वे मुद्रा की कमी करें और इसे बनाए रखें, और इसका सीधा परिणाम यह है कि हमें जीवित रहने के लिए एक दूसरे से लड़ना पड़ता है।

> भूखमरी का मुख्य कारण भोजन की कमी नहीं, बल्कि वितरण तंत्र की असमानता है। हम हर साल विश्व स्तर पर जरूरत से अधिक भोजन का उत्पादन करते हैं, लेकिन धन और संसाधनों की असमानता के कारण यह भोजन सभी तक नहीं पहुंच पाता। परिणामस्वरूप, एक तरफ संपन्न समाजों में भोजन की बर्बादी होती है, और दूसरी तरफ गरीब तबके भूख से पीड़ित होते हैं।

Federal Reserve Act, 1913

नोट निर्गम

धारा 16. फेडरल रिजर्व नोट्स, फेडरल रिजर्व सिस्टम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के विवेकाधिकार पर जारी किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य फेडरल रिजर्व एजेंटों के माध्यम से फेडरल रिजर्व बैंकों को अग्रिम राशि देना है जैसा कि आगे बताया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। इस प्रकार के नोटों की अधिकृत अनुमति दी जाती है। ये नोट संयुक्त राज्य अमेरिका के दायित्व होंगे और सभी राष्ट्रीय तथा सदस्य बैंकों, फेडरल रिजर्व बैंकों और सभी कर, सीमा शुल्क और अन्य सार्वजनिक देयताओं के लिए स्वीकार्य होंगे। इन नोटों को संयुक्त राज्य सरकार के ट्रेजरी विभाग, वॉशिंगटन नगर, कोलंबिया जिला, या किसी भी फेडरल रिजर्व बैंक में मांग पर वैध मुद्रा में बदला जा सकता है। [12 U.S.C. 411]

वैध मुद्रा में बदलने का अर्थ पहले सोना या चाँदी होता था,लेकिन 1971 के बाद इसका अर्थ बदल गया अब इसका मतलब केवल नया नोट या प्रचलित मुद्रा है।



This note is legal tender for all debts, public and private.
यह नोट सभी सार्वजनिक और निजी देयों के भुगतान के लिए वैध मुद्रा है।

5.4. "GUARANTEED BY THE CENTRAL GOVERNMENT"

आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय जनता की सारी मेहनत एक गारंटी पर टिकी हुई है, जो इस प्रकार है : **"GUARANTEED BY THE CENTRAL GOVERNMENT"** अगर आपको विश्वास नहीं है, तो आप अपने जेब में रखे 10, 20, 100 या किसी भी मूल्य के रुपया के नोट को निकालिए और उसके कोने पर लिखा यह गारंटी देखिए।
यदि कभी केंद्र सरकार अपनी गारंटी वापस ले ली तो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किसी भी रुपया के नोट (बैंक नोट) का मूल्य शून्य हो जाएगा। ऐसे में आपकी समस्त मेहनत और पूंजी केवल कागज़ के टुकड़ों में तब्दील होकर रह जाएगी।

जैसे :- **8 नवंबर 2016** की वह ऐतिहासिक रात जब भारत के प्रधानमंत्री **श्री नरेंद्र मोदी** ने नोटबंदी की घोषणा की तो देश के आर्थिक और सामाजिक ताने-बाने को हिला कर रख दिया। इस अभूतपूर्व फैसले के तहत ₹500 और ₹1000 के नोटों को तत्काल प्रभाव से अवैध घोषित कर दिया गया। तथा लोगों को अपने पुराने नोटों को बैंक में जमा करने के लिए एक सीमित समय भी दिया गया था तथा वे नोट जो कभी हर जेब और तिजोरी में अपनी अहमियत के साथ सुरक्षित थे, आज केवल रद्दी के कागज के सिवा कुछ भी नहीं रह गए हैं।

और भविष्य में भी ऐसा समय आयेगा जब सरकार यह घोषणा करेगी कि आज से सभी रुपये के नोट अवैध घोषित किए जाते हैं और उस समय आपको अपने पुराने नोट जमा करने का कोई अवसर या समय सीमा भी नहीं दी जाएगी और उस समय आपकी मेहनत और पूंजी जो कभी कागज़ के इन नोटों में सहेजी गई थी एक झटके में निरर्थक हो जाएगी और आप कुछ नहीं कर सकेंगे।



अध्याय– 6

कर्ज-आधारित मुद्रा व्यवस्था

वर्तमान विश्व की आर्थिक संरचना मुख्य रूप से कर्ज-आधारित मुद्रा व्यवस्था पर टिकी हुई है। इस व्यवस्था में जब बैंक कर्ज देते हैं, उसी क्षण नई मुद्रा का जन्म होता है। देखने में यह व्यवस्था विकास और निवेश को बढ़ावा देने वाली प्रतीत होती है, परंतु इसके दीर्घकालिक परिणाम समाज में गहरी आर्थिक असमानता को जन्म देते हैं।

कर्ज-आधारित मुद्रा व्यवस्था में मुद्रा सृजन का अधिकार कुछ सीमित बैंकों और वित्तीय संस्थानों के हाथों में केंद्रित होता है। यही संस्थाएँ तय करती हैं कि किसे कर्ज मिलेगा और किन शर्तों पर मिलेगा। जिनके पास पहले से संपत्ति, पूँजी और राजनीतिक-आर्थिक पहुँच होती है, उन्हें आसानी से और कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध हो जाता है। इसके विपरीत गरीब, किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी या तो कर्ज से वंचित रह जाते हैं या ऊँचे ब्याज और कठोर शर्तों में फँस जाते हैं। इस प्रकार धन का प्रवाह उन्हीं की ओर होता है, जिनके पास पहले से धन मौजूद होता है।

इस प्रणाली के कारण बड़ी कंपनियों का वर्चस्व लगातार बढ़ता है। उन्हें सस्ता और भारी ऋण उपलब्ध हो जाता है, जिससे वे बाजार पर कब्जा कर लेती हैं। दूसरी ओर, छोटे उद्योग और स्थानीय व्यवसाय कर्ज के बोझ तले दबकर या तो बंद हो जाते हैं या बड़े पूँजीपतियों पर निर्भर हो जाते हैं। जिसके परिणामस्वरूप अमीर और गरीब की बीच की खाई लगातार बढती जाती है। तथा आर्थिक शक्ति कुछ हाथों में केंद्रित होती जाती है, जो न केवल आर्थिक असमानता उत्पन्न करती है बल्कि सामाजिक असंतुलन और अन्याय को भी बढ़ावा देती है।

इस व्यवस्था का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हर नई मुद्रा के साथ कर्ज और ब्याज भी पैदा होता है। लेकिन अर्थव्यवस्था में उतनी मुद्रा मौजूद नहीं होती, जितनी ब्याज चुकाने के लिए आवश्यक हो। परिणामस्वरूप **समाज** हमेशा **कर्ज के चक्र** में फँसा रहता है। और जब यह व्यवस्था संकट में पड़ती है, तब भी इसका भार समान रूप से नहीं बँटता।

बैंकिंग संकट या आर्थिक मंदी के समय सरकारें बड़े बैंकों और कंपनियों को बचाने के लिए जनता के कर का उपयोग करती हैं। दूसरी ओर किसान, छोटे व्यापारी और मजदूर अपनी जमीन, घर और रोजगार खो देते हैं। इस तरह लाभ निजी हाथों में चला जाता है और नुकसान समाज के कमजोर वर्ग पर डाल दिया जाता है।

“निजी लाभ, सार्वजनिक नुकसान

भारत के सबसे **धनी 1%** लोग **कुल संपत्ति के 40%** से अधिक हिस्से पर नियंत्रण रखते हैं। वहीं, देश की सबसे गरीब **50% आबादी** के पास देश की संपत्ति का केवल लगभग **3%** हिस्सा है।

Survival of the Richest
The India Story

अध्याय– 7

फ्रैक्शनल रिज़र्व बैंकिंग

(Fractional Reserve Banking)

> फ्रैक्शनल रिज़र्व बैंकिंग एक ऐसी बैंकिंग प्रणाली है जिसमें बैंक अपने ग्राहकों से जमा की गई राशि का केवल एक छोटा हिस्सा रिजर्व के रूप में रखते हैं और बाकी राशि को उधार देते हैं या निवेश करते हैं। यह प्रणाली मुद्रा निर्माण की प्रक्रिया को जन्म देती है।

1.**रिज़र्व की परिभाषा**
बैंक को अपने ग्राहकों की जमा राशि का एक निश्चित अनुपात (रिज़र्व) केंद्रीय बैंक या अपने पास नकद के रूप में रखना होता है। इसे कैश रिज़र्व रेशियो (CRR) या स्टैच्युटरी लिक्विडिटी रेशियो (SLR) कहा जाता है।

2.शेष राशि का उपयोग
बाकी धन राशि को बैंक उधार देने के लिए या निवेश के लिए इस्तेमाल करते हैं।

3.**मुद्रा सृजन**
जब बैंक उधार देते हैं, तो वे प्रभावी रूप से नई "मुद्रा" का सृजन करते हैं, क्योंकि उधार ली गई राशि बैंकिंग प्रणाली में फिर से जमा की जाती है, जिससे और उधार दिया जा सकता है।

- **CRR (कैश रिज़र्व रेशियो)** CRR वह न्यूनतम प्रतिशत है जो बैंकों को अपने कुल जमा का एक हिस्सा नकद के रूप में केंद्रीय बैंक (जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक) के पास रखना होता है। इसका मतलब यह है कि बैंक अपने ग्राहकों द्वारा जमा किए गए धन का कुछ हिस्सा उधार नहीं दे सकते और उसे नकद के रूप में रिज़र्व रखना होता है।

- **SLR (Statutory Liquidity Ratio)** SLR वह न्यूनतम प्रतिशत है जो बैंक को अपने कुल जमा का एक हिस्सा तरल संपत्तियों जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी (सरकारी बॉन्ड), सोना, और नकदी के रूप में रखना होता है। यह केंद्रीय बैंक (जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक) द्वारा निर्धारित किया जाता है।

<u>फ्रैक्शनल रिज़र्व बैंकिंग (10% रिजर्व रेशियो, ₹100 प्रारंभिक जमा)</u>

7.1. प्रक्रिया कैसे चलती है?

चरण 1:

- ग्राहक बैंक में ₹100 जमा करता है।
- बैंक ₹100 की रसीद देता है (जो मनी सप्लाई में गिनी जाती है)।
- बैंक ₹10 को रिज़र्व रखता है (10%)।
- ₹90 को कर्ज देता है ।
- अब मनी सप्लाई = ₹100 (रसीद)+₹90 (कर्ज) = ₹190

चरण 2:

- ₹90 जिसे कर्ज दिया गया था, वह भी किसी और बैंक में जमा हो जाता है।
- फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है:

o ₹9 रिज़र्व रखा जाता है।

o ₹81 कर्ज में दिया जाता है।

o मनी सप्लाई बढ़कर ₹190 + ₹81 = ₹271

इसी तरह पूरी प्रक्रिया कई बार चलती है...

मुख्य बिंदु:

1.बैंक द्वारा ₹100 की असली जमा से ₹1000 तक का कृत्रिम पैसा बनाया जाता है।

2.बैंक केवल 10% रिज़र्व रखकर 90% बार-बार उधार देता है।

3.यह प्रक्रिया कर्ज पर आधारित मुद्रा बनाती है, न कि संपत्ति।

4.यही फ्रैक्शनल रिज़र्व बैंकिंग का आधार है।

5.यह प्रणाली खाता-बही पर आधारित होती है।

अब यहाँ आपका एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठ सकता है—"आखिर ₹100 की जमा राशि से ₹1000 तक कैसे बन सकता है?"

तो इसका उत्तर है – धन गुणक प्रभाव, जिसे अंग्रेज़ी में Money Multiplier Effect कहा जाता है।

7.2. Money Multiplier Effect (धन गुणक प्रभाव)

Money Multiplier Effect (मुद्रा गुणक प्रभाव) वह प्रक्रिया है जिसमें बैंकिंग प्रणाली में एक छोटा प्रारंभिक जमा कई बार ऋण और जमा के रूप में घूमकर, कुल मुद्रा आपूर्ति को कई गुना बढ़ा देता है।

बैंक अपने पास आई जमा राशि का एक अंश रखते हैं और बाकी को ऋण के रूप में दे देते हैं। यह ऋण फिर से किसी दूसरे बैंक में जमा होता है, और वह बैंक भी इसी प्रक्रिया को दोहराता है। इस तरह, बैंकिंग सिस्टम एक छोटी सी प्रारंभिक जमा राशि से अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा मुद्रा आपूर्ति उत्पन्न कर देता है।

यहाँ एक चार्ट प्रस्तुत है जो फ्रैक्शनल रिज़र्व बैंकिंग प्रणाली को स्पष्ट करता है।
फ्रैक्शनल रिज़र्व बैंकिंग चार्ट (10% रिजर्व रेशियो, ₹100 प्रारंभिक जमा)

जमा राशी	रसीद	पैसे की मात्रा	रिजर्व	कर्ज	ब्याज (6%)	पैसे की मात्र
100	100	100	10	90	5.4	190
90	90	190	9	81	4.86	271
81	81	271	8.1	72.9	4.37	343.9
72.9	72.9	343.9	7.3	65.6	3.93	409.5
65.6	65.6	409.5	6.6	59	3.54	468
59	59	468.5	5.9	53.1	3.18	521.6
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
1000	1000	1000	100	900	54	1000

यदि किसी बैंक के पास ₹100 की वास्तविक जमा राशि है और उसका आरक्षित अनुपात (Reserve Ratio) 10% है, तो वह बैंक कुल ₹1000 तक का ऋण प्रदान कर सकती है।

अध्याय– 8

बैंक लोन कैसे देता है?

जब किसी को लोन की जरूरत होती है, तो बैंक सुनार की तरह आपसे एक वचन लिखवा लेते हैं कि आपको लोन ब्याज सहित तय समय तक वापस करना होगा। इसके बदले में वे आपको लोन देने की बात करते हैं लेकिन चूंकि असली पैसा नहीं होता है, तो वे बस आपके खातों में लिख देते हैं और आपसे ब्याज वसूलते हैं।

उदाहरण के लिए अगर किसी को एक लाख रुपए का लोन चाहिए तो बैंक उसे दे देते हैं और आपके खातों में लिख देते हैं। लेकिन वे सिर्फ 10,000 रुपए रिजर्व के तौर पर रखते हैं, जो वे रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। बाकी के 90,000 रुपए सिर्फ कागजों पर होते हैं, जिन्हें वे आपके खातों में लिख देते हैं और आपसे ब्याज वसूलते हैं।

उदाहरण से समझें:

अगर आपको 1 लाख रुपए का लोन चाहिए:

- बैंक आपके खाते में 1 लाख रुपए की एंट्री कर देगा।
- इसमें से केवल 10,000 रुपए (10% रिजर्व) असली धन के रूप में होगा।
- शेष 90,000 रुपए केवल "डिजिटल एंट्री" या "आभासी पैसा" होगा।

इस प्रकार, बैंक ने बिना असली पैसा दिए ही "क्रेडिट" के रूप में नया धन बना दिया।

{बैंकों की लोन देने की प्रक्रिया कि प्रक्रिया "क्रेडिट सृजन" पर आधारित है, जिसमें बैंक न्यूनतम रिजर्व रखते हुए अधिक पैसा उधार देते हैं। इस प्रक्रिया से बैंक न केवल ब्याज से लाभ कमाते हैं, बल्कि यह महंगाई और मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का भी कारण बनती है।}

8.1. बैंक का पूरा लोन चुका पाना असंभव क्यों?

ब्याज चुकाने के लिए लोन लेना पड़ता है, और जब भी कोई नया लोन लिया जाता है तो उस पर और ब्याज देना पड़ता है और उसे चुकाने के लिए और लोन लेना पड़ता है, इस तरह हम कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। पैसा ही कर्ज है, इसलिए इस व्यवस्था में कभी भी कर्ज मुक्त होना असंभव है। इस व्यवस्था में अगर सारा पैसा वापस भी कर दिया जाए तो भी हमारे ऊपर कर्ज रहेगा क्योंकि देश में पैसे से ज्यादा कर्ज है, जो ब्याज की व्यवस्था के कारण है।

उदाहरण : यदि बैंक ने 100 करोड़ रुपये का लोन दिया और 5% ब्याज मांगा, तो कुल चुकाई जाने वाली राशि 105 करोड़ रुपये होगी। लेकिन अर्थव्यवस्था में केवल 100 करोड़ रुपये ही हैं। तो ये कैसे संभव है?

पैसा = कर्ज → बैंकिंग प्रणाली में जब बैंक किसी को लोन देता है, तो वह लोन **पैसा** बन जाता है तथा बाजार में मौजूद लगभग सभी पैसा वास्तव में किसी न किसी के लिए एक **कर्ज** है।

- वर्तमान में **भारत में कुल मुद्रा संचलन ₹37,87,602 करोड़** है, जबकि **देश का आंतरिक ऋण एवं अन्य देनदारियाँ ₹1,75,55,988.60 करोड़** से अधिक हैं।

8.2. बैंको का ब्याज कहां से आता है?

पूरी बैंकिंग व्यवस्था केवल मूलधन ही उत्पन्न करती है, ब्याज नहीं। तो सवाल उठता है कि ब्याज आखिर कहां से आता है? इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं :-
मान लीजिए किसी बैंक ने 100 लोगों को 100-100 रुपए का लोन दिया और मान लीजिए सरकार ने भी बैंक से 10,000 रुपए का लोन लिया इस तरह कुल कर्ज 20,000 रुपए हुआ इस पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगाया गया, इसलिए एक साल बाद हमें बैंक को 22,000 रुपए लौटाने होंगे लेकिन बैंक ने कुल 20,000 रुपए ही जारी किए हैं, जिससे प्रचलन में कुल राशि 20,000 रुपए ही है।

इस स्थिति में 2,000 रुपए ब्याज के रूप में लौटाना असंभव है। यह प्रक्रिया कुर्सियों के खेल की तरह है, जिसमें कुर्सियां कम और खेलने वाले लोग ज्यादा हैं जब ताली बजाई जाती है तो सभी को कुर्सियों पर बैठना होता है, लेकिन कुर्सियों की कमी के कारण सभी लोग कुर्सियों पर नहीं बैठ पाते किसी को हर समय खड़ा रहना पड़ता है और यह खेल लगातार चलता रहता है।

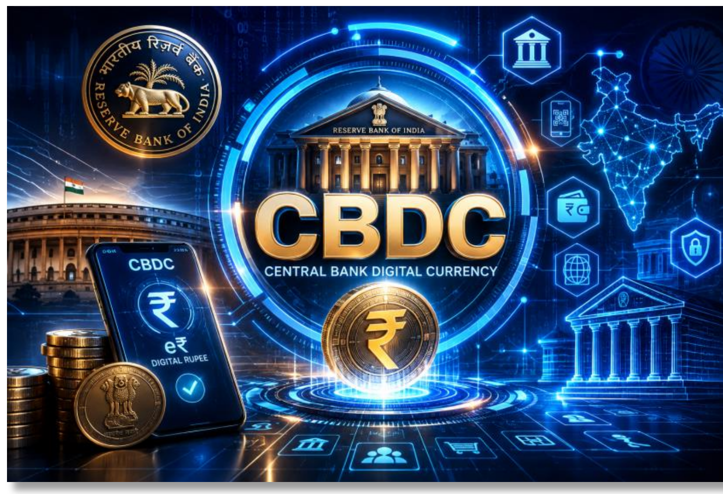
> ऋण/धन सृजन की प्रक्रियाः वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वास्तव में नोट छापने या सिक्के ढालने से धन का सृजन नहीं किया जाता है। धन का सृजन जनता को ऋण और अग्रिम राशि प्रदान करके तथा ऋण देने वाले बैंकों की खाता बही में प्रासंगिक प्रविष्टियाँ करके किया जाता है। आम तौर पर, बैंक द्वारा दिए गए ऋण की राशि उसके द्वारा प्राप्त जमा राशि से अधिक होती है।
>
> \- **Senior Secondary Course Economics (318)**

अध्याय– 9

भविष्य की मुद्रा

डिजिटल तकनीक के बढ़ते विकास के साथ आज विश्व की वित्तीय व्यवस्था भी तेजी से बदल रही है। पहले जहाँ अधिकांश लेन-देन नकद मुद्रा के माध्यम से किए जाते थे, वहीं अब डिजिटल भुगतान का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। इसी परिवर्तन को देखते हुए अनेक देशों के केंद्रीय बैंकों ने अपनी डिजिटल मुद्रा विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। भारत में इस डिजिटल मुद्रा को "डिजिटल रुपया (e₹)" या "केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC)" कहा जाता है, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी किया जाता है।

CBDC (Central Bank Digital Currency) किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा है। यह देश की मुद्रा का डिजिटल स्वरूप है और इसे वैधानिक मुद्रा (Legal Tender) का दर्जा प्राप्त होता है। भारत में CBDC को **डिजिटल रुपया (e₹)** के नाम से जाना जाता है।



9.1. डिजिटल रुपया के प्रकार

डिजिटल रुपया मुख्यतः दो प्रकार का होता है—

1. होलसेल CBDC (CBDC-W) : होलसेल CBDC का उपयोग मुख्य रूप से सरकार द्वारा चयनित बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के बीच बड़े वित्तीय लेन-देन के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को अधिक कुशल, तेज़ एवं सुरक्षित बनाना है।

2. रिटेल CBDC (CBDC-R) : रिटेल CBDC आम नागरिकों, व्यापारियों तथा व्यवसायों के उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इसका उपयोग दैनिक खरीदारी, धन हस्तांतरण तथा अन्य सामान्य भुगतान कार्यों में किया जा सकता है।

9.2. डिजिटल रुपया के लाभ

डिजिटल रुपया के अनेक महत्वपूर्ण लाभ हैं—

- इसे नकद की तरह जेब में रखने की आवश्यकता नहीं होती।
- **सरकार देश में आने-जाने वाले धन के प्रवाह की बेहतर निगरानी कर सकती है।**
- नकली नोटों की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण संभव है।
- कागज़ी नोटों की छपाई, परिवहन और रखरखाव पर होने वाला खर्च कम होता है।
- डिजिटल रुपया सुरक्षित डिजिटल प्रणाली पर आधारित होने के कारण इसकी सुरक्षा अधिक होती है।
- नोटों के फटने, खोने या नष्ट होने का जोखिम समाप्त हो जाता है।
- **इसका उपयोग डिजिटल वॉलेट के माध्यम से सरलता से किया जा सकता है।**
- छोटे एवं बड़े दोनों प्रकार के भुगतान तुरंत किए जा सकते हैं।
- **डिजिटल अर्थव्यवस्था और कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा मिलता है।**
- भविष्य में अंतरराष्ट्रीय भुगतान को भी अधिक तेज़ और कम लागत वाला बनाया जा सकता है।

9.3. डिजिटल रुपया (CBDC) की हानियाँ

1. डिजिटल रुपया से किए गए लेन-देन का रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है, जिससे उपयोगकर्ताओं की वित्तीय गोपनीयता प्रभावित हो सकती है।
2. डिजिटल मुद्रा के माध्यम से किए गए प्रत्येक लेन-देन पर सरकार और केंद्रीय बैंक अधिक प्रभावी निगरानी रख सकते हैं, जिससे कुछ लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं।
3. फिजिकल कैश पर पुरी तरीके से मालिक का कंट्रोल बना रहता है जबकि डिजिटल करेंसी पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा।
4. यद्यपि CBDC को सुरक्षित तकनीक पर विकसित किया जाता है, फिर भी साइबर हमलों, तकनीकी त्रुटियों या सिस्टम विफलता का जोखिम पूरी तरह समाप्त नहीं होता।
5. डिजिटल रुपया का उपयोग करने के लिए मोबाइल फोन, डिजिटल वॉलेट तथा कई मामलों में इंटरनेट की आवश्यकता होती है। दूरस्थ क्षेत्रों में यह चुनौती बन सकता है।
6. सर्वर, नेटवर्क या बिजली की समस्या होने पर लेन-देन अस्थायी रूप से बाधित हो सकते हैं।

वर्तमान में भारत तकनीकी रूप से पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं है। हमारे पास न तो मोबाइल उपकरणों के लिए Android जैसा अपना स्वदेशी सॉफ़्टवेयर है और न ही कंप्यूटर व लैपटॉप के लिए Microsoft जैसा कोई सक्षम स्वदेशी विकल्प।

9.4. यूनिवर्सल बेसिक इनकम (Universal Basic Income - UBI)

कल्पना कीजिए एक ऐसे भविष्य की, जहाँ व्यक्ति को हर महीने अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार की ओर से एक निश्चित आर्थिक सहायता प्राप्त हो। यह विचार किसी कल्पना मात्र का विषय नहीं है, बल्कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में तेजी से चर्चा का विषय बन रहा है —

यूनिवर्सल बेसिक इनकम (Universal Basic Income - UBI)।

यूनिवर्सल बेसिक इनकम का अर्थ है कि सरकार देश के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी शर्त के एक निश्चित राशि नियमित रूप से प्रदान करे। इसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा देना है, ताकि वह भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

UBI की आवश्यकता क्यों है?

आज दुनिया तेजी से तकनीकी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स और ऑटोमेशन** ने काम करने के तरीके को पूरी तरह बदलना शुरू कर दिया है। फैक्ट्रियों में रोबोट इंसानों की जगह ले रहे हैं, ग्राहक सेवा में चैटबॉट का उपयोग बढ़ रहा है और कई क्षेत्रों में मशीनें मानव श्रम का विकल्प बन रही हैं। तकनीक का विकास मानव जीवन को आसान बना रहा है, लेकिन इसके साथ रोजगार की सुरक्षा को लेकर चिंताएँ भी बढ़ रही हैं। भविष्य में कई ऐसे कार्य, जो आज मनुष्य करते हैं, उन्हें मशीनें अधिक तेजी और दक्षता से कर सकती हैं।

मस्क कहते हैं:

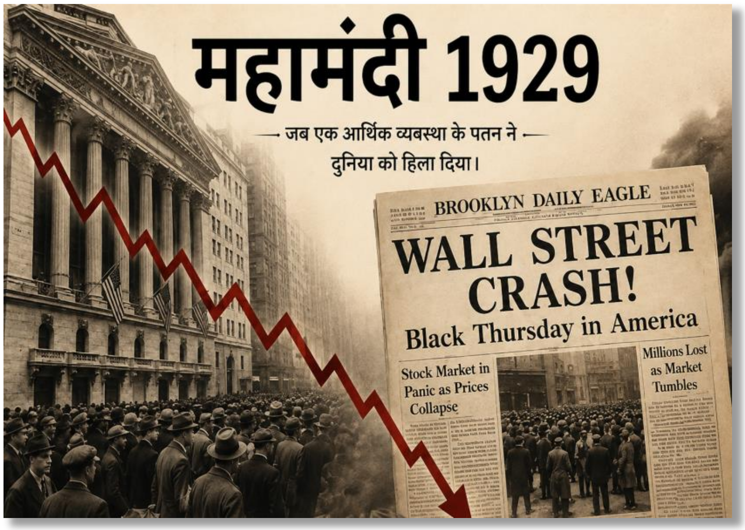
"In the future, we will see more and more automation. There will be fewer jobs that a robot can't do better. That's why we'll need Universal

अध्याय– 10

महामंदी 1929

महामंदी, 1929 में शुरू हुई और लगभग 1939 तक चली एक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी। यह औद्योगिक पश्चिमी दुनिया द्वारा अनुभव की गई अब तक की सबसे लंबी और सबसे गंभीर मंदी थी, जिसने आर्थिक संस्थानों, व्यापक आर्थिक नीति और आर्थिक सिद्धांत में मूलभूत परिवर्तन लाए।

संयुक्त राज्य अमेरिका में महामंदी के कारण उत्पादन में भारी गिरावट, भीषण बेरोजगारी और दुनिया के लगभग हर देश में तीव्र अपस्फीति हुई। इसके सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी कम भयावह नहीं थे, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहाँ महामंदी अमेरिकी गृहयुद्ध के बाद से अमेरिकियों द्वारा झेली गई सबसे कठिन विपत्ति थी।



10.1. बैंकिंग घबराहट और मौद्रिक संकुचन

कुल मांग को अगला झटका 1930 की शरद ऋतु में लगा, जब चार लहरों में से पहली लहर आई। अमेरिका में बैंकिंग संकट छा गया। बैंकिंग संकट तब उत्पन्न होता है जब कई जमाकर्ता एक साथ बैंकों की वित्तीय स्थिति पर विश्वास खो देते हैं और अपनी जमा राशि नकद में वापस करने की मांग करते हैं।



अमेरिका ने 1930 के पतझड़, 1931 के वसंत, 1931 के पतझड़ और 1932 के पतझड़ में व्यापक बैंकिंग संकट का अनुभव किया। संकट की अंतिम लहर 1933 की सर्दियों तक जारी रही और राष्ट्रीय "राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट ने 6 मार्च, 1933 को " बैंक अवकाश " घोषित किया। इस अवकाश के दौरान सभी बैंक बंद रहे और सरकारी निरीक्षकों द्वारा दिवालियापन की

पुष्टि होने के बाद ही उन्हें दोबारा खोलने की अनुमति दी गई। इस संकट ने अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली को बुरी तरह प्रभावित किया।

10.2. महामंदी के दौरान किन वर्गों को अपेक्षाकृत लाभ मिला?

1929 की महामंदी (Great Depression) विश्व इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक आपदाओं में से एक थी। इस संकट ने करोड़ों लोगों को बेरोजगारी, गरीबी और आर्थिक अस्थिरता की ओर धकेल दिया। लेकिन इस गंभीर आर्थिक गिरावट के बीच कुछ ऐसे वर्ग भी थे जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिला।

महामंदी से पहले अमेरिका और यूरोप में शेयर बाजार तेजी से बढ़ रहा था और सट्टेबाजी का माहौल बना हुआ था। कई निवेशक उधार लेकर शेयर खरीद रहे थे और बाजार की कीमतें वास्तविकता से कहीं अधिक बढ़ गई थीं। जब 1929 में बाजार गिरा, तो अधिकांश छोटे निवेशक पूरी तरह बर्बाद हो गए, लेकिन कुछ बड़े और अनुभवी वित्तीय खिलाड़ियों ने इस संकट को अवसर में बदल दिया। जब बाजार में भारी गिरावट आई और शेयरों की कीमतें बहुत नीचे चली गईं, तब इन मजबूत निवेशकों ने उन्हीं अच्छी कंपनियों के शेयर बहुत कम दाम पर खरीद लिए। इस तरह उन्होंने भविष्य में जब बाजार सुधरा, तो भारी मुनाफा कमाया।

इसके अलावा, कुछ बड़े बैंक और वित्तीय संस्थान भी इस संकट से मजबूत होकर निकले। कई छोटे बैंक और कमजोर वित्तीय संस्थान दिवालिया हो गए, जिसके बाद उनके ग्राहक, संपत्ति और बाजार हिस्सेदारी बड़े बैंकों के पास चली गई। इससे वित्तीय क्षेत्र में शक्ति का केंद्रीकरण बढ़ गया और कुछ बड़ी संस्थाओं का प्रभाव और अधिक मजबूत हो गया।

इसी तरह, कुछ बड़ी कंपनियाँ जो इस संकट को झेलने में सक्षम थीं, उन्हें भी अप्रत्यक्ष लाभ हुआ। जैसे ही कमजोर कंपनियाँ बाजार से बाहर हो गईं, प्रतिस्पर्धा कम हो गई और मजबूत कंपनियों के लिए अपने व्यापार का विस्तार करना आसान हो गया। लंबे समय में इससे उनका बाजार नियंत्रण बढ़ गया।

हालाँकि, यह स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है कि यह लाभ बहुत सीमित वर्गों तक ही रहा। महामंदी का सबसे बड़ा प्रभाव आम जनता, मजदूरों, किसानों और मध्यम वर्ग पर पड़ा, जिन्होंने अपनी नौकरियाँ, बचत और जीवन की स्थिरता खो दी। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए और लाखों परिवार गरीबी में चले गए। कई परिवार भोजन, घर और बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करने लगे।

10.3. "New Deal"

न्यू डील के अधिकांश कानून रूजवेल्ट के राष्ट्रपति पद के पहले तीन महीनों (9 मार्च-16 जून, 1933) के भीतर लागू किए गए थे, जिन्हें सौ दिन के नाम से जाना जाता है। नए प्रशासन का पहला उद्देश्य देश के बड़ी संख्या में वंचितों की पीड़ा को कम करना था।

"New Deal" अमेरिका में महामंदी (**Great Depression**) के दौरान शुरू किया गया एक बड़ा आर्थिक और सामाजिक सुधार कार्यक्रम था। इसे अमेरिकी राष्ट्रपति **Franklin D. Roosevelt** ने 1933 में शुरू किया था, जब अमेरिका गंभीर आर्थिक संकट, बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रहा था।

1929 की महामंदी के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था लगभग टूट चुकी थी। हजारों बैंक बंद हो गए थे, उद्योग ठप पड़ गए थे और करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके थे। जनता का सरकार और आर्थिक व्यवस्था पर भरोसा कमजोर हो गया था। ऐसे समय में Roosevelt ने **"New Deal"** नामक कार्यक्रम लागू किया, जिसका उद्देश्य केवल अर्थव्यवस्था को बचाना ही नहीं बल्कि आम जनता को राहत देना और भविष्य में ऐसे संकटों को रोकना भी था।

New Deal मुख्य रूप से तीन उद्देश्यों पर आधारित था, जिन्हें अक्सर **"3 Rs"** कहा जाता है:

- **Relief (राहत)** – गरीबों और बेरोजगारों को तुरंत सहायता देना
- **Recovery (पुनर्प्राप्ति)** – अर्थव्यवस्था को फिर से चलाना
- **Reform (सुधार)** – भविष्य में ऐसे संकट रोकने के लिए व्यवस्था में बदलाव करना

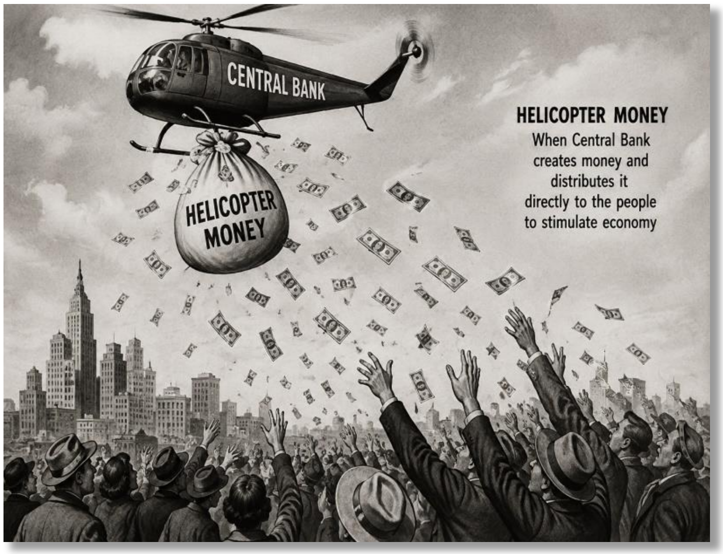
सरकार ने बड़े पैमाने पर रोजगार योजनाएँ शुरू कीं। सड़कों, पुलों, बांधों, सरकारी भवनों और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं का निर्माण कराया गया ताकि लोगों को काम मिल सके। लाखों बेरोजगारों को इन योजनाओं के माध्यम से रोजगार मिला। बैंकिंग क्षेत्र में भी बड़े सुधार किए गए। **कई कमजोर बैंकों को बंद किया गया और नए नियम बनाए गए ताकि लोगों की जमा पूंजी सुरक्षित रहे।** इसी दौरान बैंक जमा सुरक्षा जैसी व्यवस्थाएँ शुरू हुईं, जिससे जनता का विश्वास वापस बढ़ा। किसानों की मदद के लिए सरकार ने कृषि योजनाएँ लागू कीं और उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए नए आर्थिक कानून बनाए गए।

अध्याय– 11

Helicopter Money

आधुनिक अर्थव्यवस्था में जब किसी देश पर गंभीर आर्थिक संकट, मंदी, बेरोजगारी या मांग की भारी कमी जैसी स्थिति आती है, तब सरकारें और केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को फिर से सक्रिय करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाते हैं। इन्हीं विचारों में से एक महत्वपूर्ण अवधारणा है **"Helicopter Money"**।

Helicopter Money यह शब्द सुनने में असामान्य लगता है, लेकिन अर्थशास्त्र में इसका गहरा महत्व है। इसका संबंध इस विचार से है कि आर्थिक संकट के समय सरकार या केंद्रीय बैंक सीधे जनता तक पैसा पहुँचाकर बाजार में मांग और आर्थिक गतिविधि को बढ़ा सकते हैं।



"Helicopter Money" शब्द का प्रयोग प्रसिद्ध अर्थशास्त्री **Milton Friedman** ने एक उदाहरण के रूप में किया था। उन्होंने कल्पना की थी कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में लोग खर्च नहीं कर रहे हों और बाजार ठहर गया हो, तो मानो हेलीकॉप्टर से पैसे गिरा दिए जाएँ ताकि लोग उन्हें उठाकर खर्च करें और आर्थिक गतिविधि फिर से शुरू हो जाए। यह वास्तविक हेलीकॉप्टर से पैसे गिराने की योजना नहीं थी, बल्कि एक आर्थिक रूपक था।

इस विचार का मूल उद्देश्य यह है कि जब अर्थव्यवस्था में मांग बहुत कम हो जाती है, उद्योग बंद होने लगते हैं, लोग बेरोजगार हो जाते हैं और बाजार में पैसा घूमना बंद हो जाता है, तब सरकार सीधे लोगों के हाथ में पैसा पहुँचाकर खर्च बढ़ाने का प्रयास करे। जब लोग खर्च करेंगे, तो दुकानों की बिक्री बढ़ेगी, उद्योग उत्पादन बढ़ाएँगे, मजदूरों को काम मिलेगा और धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था फिर सक्रिय हो जाएगी।

सामान्य परिस्थितियों में केंद्रीय बैंक ब्याज दरें कम करके या बैंकों को अधिक ऋण देकर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी-कभी स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि लोग और कंपनियाँ ऋण लेने से भी डरने लगती हैं। ऐसी स्थिति में केवल बैंकिंग

प्रणाली के माध्यम से पैसा देना पर्याप्त नहीं होता। तब Helicopter Money जैसी अवधारणाओं पर चर्चा होती है, जिसमें पैसा सीधे जनता तक पहुँचाया जाता है।

हालाँकि Helicopter Money के कई लाभ बताए जाते हैं, लेकिन इसके साथ गंभीर जोखिम भी जुड़े हैं। यदि सरकार बहुत अधिक मात्रा में पैसा बाजार में डाल दे और उत्पादन उतना न बढ़े, तो महँगाई (Inflation) तेजी से बढ़ सकती है। जब बाजार में वस्तुओं की तुलना में पैसा अधिक हो जाता है, तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं। अत्यधिक स्थिति में यह मुद्रा के मूल्य को कमजोर कर सकता है और आर्थिक अस्थिरता पैदा कर सकता है।

Helicopter Money को लेकर सबसे बड़ा विवाद यही है कि यह अस्थायी राहत है या दीर्घकालिक समाधान। समर्थकों के अनुसार यह आर्थिक संकट के समय बाजार को बचाने का प्रभावी तरीका हो सकता है, जबकि आलोचकों के अनुसार अत्यधिक मुद्रा आपूर्ति भविष्य में बड़े आर्थिक संकट और महँगाई को जन्म दे सकती है।

"Helicopter Money is the idea of creating new money and distributing it directly to the public to stimulate demand during severe economic downturns."

— Inspired by Milton Friedman (1969)

"Helicopter money is a permanent increase in the money stock distributed directly to the private sector without creating corresponding debt."

— **Willem H. Buiter**

अध्याय– 12

रुपया की मांग

भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

CO.DCM(ADM) No. S3201/06.08.05/2024-25 January 29, 2025

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र

Application under the Right to Information Act, 2005

पंजीकरण संख्या Registration number	:	**RBIND/R/E/25/00113**
आवेदक का नाम Applicant's Name	:	**Shri Appun Kumar**
आरटीआई पोर्टल पर आवेदन की पंजीकरण तिथि Date of registration of application on RTI portal	:	**January 05, 2025**
उत्तर की तारीख Date of reply	:	**January 29, 2025**

Sr. No.	Query	Reply
	I, Appun Kumar, Village - Nautan, Post - Jamo Bazar, District -Siwan, Pincode - 841413, had sent an application on 21-12-2024 to Shri Vivek Deep, Executive Director, Reserve Bank of India, 17th Floor, Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai - 400001. The speed post tracking number of this letter is EF576358794IN, which was received at the above address on 26-12-2024. Its detailed description is given in the Supporing document in PDF format. Please inform me about the current status of the application sent by me. I will be grateful to you for your help. please give me answer in hindi	Reply to your letter dated December 21, 2024 has been given vide our letter DCM (Plg) No. S-2913/10.02.00/2024-25 dated January 03, 2025. Copy of the above letter enclosed. आपके द्वारा भेजे गए दिनांक 21 दिसंबर 2024 के पत्र का जवाब दिनांक 03 जनवरी 2025 के हमारे पत्र DCM (Plg) No. S-2913/10.02.00/2024-25 द्वारा दिया गया है। उपर्युक्त पत्र की प्रति संलग्न की गयी है।

भवदीय / Yours faithfully,

(संजीव प्रकाश/Sanjeev Prakash)

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी / Central Public Information Officer

मुद्रा प्रबंध विभाग, केंद्रीय कार्यालय, अमर भवन, चौथी मंजिल, सर पी. एम. रोड, मुंबई - 400 001

दूरभाष: 91-22-2260 4401 ईमेल आईडी: dcmrie@rbi.org.in

Department of Currency Management, Central Office, Amar Building, 4th Floor, Sir P.M.Road, Mumbai 400 001

Tel No: 91-22-2260 4401 Email ID : dcmrie@rbi.org.in

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

DCM (Plg) No.S-2913/10.02.00/2024-25

03 जनवरी 2025

श्री अप्पुन कुमार
ग्राम- नौतन, पोस्ट- जामो बाजार
जिला- सिवान, वार्ड- 01
पिन कोड- 841413
मो नं- 09294920698

महोदय,

अपना वास्तविक धन लेने हेतु आवेदन पत्र

कृपया उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक 21 दिसंबर 2024 के पत्र का संदर्भ लें।

2. इस संदर्भ में सुचित किया जाता है की, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी बैंकनोट भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए जाते है ।

यह अधिनियम हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर प्रकाशन सामयिक प्रकाशन के अंतर्गत निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है।

https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/PublicationRBIAct.aspx

3. इसके अतिरिक्त, आपके द्वारा भेजा गया ₹10 का बैंकनोट (सीरियल नं -87V 468076) वापस किया जा रहा है।

o/c

भवदीया,
शरयू
(शरयू हेड़ाऊ)
प्रबंधक

मुद्रा प्रबंध विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, चौथी मंज़िल, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. मार्ग, पोस्ट बॉक्स सं. 1379, मुंबई-400001(भारत)
फोन: +91-22-2260 3000 / 4000; फैक्स +91-22-2266 2442; ई मेल: cgmincdcm@rbi.org.in
Department of Currency Management, Central Office, 4th Floor, Amar Building, Sir P. M. Road, Post Box No.1379, Mumbai – 400 001(India); Tel: +91-22-2260 3000 / 4000; Fax: +91-22-2266 2442; E-mail: cgmincdcm@rbi.org.in

हिन्दी आसान है इसका प्रयोग बढ़ाइए

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

CO.DCM(ADM) No. S3809/06.08.05/2024-25 March 24, 2025

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र
Application under the Right to information Act, 2005

पंजीकरण संख्या Registration number	:	**RBIND/R/E/25/01341**
आवेदक का नाम Applicant's Name	:	**Shri Appun Kumar**
आरटीआई पोर्टल पर आवेदन की पंजीकरण तिथि Date of registration of application on RTI portal	:	**February 25, 2025**
उत्तर की तारीख Date of reply	:	**March 24, 2025**

Sr. No.	Query	Reply
	Appun Kumar, a resident of Village - Nautan, Post - Jamo Bazar, District - Siwan, Pincode - 841413, on 20-01-2025 sent a 4-page application to the office of the Department of Currency Management, Reserve Bank of India, Reserve Bank of India, 17th Floor, Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai- 400001, the subject of which was: - Regarding the reply provided by the Department of Currency Management. Which has been received in the said office on 27-01-2025. Therefore, it is necessary to know what action was taken on it after receiving the above letter, to which officers of the department it was brought to the notice, and what is its current status? Its detailed description is given in the supporting document in PDF format. Please inform me about the current status of the application sent by me. I will be grateful to you for your help. Please answer me in Hindi	Reply to your letter dated January 20, 2025 has been given vide our letter DCM (Plg) No. S-3627/10.02.00/2024-25 dated March 05, 2025. Copy of our reply is enclosed.
	सविनय निवेदन यह हैं की अप्पुन कुमार जो की ग्राम - नौतन, पोस्ट - जामो बाजार, जिला - सिवान, पिनकोड - 841413 का निवासी है के द्वरा दिनांक 21-12-	आपके दिनांक 20 जनवरी 2025 के पत्र का उत्तर हमारे दिनांक 05 मार्च 2025 के पत्र DCM (Plg) No. S-

मुद्रा प्रबंध विभाग, केंद्रीय कार्यालय, अमर भवन, चौथी मंजिल, सर पी. एम. रोड, मुंबई - 400 001
दूरभाष: 91-22-2260 4401 ईमेल आईडी: dcmria@rbi.org.in

Department of Currency Management, Central Office, Amar Building, 4th Floor, Sir P.M.Road, Mumbai 400 001
Tel No: 91-22-2260 4401 Email ID : dcmria@rbi.org.in

मुद्रा वि. के. का. मुंबई DCM, C.O. Mumbai Reserve Bank of India

2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के भारतीय रिजर्व बैंक, 17वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 में स्थित मुद्रा प्रबंध विभाग के कार्यालय में 5 पृष्ठों का एक आवेदन पत्र प्रेषित किया था, जिसका विषय था "अपना वास्तविक धन प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र"। तथा उक्त कार्यालय द्वारा उक्त आवेदन के संदर्भ में रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से उत्तर प्रेषित किया गया, जिसका ट्रैकिंग नंबर RM134251500IN है। तथा यह पत्र अप्पुन कुमार को दिनांक 10-01-2025 को प्राप्त हुआ। जिस उत्तर के संदर्भ में स्पष्टीकरण हेतु निवेदक अप्पुन कुमार द्वारा दिनांक 20-01-2025 को पुनः एक पत्र स्पीड पोस्ट जिसका ट्रैकिंग नंबर EF576361135IN हैं के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के भारतीय रिजर्व बैंक, 17वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 में स्थित मुद्रा प्रबंध विभाग के कार्यालय में 4 पृष्ठों का एक आवेदन पत्र प्रेषित किया जिसका विषय था मुद्रा प्रबंध विभाग द्वारा प्रदान किये गए उत्तर के संबंध में। जो की दिनांक 27-01-2025 को उक्त कार्यालय में प्राप्त हुआ। अब तक निवेदक अप्पुन कुमार को इस पत्र के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अतः यह जानना आवश्यक है कि उपर्युक्त पत्र प्राप्त होने के उपरांत इस पर क्या कार्यवाही की गई, इसे विभाग के किन-किन अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया, एवं वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है?	3627/10.02.00/2024-25 के द्वारा दिया गया है। हमारे उपरोक्त पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की गयी है।

भवदीय / Yours faithfully,

संजीव प्रकाश

(संजीव प्रकाश/Sanjeev Prakash)

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी / Central Public Information Officer

For your information, the First Appellate Authority in Reserve Bank of India is Shri Aviral Jain, Executive Director, Reserve Bank of India, Central Office, Amar Building, Sir P. M. Road, Mumbai - 400 001. Appeal, if any, in respect of the above reply, should be preferred within 30 days to the Appellate Authority.

हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी श्री अविरल जैन, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, अमर भवन, चौथी मंजिल, सर पी. एम. रोड, मुंबई - 400001 हैं । इस उत्तर के संबंध में आप यदि कोई अपील करना चाहें तो उसे इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को भेज सकते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक मु.प्र.वि. के.का. मुंबई DCM C.O. Mumbai Reserve Bank of India

	2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के भारतीय रिजर्व बैंक, 17वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 में स्थित मुद्रा प्रबंध विभाग के कार्यालय में 5 पृष्ठों का एक आवेदन पत्र प्रेषित किया था, जिसका विषय था "अपना वास्तविक धन प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र"। तथा उक्त कार्यालय द्वारा उक्त आवेदन के संदर्भ में रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से उत्तर प्रेषित किया गया, जिसका ट्रैकिंग नंबर RM134251500IN है। तथा यह पत्र अप्पुन कुमार को दिनांक 10-01-2025 को प्राप्त हुआ। जिस उत्तर के संदर्भ में स्पष्टीकरण हेतु निवेदक अप्पुन कुमार द्वारा दिनांक 20-01-2025 को पुनः एक पत्र स्पीड पोस्ट जिसका ट्रैकिंग नंबर EF576361135IN हैं के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के भारतीय रिजर्व बैंक, 17वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 में स्थित मुद्रा प्रबंध विभाग के कार्यालय में 4 पृष्ठों का एक आवेदन पत्र प्रेषित किया जिसका विषय था मुद्रा प्रबंध विभाग द्वारा प्रदान किये गए उत्तर के संबंध में। जो की दिनांक 27-01-2025 को उक्त कार्यालय में प्राप्त हुआ। अब तक निवेदक अप्पुन कुमार को इस पत्र के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अतः यह जानना आवश्यक है कि उपर्युक्त पत्र प्राप्त होने के उपरांत इस पर क्या कार्यवाही की गई, इसे विभाग के किन-किन अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया, एवं वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है?	3627/10.02.00/2024-25 के द्वारा दिया गया है। हमारे उपरोक्त पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की गयी है।

भवदीय / Yours faithfully,

संजीव प्रकाश

(संजीव प्रकाश/Sanjeev Prakash)

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी / Central Public Information Officer

For your information, the First Appellate Authority in Reserve Bank of India is Shri Aviral Jain, Executive Director, Reserve Bank of India, Central Office, Amar Building, Sir P. M. Road, Mumbai - 400 001. Appeal, if any, in respect of the above reply, should be preferred within 30 days to the Appellate Authority.

हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी श्री अविरल जैन, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, अमर भवन, चौथी मंजिल, सर पी. एम. रोड, मुंबई - 400001 हैं । इस उत्तर के संबंध में आप यदि कोई अपील करना चाहें तो उसे इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को भेज सकते हैं।

दिनांक **– 21-04-2025**

सेवा में,

श्रीमान मुद्रा प्रबंधक विभाग
भारतीय रिजर्व बैंक **17** मंजिल केंद्रीय कार्यालय भवन,
शाहिद भगत सिंह मार्ग, मुंबई **400001**

प्रेक्षक :**–** अपुन कुमार,स्थाई पता :**–** ग्राम **–** नौतन, थाना **+**पोस्ट **–** जानो बाजार, जिला **–** सीवान, पिन कोड **– 841413**

विषय: बैंक नोट पर अंकित वचन खंड के आधार पर वास्तविक मुद्रा (रुपया) प्रदान करने हेतु

माननीय महोदय,
सविनय निवेदन है कि मेरा नाम अपुन कुमार है तथा मैं भारत देश का निवासी और छात्र हूं। मैं अपने दैनिक लेन-देन में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए बैंक नोटों का उपयोग करता हूं। इन बैंक नोटों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के गर्वनर के हस्ताक्षर होते हैं तथा ये भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत होते हैं, जैसा कि बैंक नोटों पर स्पष्ट रूप से अंकित रहता है। साथ ही, इन नोटों पर यह भी लिखा होता है कि – **"**मैं धारक को **₹ …** रुपया अदा करने का वचन देता हूं।**"**

माननीय महोदय, मेरे पास **₹ 10** रुपया अंकित राशि का एक बैंक नोट है, जिसकी क्रमांक संख्या **38M 972937** है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस बैंक नोट के एवज में मुझे मेरा वास्तविक रुपया प्रदान किया जाए, जैसा कि उस बैंक नोट पर अंकित वचन में उल्लेख है। की **"**मैं धारक को **₹ 10** रुपया अदा करने का वचन देता हूं।**"**

अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि भारत की आधिकारिक मुद्रा “रुपया” है, जो भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है। इसके बदले में भारतीय रिज़र्व बैंक बैंक नोट जारी करता है, जो धारक को देय माने जाते हैं।

माननीय महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया मुझे मेरे **₹10** रुपया अंकित राशि वाले बैंक नोट के बदले वास्तविक रुपया प्रदान करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

DCM (Plg) No.S- 389/10.02.00/2024-25

02 मई 2025

श्री अप्पुन कुमार
ग्राम- नौतन, पोस्ट- जामो बाजार
जिला- सिवान, वार्ड- 01
पिन कोड- 841413
मो नं- 09294920698

महोदय,

बैंक नोट पर अंकित वचन खंड के आधार पर वास्तविक मुद्रा (रुपया) प्रदान करने हेतु

कृपया उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक 21 अप्रैल 2025 के पत्र का संदर्भ लें।

2. वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और सिक्का अधिनियम, 2011 के अंतर्गत बैंक नोटों और सिक्कों को जारी किया जाता है। इन अधिनियमों के प्रावधान रुपये/सिक्के के किसी मानक मूल्य का उल्लेख नहीं करते हैं। कागजी मुद्रा और सिक्कों से संबंधित पूर्ववर्ती वैधानिक प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया है।

3. इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 26 के अनुसार, प्रत्येक बैंक नोट भारत में किसी भी स्थान पर उसमें व्यक्त राशि के भुगतान या खाते में कानूनी निविदा होगा और केंद्र सरकार द्वारा इसकी गारंटी दी जाएगी।

4. इसके अलावा, किसी बैंक नोट के मूल्य की वापसी भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियम, 2009 [भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) संशोधन नियम, 2018 द्वारा संशोधित] के अनुसार निर्धारित और वापस की जाएगी, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए "नोटों और सिक्कों के आदान-प्रदान की सुविधा पर मास्टर निर्देश" के संदर्भ के साथ देखा जाए।

5 . इसके अतिरिक्त, आपके द्वारा भेजा गया ₹10 का बैंकनोट (सीरियल नं - 38M 972937) वापस किया जा रहा है।

भवदीया,
शरयु
(शरयू हेड़ाऊ)
प्रबंधक

मुद्रा प्रबंध विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, चौथी मंज़िल, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. मार्ग, पोस्ट बॉक्स सं. 1379, मुंबई-400001(भारत)
फोन: +91-22-2260 3000 / 4000; फैक्स: +91-22-2266 2442; ई-मेल: cgmincdcm@rbi.org.in
Department of Currency Management, Central Office, 4th Floor, Amar Building, Sir P. M. Road, Post Box No.1379, Mumbai – 400 001(India); Tel: +91-22-2260 3000 / 4000; Fax: +91-22-2266 2442; E-mail: cgmincdcm@rbi.org.in

हिन्दी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाईए

12.2. शंशय समाधान

कुछ लोगों का यह मत है कि स्वर्ण मानक को हटाया जाना न तो उचित था और न ही वैध, बल्कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के भी विरुद्ध है।

<u>कथन</u>

रुपया शब्द का अभिप्रेत ही चांदी के सिक्के से है और जब तक “रुपया” शब्द का उपयोग होता रहेगा, तब तक चांदी के सिक्के का अस्तित्व बना रहेगा।

भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 के अस्तित्व में आने के उपरांत तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 में "सिक्का निर्माण अधिनियम 1906" के स्थान पर "2011" शब्द का प्रतिस्थापन करने के बाद भी भारतीय मुद्रा प्रणाली में 1 रुपये का मानक मूल्य अपरिवर्तनीय रूप से बना हुआ है, जो कि 1 रुपये की दर से 0.7776 ग्राम सोना के रूप में है।

क्यों कि किसी भी वस्तु के मानक मूल्य में छेड़-छाड़ नहीं की जा सकती है, क्योंकि किसी भी वस्तु के मानक में परिवर्तन करना न केवल नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है बल्कि विधिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी न्यायसंगत नहीं है।

कुछ अर्थशास्त्रियों और विधिवेत्ताओं का मत

यह उल्लेखनीय है कि जहाँ एक पक्ष यह मानता है कि रुपये का अवमूल्यन विधिक रूप से असंगत एवं दंडनीय कृत्य है, वहीं कुछ अर्थशास्त्रियों और विधिवेत्ताओं का मत इससे भिन्न है। इन विचारकों का दृष्टिकोण "Money is Nothing but a Symbolic Representation of Value" सिद्धांत पर आधारित है।

इस मत के अनुसार, मुद्रा स्वयं में कोई वास्तविक अथवा अंतर्निहित मूल्य नहीं रखती, अपितु वह एक प्रतीकात्मक मूल्य है, जो केवल राज्य की वैधानिक घोषणा तथा जनता की सामूहिक स्वीकृति से ही मूल्यवान और प्रचलन योग्य मानी जाती है। यह विचार सामाजिक अनुबंध की अवधारणा के अंतर्गत आता है, जहाँ मुद्रा का अस्तित्व और महत्व केवल समाज की सहमति और शासन की वैधता पर आधारित होता है।

- **Money is nothing Principle** यह एक विचारधारा है जो यह कहती है कि मुद्रा अपने आप में कोई मूल्य नहीं रखता है, बल्कि यह केवल एक माध्यम है जो हमें सामान और सेवाएं खरीदने में मदद करता है।
- धन एक समुदाय के भीतर एक समझौता है, जिसमें किसी चीज़ को विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है - **Bernard A. Lietaer**

प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
इ-मेल email: helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, मुंबई-400001
DEPARTMENT OF COMMUNICATION, Central Office, S.B.S.Marg, Mumbai-400001
फोन/Phone: 91 22 2266 0502 फैक्स/Fax: 91 22 22660358

May 30, 2017

Issue of Re. 1 denomination currency notes with Rupee symbol (₹) and the inset letter 'L'

The Reserve Bank of India will soon put into circulation currency notes in one rupee denomination. The notes have been printed by the Government of India.

These currency notes are legal tender as provided in The Coinage Act 2011. The existing currency notes in this denomination in circulation will also continue to be legal tender.

Dimensions and paper composition of One Rupee Currency Note as indicated in the Notification No G.S.R. 516(E) dated May 25, 2017 by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, published in the Gazette of India–Extraordinary-Part –II-Section 3-Sub-section (i), No. 417 dated May 25, 2017 will be :

Denomination of Note	***Shape and Size***	***Paper Composition***
One Rupee Currency Note	Rectangular 9.7 x 6.3 cm	100 per cent (Cotton) Rag Content
		Weight of Paper:- 90 GSM (Grams per Square Meter)
		Thickness of Paper:- 110 microns
		Multi tonal Watermarks :- (i) Ashoka Pillar in the window without words '**सत्यमेव जयते**' (ii) Hidden Numeral '1' in the centre (iii) Hidden Word '**भारत**' vertically arranged on right hand side.

The design of the One Rupee Currency Notes will be as under:

(1) Obverse:

(a) It contains the words '**भारत सरकार**' above the words "Government of India" with the bilingual signature of Shri Shaktikanta Das, Secretary, Ministry of finance and with the replica of New Rupee One coin with ₹ symbol of 2017 issued with '**सत्यमेव जयते**' and capital insert letter 'L' in numbering panel. The numbering will be in black at right hand bottom portion of the note.

(b) The numbering shall be in black at right hand bottom portion of the Note in ascending size of numerals from left to right, while the first three alphanumeric characters(prefix) remains constant in size.

(2) Reverse: It contains the words 'भारत सरकार' above the words "Government of India" with the year 2017 on the representation of One Rupee coin with ₹ symbol having floral design and the surrounding design consists of the picture of 'Sagar Samrat' the oil exploration platform and with the authentic rendering of value in fifteen Indian languages in language panel with the year figure shown on the centre bottom in international number.

(3) **Overall Colour Scheme:** The colour of One Rupee Currency Note shall be predominantly pink green on obverse and reverse in combination with others.

Ajit Prasad
Assistant Adviser

Press Release : 2016-2017/3222

अध्याय– 13

सूचना का अधिकार

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत नागरिकों को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसी अधिकार के व्यापक अर्थ में सूचना प्राप्त करने के अधिकार को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को यह जानने का अधिकार होना आवश्यक है कि सरकार और सार्वजनिक संस्थाएँ किस प्रकार कार्य कर रही हैं तथा सार्वजनिक संसाधनों और धन का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है।

1975 में राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किया कि

> लोकतंत्र में जनता को सरकार के कार्यों के बारे में जानने का अधिकार है। न्यायालय ने माना कि **जानकारी के अभाव में नागरिक अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति का प्रभावी रूप से उपयोग नहीं कर सकते।**



सूचना का अधिकार केवल किसी दस्तावेज को प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह **पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक सहभागिता** को मजबूत करने का महत्वपूर्ण साधन है। नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि सरकार कैसे कार्य कर रही है, सार्वजनिक धन कहाँ खर्च किया जा रहा है और सार्वजनिक हित से जुड़े निर्णय किस प्रकार लिए जा रहे हैं।

इसी उद्देश्य को अधिक प्रभावी और विधिक रूप देने के लिए **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005)** बनाया गया। इस अधिनियम के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक किसी भी लोक प्राधिकरण से उसके पास उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड, दस्तावेज, आदेश, रिपोर्ट, निर्णय, नियम आदि से संबंधित जानकारी मांग सकता है।

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दायर कुछ RTI

1. वैध रुपया का दस्तावेज प्रदान करे?
2. बैंक नोट पर प्रारंभिक काल से अंकित वचन खंड, जिसमें "I PROMISS TO PAY THE BEARER ON DEMAND THE SUM OF RUPEES AT ANY OFFICE OF ISSUE " लिखा " गया था, उसे किस कारण और किनकी अनुमति से बदला गया था?
3. . बैंक नोट की पर जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के द्वरा वचन खंड में देने का बचन दिया गया है जो इस प्रकार है :- में धारक को रुपया देने का वचन देता हूँ उस रूपये की लिखित जानकारी तथा उसका प्राणित प्रारूप प्रदान करे।
4. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए बैंक नोटो के ऊपर गारंटी बाय दा सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा जाता है?
5. महोदय क्या भारत आजाद है? यदि हा तो हमारे देश के रुपये पर RBI क्यों लिखा होता है? जबकि हमारे देश के सभी पैसे के नोट पर भारत सरकार लिखा होना चाहिये?
6. बैंक नोट पर बचन खंड है जबकि करेंशी नोट पर बचन खंड नहीं है ऐसा क्यों ?
7. क्या आज बर्तमान समय 2024 में 1 रुपया का मानक मूल्य 0.7776 ग्राम नहीं है?
8. बर्तमान समय में 1 रुपया का मानक मूल्य कितना है?
9. क्या सिक्के का अंकित मूल्य उसके मानक मूल्य के बराबर होता है/था ?
10. वर्त्तमान समय में रुपया का मानक मूल्य क्या है?

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दायर RTI

भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

DCM(ADM) No. S1142 /06.08.05/2024-25 July 10, 2024

Application Form under Right to Information Act 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र

पंजीकरण संख्या Registration Number	:	RBIND/R/T/24/00612
आवेदक Applicant	:	Shri Appun Kumar
आरटीआई पोर्टल पर आवेदन की पंजीकरण तिथि Registration date of application on RTI portal	:	19/06/2024
उत्तर की तारीख Date of reply	:	10/07/2024

SR. NO.	Query	Reply
9	**वैध रुपया का दस्तावेज प्रदान करे।**	कृपया "भारतीय मुद्रा" पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (खंड क- भारतीय मुद्रा / मुद्रा प्रबंधन की मूल बातें, प्रश्न-2) का संदर्भ लें जो की हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है : कार्य-वार साइटें >> मुद्रा प्रबंधन >> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न >> भारतीय मुद्रा https://www.rbi.org.in/hindi/scripts/FS_FAQs.aspx?Id=79&fn=2747

भारतीय मुद्रा

(15 अप्रैल 2025 तक अद्यतन)

क) भारतीय मुद्रा/मुद्रा प्रबंधन से जुड़ी आधारभूत जानकारी

1. भारतीय मुद्रा को क्या कहा जाता है तथा इसका प्रतीक क्या है?

भारतीय मुद्रा का नाम भारतीय रुपया (आईएनआर) है। एक रुपया में 100 पैसे होते हैं। भारतीय रुपये का प्रतीक "₹" है। यह रूपरेखा (डिजाइन) देवनागरी अक्षर "र" (२) तथा लैटिन के बड़े "आर/R" अक्षर के समान है जिसमें शीर्ष पर दोहरी क्षैतिज रेखा है।

1. वैध मुद्रा क्या है?

ऐसे सिक्के अथवा बैंकनोट जिसे कानूनी रूप से कर्ज अथवा देयता के एवज में दी जा सके, वैध मुद्रा होगी। भारत सरकार द्वारा सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 की धारा 6 के तहत जारी सिक्के भुगतान अथवा अग्रिम के तौर पर वैध मुद्रा होंगे, बशर्ते कि उन्हें विकृत नहीं किया गया हो तथा निर्धारित वजन की तुलना में उसका वजन कम नहीं हुआ हो। एक रुपया से कम मूल्यवर्ग को छोड़कर किसी भी सिक्के को किसी एकल लेनदेन में एक हजार रुपये तक की किसी भी राशि के संबंध में वैध मुद्रा माना जाएगा। पचास पैसे (आधा रुपया) का सिक्का, दस रुपये तक की राशि के लिए वैध मुद्रा होगा। किसी को भी उल्लिखित सीमा से अधिक सिक्के स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, किंतु स्वेच्छा से उक्त सीमा से अधिक सिक्के स्वीकार करने पर रोक नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रत्येक बैंकनोट (₹2, ₹5, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹200, ₹500 तथा ₹2000'), जब तक कि उसे संचलन से वापस न ले लिया जाए, उसमें उल्लिखित राशि के लिए भुगतान अथवा अग्रिम के तौर पर भारत में वैध होगा, तथा भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 26 की उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन होगा। भारत सरकार द्वारा जारी ₹1 के नोट भी वैध मुद्रा होंगे। महात्मा गांधी श्रृंखला के अंतर्गत 08 नवंबर 2016 तक जारी किए गए ₹500 तथा ₹1000 के बैंकनोट 08 नवंबर 2016 की मध्यरात्रि से वैध मुद्रा नहीं रहे।

भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

DCM(ADM) No. S2668 /06.08.05/2024-25 December 13, 2024

Application Form under Right to Information Act 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र

पंजीकरण संख्या Registration Number	:	RBIND/R/E/24/07350
आवेदक Applicant	:	Shri Appun Kumar
आरटीआई पोर्टल पर आवेदन की पंजीकरण तिथि Registration date of application on RTI portal	:	13/11/2024
उत्तर की तारीख Date of reply	:	13/12/2024

SR. NO.	Query	Reply
6	बैंक नोट पर प्रारंभिक काल से अंकित वचन खंड, जिसमें "I PROMISS TO PAY THE BEARER ON DEMAND THE SUM OF RUPEES AT ANY OFFICE OF ISSUE " लिखा " गया था, उसे किस कारण और किनकी अनुमति से बदला गया था?	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 25 के अनुसार बैंकनोट के डिज़ाइन, रूप, सामग्री से संबंधित सभी निर्णय भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा की गयी सिफारिश पर विचार करने के पश्चात केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किये जाते हैं। यह अधिनियम हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर प्रकाशन >सामयिक प्रकाशन पर उपलब्ध है। https://www.rbi.org.in/hindi/Upload/Content/PDFs/RBI%20Act1934Hindi.pdf

भारतीय मुद्रा

(15 अप्रैल 2025 तक अद्यतन)

ख) बैंकनोट

11. एक नए बैंकनोट पर मुद्रित किए जाने वाले रेखाचित्र (फिगर) का निर्धारण कौन करता है?

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की **धारा 25** के अनुसार, बैंकनोट की रूपरेखा (डिजाइन), स्वरूप और सामग्री भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की अनुसंशा के उपरांत केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन के अनुरूप होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

DCM(ADM) No. S2668 /06.08.05/2024-25 December 13, 2024

Application Form under Right to Information Act 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र

पंजीकरण संख्या Registration Number	:	RBIND/R/E/24/07350
आवेदक Applicant	:	Shri Appun Kumar
आरटीआई पोर्टल पर आवेदन की पंजीकरण तिथि Registration date of application on RTI portal	:	13/11/2024
उत्तर की तारीख Date of reply	:	13/12/2024

SR. NO.	Query	Reply
4	बैंक नोट की पर जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के द्वारा वचन खंड में देने का बचन दिया गया है जो इस प्रकार है :- में धारक को रुपया देने का वचन देता हूँ उस रूपये की लिखित जानकारी तथा उसका प्राणित प्रारूप प्रदान करे ।	प्रश्न स्पष्ट नहीं है। तथापि, भारतीय मुद्रा" पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (खंड ख बैंकनोट, प्रश्न 1) का संदर्भ लें, जोकि हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है : कार्य वार साइटें ->> मुद्रा प्रबंधन >> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न >> भारतीय मुद्रा https://www.rbi.org.in/hindi/scripts/FSFAQs.aspx?Id=79&fn=2747

भारतीय मुद्रा

(15 अप्रैल 2025 तक अद्यतन)

ख) बैंकनोट

1. बैंकनोट पर "मैं अदा करने का वचन देता हूँ" वाक्यांश का क्या अर्थ होता है?

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 26 के अनुसार, बैंकनोट के मूल्य का भुगतान करने हेतु बैंक उत्तरदायी है। जारीकर्ता होने के कारण, मांग किए जाने पर यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा देय है।

बैंकनोट पर मुद्रित वचन खंड, अर्थात "मैं धारक को ... रुपये अदा करने का वचन देता हूँ", बैंक की ओर से बैंकनोट धारक के प्रति देयता को दर्शाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

DCM(ADM) No. S1422 /06.08.05/2024-25 December 13, 2024

Application Form under Right to Information Act 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र

पंजीकरण संख्या Registration Number	:	RBIND/R/E/24/04631
आवेदक Applicant	:	Shri Appun Kumar
आरटीआई पोर्टल पर आवेदन की पंजीकरण तिथि Registration date of application on RTI portal	:	19/07/2024
उत्तर की तारीख Date of reply	:	14/08/2024

SR. NO.	Query	Reply
1	**भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए बैंक नोटो के ऊपर गारंटी बाय दा सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा जाता है** कृपया वर्तमान मे इसका कार्यालय कहा पर स्तिथ है और इसका अध्यक्ष कोन है। बताने का कस्ट करें।	बैंक नोटों पर उल्लेखित "केंद्रीय सरकार" का अर्थ "भारत सरकार" है। • प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

DCM(ADM) No. S1137 /06.08.05/2024-25 July 10, 2024

Application Form under Right to Information Act 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र

पंजीकरण संख्या Registration Number	:	RBIND/R/T/24/00608
आवेदक Applicant	:	Shri Appun Kumar
आरटीआई पोर्टल पर आवेदन की पंजीकरण तिथि Registration date of application on RTI portal	:	14/06/2024
उत्तर की तारीख Date of reply	:	10/07/2024

SR. NO.	Query	Reply
2	महोदय क्या भारत आजाद है? यदि हा तो हमारे देश के रुपये पर RBI क्यों लिखा होता है? जबकि हमारे देश के सभी पैसे के नोट पर भारत सरकार लिखा होना चाहिये?	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकनोट के डिज़ाइन, रूप एवं सामग्री से संबंधित सभी निर्णय भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा की गयी सिफ़ारिशों पर विचार करने के पश्चात केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किये जाते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

DCM(ADM) No. S2668 /06.08.05/2024-25 December 13, 2024

Application Form under Right to Information Act 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र

पंजीकरण संख्या Registration Number	:	RBIND/R/E/24/07350
आवेदक Applicant	:	Shri Appun Kumar
आरटीआई पोर्टल पर आवेदन की पंजीकरण तिथि Registration date of application on RTI portal	:	13/11/2024
उत्तर की तारीख Date of reply	:	13/12/2024

SR. NO.	Query	Reply
21	बैंक नोट पर बचन खंड है जबकि करेंशी नोट पर बचन खंड नहीं है ऐसा क्यों?	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 25 के अनुसार बैंकनोट के डिज़ाइन, रूप, सामग्री से संबंधित सभी निर्णय भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा की गयी सिफारिश पर विचार करने के पश्चात केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किये जाते हैं। यह अधिनियम हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर प्रकाशन > सामयिक प्रकाशन निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

DCM(ADM) No. S1142 /06.08.05/2024-25 July 10, 2024

Application Form under Right to Information Act 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र

पंजीकरण संख्या Registration Number	:	RBIND/R/T/24/00612
आवेदक Applicant	:	Shri Appun Kumar
आरटीआई पोर्टल पर आवेदन की पंजीकरण तिथि Registration date of application on RTI portal	:	13/11/2024
उत्तर की तारीख Date of reply	:	13/12/2024

SR. NO.	Query	Reply
5	क्या आज बर्तमान समय 2024 में 1 रुपया का मानक मूल्य 0.7776 ग्राम नहीं है?	नहीं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी बैंकनोट भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए जाते है। यह अधिनियम हमारी वैबसाइट www.rbi.org.in पर प्रकाशन > सामयिक प्रकाशन के अंतर्गत निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है। https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/Publica tionRBIAct.aspx

भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

DCM(ADM) No. S1422 /06.08.05/2024-25 August 14, 2024

Application Form under Right to Information Act 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र

पंजीकरण संख्या Registration Number	:	RBIND/R/E/24/04631
आवेदक Applicant	:	Shri Appun Kumar
आरटीआई पोर्टल पर आवेदन की पंजीकरण तिथि Registration date of application on RTI portal	:	19/07/2024
उत्तर की तारीख Date of reply	:	14/08/2024

SR. NO.	Query	Reply
3	बर्तमान समय में 1 रुपया का मानक मूल्य कितना है?	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी बैंकनोट भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए जाते है। यह अधिनियम हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर प्रकाशन सामयिक प्रकाशन के अंतर्गत उपलब्ध है। https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/PublicationRBIAct.aspx इसके अतिरिक्त, कृपया "भारतीय मुद्रा" पर अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न (खंड क- भारतीय मुद्रा / मुद्रा प्रबंधन की मूल बातें, प्रश्न 1 और 2) का संदर्भ लें, जोकि हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है: कार्य-वार साइटें >> मुद्रा प्रबंधन >> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न >> भारतीय मुद्रा https://www.rbi.org.in/hindi/scripts/FSs.aspx?Id=79&fn=2747 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भारतीय मुद्रा

(15 अप्रैल 2025 तक अद्यतन)

ख) बैंकनोट

2. रूपये का मानक मूल्य क्या है? क्या पेपर मुद्रा अधिनियम अभी भी वैध है?

वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और सिक्का अधिनियम, 2011 के अंतर्गत क्रमशः बैंक नोटों और सिक्कों को जारी किया जाता है। इन अधिनियमों के प्रावधान रुपये/सिक्के के किसी मानक मूल्य का उल्लेख नहीं करते हैं। कागजी मुद्रा और सिक्कों से संबंधित पूर्ववर्ती वैधानिक प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया है।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 26 के अनुसार, प्रत्येक बैंक नोट भारत में किसी भी स्थान पर उसमें व्यक्त राशि के भुगतान या उक्त राशि के लिए कानूनी निविदा होगा और केंद्र सरकार द्वारा इसकी गारंटी दी जाएगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

DCM(ADM) No. S2668 /06.08.05/2024-25 December 13, 2024

Application Form under Right to Information Act 2005
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र

पंजीकरण संख्या Registration Number	:	RBIND/R/E/24/07350
आवेदक Applicant	:	Shri Appun Kumar
आरटीआई पोर्टल पर आवेदन की पंजीकरण तिथि Registration date of application on RTI portal	:	13/11/2024
उत्तर की तारीख Date of reply	:	13/12/2024

SR. NO.	Query	Reply
9	क्या सिक्के का अंकित मूल्य उसके मानक मूल्य के बराबर होता है/था ?	हाँ, सिक्के का अंकित मूल्य इसके मानक मूल्य के बराबर है।
18	वर्तमान समय में रुपया का मानक मूल्य क्या है?	एक रुपया का अंकित मूल्य इसके मानक मूल्य के बराबर है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

DCM(ADM) No. S1456 /06.08.05/2024-25 August 16, 2024

Application Form under Right to Information Act 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र

पंजीकरण संख्या Registration Number	:	RBIND/R/X/24/00122
आवेदक Applicant	:	Shri Appun Kumar
आरटीआई पोर्टल पर आवेदन की पंजीकरण तिथि Registration date of application on RTI portal	:	22/07/2024
उत्तर की तारीख Date of reply	:	16/08/2024

SR. NO.	Query	Reply
3 4	भारत के 1 रुपए की नोट की कीमत कितनी है और किस अधिनियम के अनुसार हैं। भारत का 1रुपया की नोट की कीमत rbi के कितने मूल्य के बैंक नोट के बराबर है?	सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 के धारा 2 (क) के अनुसार एक रुपये का नोट सिक्के की परिभाषा के अंतर्गत आता है। सिक्का अधिनियम 2011 की धारा 7 के उप-धारा (1) के अनुसार, रुपये को एक सौ इकाइयों में विभाजित किया जाएगा और ऐसी इकाई को सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, ऐसे नाम से अभिहित किया जाएगा जो ठीक है। एक विशेष मूल्यवर्ग का सिक्का (यानी सिक्के पर अंकित मूल्य) जब वैध मुद्रा है, मूल्य उसके भुगतान या खाते में उसके अंकित मूल्य के बराबर ही होगा।। भारत सरकार 1 रुपये के नोट पर मुहर लगाती है/स्टाम्पिंग करती है एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर 1 रुपये के नोट के बराबर मुद्रा का भुगतान करने का वचन देते हैं। इसलिए, सरकार का सार्वभौमिक कार्य एक रुपये के करेंसी नोट को प्रिंट करना है जो अन्य सभी उच्च मूल्यवर्ग के बैंकनोटों, जो कि प्रॉमिसरी नोट हैं, को कानूनी स्वीकृतता (legal sanctity) प्रदान करता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

DCM(ADM) No. S2668 /06.08.05/2024-25 December 13, 2024

Application Form under Right to Information Act 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र

पंजीकरण संख्या Registration Number	:	RBIND/R/E/24/07350
आवेदक Applicant	:	Shri Appun Kumar
आरटीआई पोर्टल पर आवेदन की पंजीकरण तिथि Registration date of application on RTI portal	:	13/11/2024
उत्तर की तारीख Date of reply	:	13/12/2024

SR. NO.	**Query**	**Reply**
24.	बैंक द्वारा ऋण रूप में आम जनता में वितरित बैंक नोट की प्रतिभूति क्या होती है?	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए नोटों के एवज में रखी जाने वाली परिसंपत्तियों को **भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम** 1934 की **धारा** 33 में परिभाषित किया गया है। यह अधिनियम हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर प्रकाशन > सामयिक प्रकाशन के अंतर्गत निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934

निर्गमन विभाग की आस्तियां

33. (1) निर्गमन विभाग की आस्तियां सोने के सिक्कों, सोने की सिल्लियों [3][विदेशी प्रतिभूतियों], रुपए के सिक्कों और रुपयों वाली प्रतिभूतियों के रूप में इतनी कुल रकम की होगी जो निर्गमन विभाग के एतत्पश्चात् यथापरिनिश्चित दायित्वों के योग से कम नहीं है।

[4][(2) आस्तियों के रूप में धारित सोने के सिक्कों, सोने की सिल्लियों और विदेशी प्रतिभूतियों का कुल मूल्य और इस प्रकार से धारित सोने के सिक्कों और सोने की सिल्लियों का कुल मूल्य किसी समय क्रमशः दो सौ करोड़ रुपए और एक सौ पन्द्रह करोड़ रुपए से कम नहीं होगा।]

[5][(3) शेष आस्तियां रुपए के सिक्कों, कैसी ही परिपक्वता वाली भारत सरकार की रुपए वाली प्रतिभूतियों, राष्ट्रीय बैंक द्वारा धारा 17 की उपधारा (4ङ) के अधीन किसी उधार या अग्रिम के लिए लिखे गए वचनपत्रों और भारत में देय ऐसे विनिमयपत्रों और वचनपत्रों के रूप में धारण की जाएगी जो धारा 17 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) या उपखण्ड (ख) या उपखण्ड (खख) के अधीन या धारा 18 के खण्ड (1) के अधीन रिज़र्व बैंक द्वारा क्रय किए जाने योग्य है।]

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए सोने के सिक्के और सोने की सिल्लियों का मूल्य [6][तत्समय प्रचलित अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमत से अनधिक कीमत पर], रुपए के सिक्कों का मूल्य अपने अंकित मूल्य के अनुसार और प्रतिभूतियों का मूल्य तत्समय प्रचलित [7][बाजार की दरों से अनधिक दरों पर लगाया जाएगा।]

(5) आस्तियों के रूप में धारित सोने के सिक्के और सोने की सिल्लियों में कम-से-कम सत्रह बटा बीस [2][भारत], में धारण किया जाएगा और आस्तियों के रूप में धारित सब सोने के सिक्के और सब सोने की सिल्लियां रिज़र्व बैंक या उसके अभिकरणों की अभिरक्षा में धारण किए जाएंगे :

भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

DCM(ADM) No. S2871 /04.03.001/2025-26 July 11, 2025

Application Form under Right to Information Act 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र

पंजीकरण संख्या Registration Number	:	RBIND/R/E/25/03852
आवेदक Applicant	:	Shri Appun Kumar
आरटीआई पोर्टल पर आवेदन की पंजीकरण तिथि Registration date of application on RTI portal	:	13/06/2025
उत्तर की तारीख Date of reply	:	11/07/2025

SR. NO.	Query	Reply
01.	भारत में मुद्रा निर्गमन (Issuance of currency) किन-किन आधारों पर किया जाता है। इससे संबंधित संवैधानिक, विधिक या नीतिगत दस्तावेज अथवा अधिनियमों / नियमों की प्रमाणित प्रतिलिपि।	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी बैंक नोट भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए जाते हैं। यह अधिनियम आरबीआई की वेबसाइट www.rbi.org.in पर प्रकाशन > सामयिक प्रकाशन के अंतर्गत उपलब्ध है। https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/PublicationRBIAct.aspx
02.	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मुद्रा की कार्य-स्थिति (Legal Tender Status) निर्धारित करने का आधार, अधिनियम या प्राधिकृत दस्तावेज / अधिसूचना / दिशा-निर्देश की प्रमाणित प्रति।	**कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 26 का संदर्भ लें।** यह अधिनियम आरबीआई की वेबसाइट **www.rbi.org.in** पर प्रकाशन > सामयिक प्रकाशन के अंतर्गत उपलब्ध है। https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/PublicationRBIAct.aspx

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "**स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम वी. नोबल कुमार एवं अन्य" (2014 (7) RCR (Criminal) 1524)** मामले में कहा कि SARFAESI अधिनियम की धारा 14 के तहत राहत प्राप्त करने के लिए सुरक्षित लेनदार को निर्धारित कानूनी शर्तों का पालन करना आवश्यक है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सुरक्षित लेनदार द्वारा प्रस्तुत हलफनामे में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि:

- ऋण लेन-देन हुआ था और उधारकर्ता ब्याज सहित ऋण चुकाने के लिए जिम्मेदार है।
- ऋण के बदले संपत्ति पर वैध सुरक्षा हित बनाया गया है।
- उधारकर्ता ने भुगतान में चूक की है।
- धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किया गया था।
- नोटिस के बाद भी ऋण का भुगतान नहीं किया गया।
- धारा 13(3A) के तहत उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों/अभ्यावेदनों पर सुरक्षित लेनदार द्वारा उचित विचार किया गया तथा यदि उन्हें अस्वीकार किया गया, तो अस्वीकृति के कारणों की सूचना उधारकर्ता को दी गई।

संदर्भ: Standard Chartered Bank vs. V. Noble Kumar & Others, (2014) 7 RCR (Criminal) 1524.

2. माननीय **उत्तराखंड उच्च न्यायालय** ने स्पष्ट किया कि किसी अन्य बैंक द्वारा गलत धनराशि ट्रांसफर होने की सूचना मात्र के आधार पर बैंक ग्राहक का खाता फ्रीज नहीं कर सकता। न्यायालय ने कहा कि जब तक किसी सक्षम मजिस्ट्रेट या जांच करने वाली सक्षम प्राधिकारी का वैध आदेश उपलब्ध न हो, तब तक बैंक के पास एकतरफा रूप से ग्राहक के खाते को फ्रीज करने का अधिकार नहीं है। ऐसी कार्रवाई कानून की दृष्टि में उचित नहीं मानी जा सकती।

संदर्भ:
Uttarakhand High Court – Bank Account Cannot Be Frozen Merely Upon Communication From Another Bank (2026), Justice Alok Mahra.

भाग- 2

अध्याय– 14

भारतीय सिक्का अधिनियम की संक्षिप्त जानकारीयां

GOLD AND SILVER COINAGE ACT NO. XVII. OF 1835 (Rep., by Act. 23 of 1870)

[17th August, 1835.]

Passed by the Hon'ble the Governor General of India in Council on the 17th August, 1835.

I. BE it enacted, that from the First day of September 1835, the undermentioned Silver Coins only shall be coined at the Mints within the Territories of the East India Company. A Rupee, to be denominated the Company's Rupee Half Rupee-a Quarter Rupee and a Double Rupee, and the weight of the said Rupee shall be 180 Grains Troy, and the standard shall be as follows:-

$\frac{11}{12}$ or 165 Grains of pure Silver,

$\frac{1}{12}$ or 15 ,, of Alloy,

and the other Coins shall be of proportionate weight and of the same standard.

I. यह अधिनियमित किया जाए कि 1 सितम्बर 1835 से ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में स्थित टकसालों में केवल नीचे वर्णित चांदी के सिक्के ही गढ़े जाएंगे। **एक रुपया, जिसका नाम कंपनी का रुपया होगा**- आधा रुपया- चौथाई रुपया और एक डबल रुपया, तथा उक्त रुपये का वजन 180 ग्रेन ट्रॉय होगा तथा मानक निम्न प्रकार होगा:-

$\frac{11}{12}$ or 165 Grains of pure Silver,

$\frac{1}{12}$ or 15 ,, of Alloy,

तथा अन्य सिक्के आनुपातिक वजन और समान मानक के होंगे।

II. And be it enacted, that these Coins shall bear on the obverse the head and the name of the reigning Sovereign of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and on the reverse the designation of the Coin in English and Persian, and the words "East India Company" in English, with such Embellishment as shall, from time to time, be ordered by the Governor General in Council.

II. और यह अधिनियमित किया जाए कि इन सिक्कों के अग्रभाग पर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड के शासक का नाम और शीर्षक अंकित होगा तथा पृष्ठभाग पर अंग्रेजी और फारसी में सिक्के का पदनाम और अंग्रेजी में "ईस्ट इंडिया कंपनी" शब्द अंकित होंगे तथा समय-समय पर गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा आदेश दिए जाने पर उन्हें अलंकृत किया जाएगा।

VII. And be it enacted, that the under mentioned Gold Coins only shall henceforth be coined at the Mists within the Territories of the East India Company.
First. A Gold Mohur or Fifteen Rupee Piece of the weight of 180 Grains Troy, and of the Following Standard, viz.

$\frac{11}{12}$ or 165 Grains of pure Gold.

$\frac{1}{12}$ or 15 ,, of Alloy,

Second. A Five Rupee Piece equal to a Third of Gold Mohur.
Third. A Ten Rupee Piece equal to Two-thirds of a Gold Mohur.
Fourth. A Thirty Rupee Piece or Double Gold Mohur and the three last mentioned Coins shall be of the same standard with the Gold Mohur and of proportionate weight.

VII. और यह अधिनियमित किया जाए कि आगे से केवल नीचे उल्लिखित सोने के सिक्के ही ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों में मिस्ट्स में गढ़े जाएंगे।
पहला. 180 ग्रेन ट्रॉय के वजन का एक सोने का मोहर या पंद्रह रुपये का टुकड़ा, और निम्नलिखित मानक का अर्थात

$\frac{11}{12}$ or 165 Grains of pure Gold.

$\frac{1}{12}$ or 15 ,, of Alloy,

- दूसरा. पांच रुपये का सिक्का सोने की मोहर के एक तिहाई के बराबर होगा।
- तीसरा. दस रुपये का सिक्का सोने की मोहर के दो-तिहाई के बराबर होगा।
- चौथा. तीस रुपये का सिक्का या डबल सोने की मोहर और अंतिम तीन सिक्के सोने की मोहर के समान मानक के होंगे और उनका वजन आनुपातिक होगा।

VIII. And be it enacted, that these Gold Coins shall bear on the obverse the head and name of the reigning Sovereign of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and on the reverse the designation of the Coin in English and Persian, and the words "East India Company" in English, with such Embellishment as shall from time to time be ordered by the Governor General in Council, which shall always be different from that of the Silver Coinage.

VIII. और यह अधिनियमित किया जाए कि इन स्वर्ण सिक्कों के अग्रभाग पर ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम के शासक का नाम और शीर्षक अंकित होगा, तथा पृष्ठभाग पर अंग्रेजी और फारसी में सिक्के का पदनाम और अंग्रेजी में "ईस्ट इंडिया कंपनी" शब्द अंकित होंगे तथा समय-समय पर गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा आदेशित ऐसे अलंकरण होंगे जो सदैव चांदी के सिक्कों से भिन्न होंगे।

IX. And be it enacted, that no Gold Coin shall hereceforward be in Legal Tender of Payment in any of the Territories of the East India Company.

IX. और यह अधिनियम बनाया जाए कि अब से ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी भी क्षेत्र में कोई भी स्वर्ण सिक्का वैध भुगतान मुद्रा में नहीं रहेगा।

ACT No. XIII OF 1862.
PASSED BY THE GOVERNOR-GENERAL OF INDIA IN COUNCIL. (Received the assent of the Governor-General on the 23rd April 1862.)
An Act to provide for a new Silver and a new Copper Coinage.

Preamble.
WHEREAS it is expedient to provide for a new Silver and a new Copper Coinage; It is enacted as follows :-

Repeal of Acts.

I. From the first day of November 1862 so much of the 1st and 2nd Sections of Act XVII of 1835 (relating to Gold and Silver Coinage) as provides that only the Silver Coins therein mentioned shall be coined at the Mints within the territories of the East India Company, and that such Coins shall bear on the reverse the words "The East India Company:" also Act XXXI of 1837 (relating to Coinage), Act XXI of 1838 (relating to the Silver Coin), Act, XXI of 1835, Act XXII of 1844, and Act XI of 1854 (relating to the Copper Coin) shall be repealed, except as to any act already done or Coin already coined or issued under the same.

१. नवम्बर १८६२ के प्रथम दिन से १८३५ के अधिनियम १७ (सोने और चांदी के सिक्के से संबंधित) की पहली और दूसरी धाराओं का वह भाग जो यह प्रावधान करता है कि केवल उसमें उल्लिखित चांदी के सिक्के ही ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र के भीतर टकसालों में गढ़े जाएंगे, और ऐसे सिक्कों के पीछे "ईस्ट इंडिया कंपनी" शब्द अंकित होंगे: साथ ही १८३७ का अधिनियम XXXI (सिक्का से संबंधित), १८३८ का अधिनियम XXI (चांदी के सिक्के से संबंधित), १८३५ का अधिनियम XXI, १८४४ का अधिनियम XXII, और १८५४ का अधिनियम XI (तांबे के सिक्के से संबंधित) निरस्त कर दिए जाएंगे सिवाय किसी पहले से किए गए कार्य या उसी के तहत पहले से गढ़े गए या जारी किए गए सिक्के के।

Description of Coins.

II. From the first day of November 1862, except as provided by Act VI of 1847 (for establishing a Copper Currency in the Settlements of Penang, Singapore, and Malacca) in re- spect of Cents, half Cents, and quarter Cents, no Silver or Copper Coins, except those mentioned below, shall be coined at the Mints in British India.

Silver Coin.

A Rupee to be called the Government Rupee.
A Half Rupee.

1 नवम्बर 1862 से 1847 के अधिनियम VI (पेनांग, सिंगापुर और मलक्का की बस्तियों में ताम्र मुद्रा की स्थापना के लिए) द्वारा सेंट, आधा सेंट और चौथाई सेंट के संबंध में किए गए प्रावधान को छोड़कर नीचे उल्लिखित के अलावा कोई भी चांदी या तांबे का सिक्का ब्रिटिश भारत में टकसालों में नहीं ढाला जाएगा।

चाँदी का सिक्का।

एक रुपया जिसे सरकारी रुपया कहा जाएगा।

आधा रुपया।

Weight and Standard of Silver Coins.

III. The Rupee so coined shall be of the same weight and standard as those provided for the Company's Rupee by the said Act XVII of 1835, that is to say, the weight shall be 180 grains Troy, and the standard as follows:-$\frac{11}{12}$ th or 165 grains of pure Silver $\frac{1}{12}$th or 15 grains of Alloy. The other Silver Coins shall be of proportionate weight and of the same standard.

चाँदी के सिक्कों का वजन और मानक.

III. इस प्रकार गढ़ा गया रुपया उसी वजन और मानक का होगा जैसा कि कंपनी के रुपए के लिए 1835 के अधिनियम XVII द्वारा निर्धारित किया गया है, अर्थात, वजन 180 ग्रेन ट्रॉय होगा और मानक इस प्रकार होगा: -165 ग्रेन शुद्ध चांदी 15 ग्रेन मिश्र धातु। अन्य चांदी के सिक्के आनुपातिक वजन और उसी मानक के होंगे।

"Inscriptions on Coins.

V. Until the Governor-General in Council shall otherwise order under the power hereinafter reserved, the Silver and Copper Coins so coined shall bear on the obverse the likeness and the name of Her Majesty Queen Victoria, and the inscription "Victoria Queen," and on the reverse the designation of the Coins in English filled by the word "India," with such date and embellishments on each Coin as the Governor- General in Council shall from time to time direct.

सिक्कों पर शिलालेख.

V. जब तक गवर्नर-जनरल इन काउंसिल इसके बाद सुरक्षित शक्ति के तहत अन्यथा आदेश नहीं देता तब तक इस प्रकार गढ़े गए चांदी और तांबे के सिक्कों के अग्रभाग पर महारानी विक्टोरिया की आकृति और नाम तथा "विक्टोरिया क्वीन" अंकित होगा तथा पीछे की ओर अंग्रेजी में सिक्के का नाम "इंडिया" शब्द से भरा होगा तथा प्रत्येक सिक्के पर ऐसी तारीख और अलंकरण अंकित होंगे जैसा कि गवर्नर-जनरल इन काउंसिल समय-समय पर निर्देश देगा।

Rupee and Half Rupee to be legal tender.

VII. The said Rupee and Half Rupee shall be a legal tender in payment or on account of all engagements whatever, provided the Coin shall not have lost more than two per cent. in weight, and provided it shall not have been clipped or filed, or have been defaced or diminished otherwise than by use.

रुपया और आधा रुपया कानूनी मुद्रा होंगे।

VII. उक्त रुपया और आधा रुपया भुगतान या सभी दायित्वों के लिए वैध मुद्रा होगा, बशर्ते कि सिक्के का वजन दो प्रतिशत से अधिक कम न हुआ हो तथा बशर्ते कि इसे काटा या फाइल न किया गया हो या उपयोग के अलावा किसी अन्य कारण से इसका स्वरूप खराब या कम न हुआ हो।

Coin coined under for- mer Acts still to be legal tender.

X. All Silver Coin of the weight and standard specified in the said Acts XVII of 1835, and XXI of 1838, issued since the passing of those Acts respectively and before the first day of November 1862, and declared by those Acts respectively to be a legal tender, and all Copper Coins of the weight specified in the said Acts XXI of 1835, XXII of 1844, and XVII of 1855 issued since the passing of those Acts respectively and before the first day of November 1862, and declared by those Acts respectively to be a legal tender, shall continue to be a legal tender for the amounts thereof respectively, subject to the same conditions and provisions as under those Acts respectively, anything in this Act contained notwithstanding.

पूर्व अधिनियमों के तहत गढ़े गए सिक्के अभी भी वैध मुद्रा हैं।

X. उक्त अधिनियमों XVII 1835 और XXI 1838 में विनिर्दिष्ट भार और मानक के सभी चांदी के सिक्के जो क्रमशः उन अधिनियमों के पारित होने के बाद और 1 नवंबर 1862 से पहले जारी किए गए थे और उन अधिनियमों द्वारा क्रमशः वैध मुद्रा घोषित किए गए थे, तथा उक्त अधिनियमों XXI 1844 और XVII 1855 में विनिर्दिष्ट भार के सभी तांबे के सिक्के, जो

क्रमशः उन अधिनियमों के पारित होने के बाद और 1 नवंबर 1862 से पहले जारी किए गए थे और उन अधिनियमों द्वारा क्रमशः वैध मुद्रा घोषित किए गए थे क्रमशः अपनी-अपनी मात्रा के लिए वैध मुद्रा बने रहेंगे उन अधिनियमों के अधीन क्रमशः उन्हीं शर्तों और उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी।

Existing Acts to con- ing of this Act respecting the Queen's Coin, or the Silver tinue in force.

XI. All Acts and Laws in force in British India at the time of the pass- or Copper Coin current in British India, and not repug- nant to the provisions of this Act, shall be and continue in full force and effect, and shall be applied to the Silver and Copper Coin to be coined in pursuance of this Act.

रानी के सिक्के या चांदी के सिक्के के संबंध में विद्यमान अधिनियम इस अधिनियम के अधीन लागू होंगे।

11. ब्रिटिश भारत में प्रचलित सभी अधिनियम और कानून जो इस अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध नहीं हैं, पूर्ण रूप से प्रवृत्त रहेंगे और प्रभावी रहेंगे तथा इस अधिनियम के अनुसरण में गढ़े जाने वाले चांदी और तांबे के सिक्कों पर लागू होंगे।

1862 का अधिनियम क्रमांक XIII. (Act No. XIII of 1862.)

धारा 10. उक्त अधिनियमों में निर्दिष्ट वजन और मानक के सभी चांदी के सिक्के पूर्व अधिनियमों के तहत बनाए गए सिक्के अभी भी वैध मुद्रा बने हुए हैं। 1835 के XVII, और 1838 के XXI, उन अधिनियमों के पारित होने के बाद से और नवंबर 1862 के पहले दिन से पहले क्रमशः जारी किए गए और उन अधिनियमों द्वारा क्रमशः कानूनी निविदा घोषित किए गए, और उक्त अधिनियमों में निर्दिष्ट वजन के सभी तांबे के सिक्के 1835 का XXI, 1844 का XXII, और 1855 का XVII क्रमशः उन अधिनियमों के पारित होने के बाद से और नवंबर 1862 के पहले दिन से पहले जारी किया गया था, और उन अधिनियमों द्वारा क्रमशः एक कानूनी निविदा घोषित किया गया था, इसके लिए एक कानूनी निविदा बनी रहेगी। क्रमशः उन अधिनियमों के तहत समान शर्तों और प्रावधानों के अधीन इस अधिनियम में कुछ भी शामिल होने के बावजूद।

धारा 11. पारित होने के समय ब्रिटिश भारत में लागू सभी अधिनियम और कानून - रानी के सिक्के या चांदी के संबंध में इस अधिनियम के लागू होने तक मौजूदा अधिनियम। या ब्रिटिश भारत में प्रचलित तांबे के सिक्के और इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं पूरी ताकत और प्रभाव में रहेंगे और जारी रहेंगे, और इस अधिनियम के अनुसरण में बनाए जाने वाले चांदी और तांबे के सिक्कों पर लागू होंगे।

ACT No. XXIII OF 1870.

PASSED BY THE GOVERNOR GENERAL OF INDIA IN COUNCIL. (Received the assent of the Governor General on the 6th Septem- ber 1870)..

An Act to consolidate and amend the law relating to Coinage and the Mint.

WHEREAS it is expedient to consolidate and amend Preamble. the law relating to Coinage and the Mint; It is hereby enacted as follows:-

Preliminary,

1. This Act may be called "The Indian Coinage Act, 1870."

2. The Regulations and Acts mentioned in the schedule hereto annexed are repealed.

3. In this Act, the expression 'Mint' includes the Mints at Calcutta, at Bombay and at such other places (if any) as the Governor General in Council, by notification in the Gazette of India, from time to time directs;

the expression Mint-rules' means such rules as the Governor General in Council from time to time prescribes for the management of the Mint;

and the expression 'remedy' means variation from the standard weight and fineness.

3. इस अधिनियम में 'टकसाल' के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई तथा ऐसे अन्य स्थान (यदि कोई हों) स्थित टकसालें सम्मिलित हैं, जिन्हें गवर्नर जनरल इन काउंसिल भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट करे

टकसाल-नियम' का अर्थ ऐसे नियम हैं, जिन्हें गवर्नर जनरल इन काउंसिल, टकसाल के प्रबंधन के लिए समय-समय पर निर्धारित करे

तथा 'उपाय' का अर्थ मानक वजन तथा शुद्धता में परिवर्तन है।

II.-Gold Coinage.

4. The under-mentioned gold coins only shall be coined at the Mint:-

(1.)-A gold mohur or fifteen-rupee piece.

(2.)-A five-rupee piece equal to a third of a gold mohur.

(3.)--A ten-rupee piece equal to two-thirds of a gold mohur.

(4.)-A thirty-rupee piece or a double gold mohur.

II.- स्वर्ण सिक्का निर्माण

4. नीचे उल्लिखित स्वर्ण सिक्के ही टकसाल में गढ़े जाएंगे:-

(1.)- एक स्वर्ण मोहर या पंद्रह रुपये का टुकड़ा।

(2.)- एक स्वर्ण मोहर के एक तिहाई के बराबर पांच रुपये का टुकड़ा।

(3.)- एक स्वर्ण मोहर के दो तिहाई के बराबर दस रुपये का टुकड़ा।

(4.)- एक तीस रुपये का टुकड़ा या एक डबल स्वर्ण मोहर।

Their stand- ard weight and fineness.

5. The standard weight of the said gold mohur shall be one hundred and eighty grains Troy, and its standard fineness shall be as follows: -eleven-twelfths, or one hundred and sixty-five grains, of fine gold, and one-twelfth, or fifteen grains, of alloy.

The other gold coins shall be of proportionate weight and of the same fineness: Provided that, in the making of gold coins, a remedy shall be allowed of an amount not exceeding two thousandths in weight and two thousandths in fineness.

मानक वजन और शुद्धता।

5. उक्त स्वर्ण मोहर का मानक वजन एक सौ अस्सी ग्रेन ट्रॉय होगा और इसकी मानक शुद्धता इस प्रकार होगी :- ग्यारह-बारहवें, या एक सौ पैंसठ ग्रेन शुद्ध सोने के और एक-बारहवें, या पंद्रह ग्रेन, मिश्र धातु के। अन्य सोने के सिक्के आनुपातिक वजन और समान शुद्धता के होंगे: बशर्ते कि सोने के सिक्कों के निर्माण में वजन में दो हज़ारवें और शुद्धता में दो हज़ारवें से अधिक राशि का उपाय नहीं किया जाएगा।

III.-Silver Coinage.

6. The under-mentioned silver coins only shall be coined at the Mint:-

(1.) A rupee to be called the Government Rupee.

(2.)-A half rupee.

(3.)-A quarter rupee, or four-anna piece.

(4.)-An eighth of a rupee, or two-anna piece.

III.- चांदी का सिक्का.

6. नीचे उल्लिखित चांदी के सिक्के ही टकसाल में गढ़े जाएंगे:-

(1.) रुपया सरकारी रुपया कहलाएगा।

(2.)-आधा रुपया.

(३.)- चौथाई रुपया, या चार आना का टुकड़ा।

(४.)-एक रुपए का आठवाँ हिस्सा, या दो आना का टुकड़ा।

Their stand- ard weight and fineness.

7. The standard weight of the Government Rupee shall be one hundred and eighty grains Troy, and its standard fineness shall be as follows: -eleven-twelfths, or one hundred and sixty-five grains, of fine silver, and one-twelfth, or fifteen grains, of alloy.

The other silver coins shall be of proportionate weight and of the same fineness: Provided that, in the making of silver coins, a remedy shall be allowed of an amount not exceeding the following:-

7. सरकारी रुपए का मानक वजन एक सौ अस्सी ग्रेन ट्रॉय होगा, और इसकी मानक शुद्धता इस प्रकार होगी: - ग्यारह-बारहवां या एक सौ पैंसठ ग्रेन शुद्ध चांदी और एक-बारहवां या पंद्रह ग्रेन मिश्र धातु। अन्य चांदी के सिक्के आनुपातिक वजन और समान शुद्धता के होंगे: बशर्ते कि चांदी के सिक्कों के निर्माण में निम्नलिखित से अनधिक राशि का उपचार दिया जाएगा:-

	Remedy in weight.	Remedy in fineness.
Rupee ... . } Half rupee	Five thousandths	Two thousandths.
Quarter rupee ... . Eighth of a rupee	Seven thousandths } Ten thousandths	Three thousandths.

V. Devices on Coins.

10. Until the Governor General in Council otherwise orders under the power hereinafter confer-red, the coins coined under this Act shall bear on the obverse the likeness of Her Majesty Queen Victoria, and the inscription "Victoria Queen," and on the reverse the designation of the coins in English filled by the word "India," with suclı date and embellish- ments on each coin as the Governor General in Council from time to time determines.

V. सिक्कों पर उपकरण.

10. जब तक गवर्नर जनरल इन सपरिषद इसके पश्चात् प्रदत्त शक्ति के अधीन अन्यथा आदेश न दे तब तक इस अधिनियम के अधीन गढ़े गए सिक्कों के अग्रभाग पर महारानी विक्टोरिया की आकृति और "विक्टोरिया क्वीन" अंकित होगा, तथा पृष्ठभाग पर अंग्रेजी में "इंडिया" शब्द अंकित होगा तथा प्रत्येक सिक्के पर गवर्नर जनरल इन सपरिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित तिथि और अलंकरण अंकित होंगे।

VI.-Legal Tender.

12. No gold coin shall be a legal tender in payment or on account.

13. The said rupee and half rupee shall be a legal tender in payment or on account:
Rupees and half rupees a legal tender.
Provided that the coin has not lost more than two per cent. in weight:
Provided also that it has not been clipped or filed, or defaced or diminished, otherwise than by use.
The quarter rupee and eighth of a rupee shall be legal tender only for the fractions of a rupee, subject to the second proviso contained in this section.

13. उक्त रुपया और आधा रुपया भुगतान या खाते में वैध मुद्रा होगा:

रुपये और आधा रुपया वैध मुद्रा है।

बशर्ते कि सिक्के का वजन दो प्रतिशत से अधिक कम न हुआ हो: बशर्ते कि इसे उपयोग के अलावा किसी अन्य कारण से काटा या फाइल न किया गया हो या विरूपित या छोटा न किया गया हो। चौथाई रुपया और आठवाँ रुपया केवल एक रुपये के अंशों के लिए वैध मुद्रा होगा इस धारा में निहित दूसरे प्रावधान के अधीन।

Coin made under former Acts.

15. All silver coin of the weight and standard specified in the Acts No. XVII of 1835, No. XXI of 1838, and No. XIII of 1862, issued since the pass- ing of those Acts, respectively, and declared by those Acts, respectively, to be a legal tender,

and all copper coins of the weight specified in Acts No. XXI of 1835, No. XXII of 1844, and No. XIII of 1862, issued since the passing of those Acts, re- spectively, and declared by those Acts, respectively, to be a legal tender,

shall continue to be a legal tender for the amounts thereof, respectively, subject to the same conditions and provisions as under those Acts, respectively, any- thing contained in this Act or in any Act hereby re- pealed notwithstanding.

पूर्ववर्ती अधिनियमों के अधीन निर्मित सिक्के।

15. अधिनियम संख्या XVII 1835, संख्या XXI 1838, तथा संख्या XIII 1862 में निर्दिष्ट वजन तथा मानक के सभी चांदी के सिक्के जो क्रमशः उन अधिनियमों के पारित होने के पश्चात जारी किए गए हैं, तथा उन अधिनियमों द्वारा क्रमशः वैध मुद्रा घोषित किए गए हैं, तथा अधिनियम संख्या XXI 1844, तथा संख्या XIII 1862 में निर्दिष्ट वजन के सभी तांबे के सिक्के जो क्रमशः उन अधिनियमों के पारित होने के पश्चात जारी किए गए हैं, तथा उन अधिनियमों द्वारा क्रमशः वैध मुद्रा घोषित किए गए हैं, उनकी मात्रा के लिए क्रमशः वैध मुद्रा बने रहेंगे तथा उन अधिनियमों के अधीन समान शर्तों तथा प्रावधानों के अधीन रहेंगे चाहे इस अधिनियम में या इसके द्वारा निरस्त किए गए किसी अधिनियम में कोई बात क्यों न हो।

VIII. Coinage of Bullion.
Receipt of gold and silver bullion and coin.

19 Subject to the Mint-rules for the time being in force, the Mint Master shall receive all gold and silver bullion and coin brought to the Mint:

Provided that such bullion and coin be fit for coinage:

Provided also that the quantity so brought at one time by one person is not less, in the case of gold, than fifty tolas, and, in the case of silver, than one thou- sand tolas.

सोने और चांदी के बुलियन और सिक्के की प्राप्ति।

19 वर्तमान में लागू टकसाल नियमों के अधीन टकसाल मास्टर टकसाल में लाए गए सभी सोने और चांदी के बुलियन और सिक्के को प्राप्त करेगा:

बशर्ते कि ऐसे बुलियन और सिक्के सिक्का बनाने के लिए उपयुक्त हों:

बशर्ते कि एक व्यक्ति द्वारा एक बार में लाई गई मात्रा सोने के मामले में पचास तोले से कम न हो और चांदी के मामले में एक हजार तोले से कम न हो।

Duty on pro- duce of gold bullion.

20. A duty shall be levied at the rate of one rupee per cent. at the Mint on the produce of all gold bullion and on all gold coin brought for coinage to the Mint in accordance with the said Mint-rules.

स्वर्ण बुलियन के उत्पादन पर शुल्क

20. टकसाल में सभी स्वर्ण बुलियन के उत्पादन पर तथा सिक्का निर्माण के लिए टकसाल में लाए गए सभी स्वर्ण सिक्कों पर उक्त टकसाल नियमों के अनुसार एक रुपए प्रति प्रतिशत की दर से शुल्क लगाया जाएगा।

Duty on pro- duce of silver bullion.

21. All silver bullion or coin brought for coinage to the Mint, in accordance with the said Mint-rules, shall be subject to a duty at the rate of two per cent. on the produce of such bullion or coin, and the amount of such duty shall be deducted from the return to be made to the proprietor.

चांदी के बुलियन के उत्पादन पर शुल्क

21. उक्त टकसाल नियमों के अनुसार सिक्का बनाने के लिए टकसाल में लाए गए सभी चांदी के बुलियन या सिक्के पर ऐसे बुलियन या सिक्के के उत्पादन पर दो प्रतिशत की दर से शुल्क लगेगा और ऐसे शुल्क की राशि स्वामी को दिए जाने वाले रिटर्न से काट ली जाएगी।

Payment for gold bullion.

26. For all gold bullion and coin, in respect of which the Assay Master has granted a certificate, payment shall be made, as nearly as may be, in gold coins coined under this Act or Act No. XVII of 1835; and the balance (if any) due to the proprietor shall be paid in silver, or in silver and copper, coins current in British India.

स्वर्ण बुलियन के लिए भुगतान।

26. सभी स्वर्ण बुलियन और सिक्के के लिए जिसके संबंध में परख मास्टर ने प्रमाण पत्र प्रदान किया है भुगतान यथासंभव इस अधिनियम या 1835 के अधिनियम संख्या XVII के तहत गढ़े गए सोने के सिक्कों में

किया जाएगा और स्वामी को देय शेष (यदि कोई हो) का भुगतान चांदी में या ब्रिटिश भारत में प्रचलित चांदी और तांबे के सिक्कों में किया जाएगा।

COINAGE ACT 1870

An Act to consolidate and amend the law relating to the Coinage and Her Majesty's Mint. [4th April 1870.]

Short title.

1. This Act may be cited as "The Coinage Act, 1870.

Definitions of

2. In this Act- The term "the Mint" means, except as expressly provided, Her Majesty's Royal Mint in England;
The term "British possession' means any colony, plantation, island, territory, or settlement within Her Majesty's dominions and not within the United Kingdom; and
The term "person includes a body corporate

Standard of coins.

3. All coins made at the Mint of the denominations mentioned in the first schedule to this Act shall be of the weight and fineness specified in that schedule, and the standard trial plates shall be made accordingly.
If any coin of gold, silver, or bronze, but of any other denomination than that of the coins mentioned in the first schedule to this Act, is hereafter coined at the Mint, such coin shall be of a weight and fineness bearing the same proportion to the weight and fineness specified in that schedule as the denomination of such coin bears to the denominations mentioned in that.
Provided that in the making of coins a remedy (or variation from the standard weight and fineness specified in the said first schedule) shall be allowed of an amount not exceeding the amount specified in that schedule.

सिक्कों का मानक।

3. इस अधिनियम की पहली अनुसूची में उल्लिखित मूल्यवर्ग के टकसाल में बनाए गए सभी सिक्के उस अनुसूची में निर्दिष्ट वजन और शुद्धता के होंगे और मानक परीक्षण प्लेटें तदनुसार बनाई जाएंगी।
यदि सोने, चांदी या कांस्य का कोई सिक्का लेकिन इस अधिनियम की पहली अनुसूची में उल्लिखित सिक्कों के अलावा किसी अन्य मूल्यवर्ग का इसके बाद टकसाल में गढ़ा जाता है, तो ऐसा सिक्का उस अनुसूची में निर्दिष्ट वजन और शुद्धता के समान अनुपात वाला वजन और शुद्धता वाला होगा जैसा कि उस सिक्के का मूल्यवर्ग उस अनुसूची में उल्लिखित मूल्यवर्गों से है।
बशर्ते कि सिक्कों के निर्माण में उस अनुसूची में निर्दिष्ट राशि से अधिक राशि का उपाय (या उक्त पहली अनुसूची में निर्दिष्ट मानक वजन और शुद्धता से भिन्नता) की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Legal tender.

4. A tender of payment of money, if made in coins which have been issued by the Mint in accordance with the provisions of this Act, and have not been called in by any proclamation

made in pursuance of this Act, and have not become diminished in weight, by wear or otherwise, so as to be of less weight than the current weight, that is to say, than the weight (if any) specified as the least current weight in the first schedule to this Act, or less than such weight as may be declared by any proclamation made in pursuance of this Act, shall be a legal tender,- In the case of gold coins for a payment of any amount:

In the case of silver coins for a payment of an amount not exceeding forty shillings, but for no greater amount: In the case of bronze coins for a payment of an amount not exceeding one shilling, but for no greater amount.

Nothing in this Act shall prevent any paper currency which under any Act or otherwise is a legal tender from being a legal tender.

वैध मुद्रा

4. यदि मुद्रा के भुगतान की निविदा ऐसे सिक्कों में की गई हो जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार टकसाल द्वारा जारी किए गए हैं तथा इस अधिनियम के अनुसरण में की गई किसी घोषणा द्वारा नहीं मंगाए गए हैं तथा जिनका वजन घिसाव या अन्य कारण से इतना कम नहीं हुआ है कि वे वर्तमान वजन से कम हो गए हैं, अर्थात् इस अधिनियम की पहली अनुसूची में सबसे कम वर्तमान वजन के रूप में निर्दिष्ट वजन (यदि कोई हो) से या इस अधिनियम के अनुसरण में की गई किसी घोषणा द्वारा घोषित वजन से कम हो तो वह वैध मुद्रा होगी - किसी भी राशि के भुगतान के लिए सोने के सिक्कों के मामले में:

चांदी के सिक्कों के मामले में चालीस शिलिंग से अधिक नहीं, लेकिन इससे अधिक राशि के भुगतान के लिए: कांस्य के सिक्कों के मामले में एक शिलिंग से अधिक नहीं, लेकिन इससे अधिक राशि के भुगतान के लिए।

इस अधिनियम में कोई भी बात किसी भी कागजी मुद्रा को जो किसी अधिनियम के तहत या अन्यथा वैध मुद्रा है, वैध मुद्रा होने से नहीं रोकेगी।

Defacing gold coin. Light

7. Where any gold coin of the realm is below the current weight as provided by this Act, or where any coin is called in by any proclamation, every person shall, by himself or others, cut, break, or deface any such coin tendered to him in payment, and the person tendering the same shall bear the loss.

If any coin cut, broken, or defaced in pursuance of this section is not below the current weight, or has not been called in by any proclamation, the person cutting, breaking, or defacing the same shall receive the same in payment according to its denomination. Any dispute which may arise under this section may be determined by a summary proceeding.

सोने के सिक्के को खराब करना।

7. जहां राज्य का कोई भी सोने का सिक्का इस अधिनियम द्वारा निर्धारित वर्तमान वजन से कम है या जहां कोई सिक्का किसी उद्घोषणा द्वारा वापस मंगाया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति, स्वयं या दूसरों द्वारा भुगतान के रूप में उसे दिए गए किसी भी सिक्के को काटेगा, तोड़ेगा या खराब करेगा, और उसे देने वाला व्यक्ति नुकसान वहन करेगा।
यदि इस धारा के अनुसरण में काटा, तोड़ा या खराब किया गया कोई सिक्का वर्तमान वजन से कम नहीं है, या किसी उद्घोषणा द्वारा वापस नहीं मंगाया गया है, तो उसे काटने तोड़ने या खराब करने वाले व्यक्ति को उसके मूल्यवर्ग के अनुसार भुगतान में उसे प्राप्त करना होगा। इस धारा के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का निपटारा सारांश कार्यवाही द्वारा किया जा सकता है।

ACT NO. III OF 1906. (OLD)
PASSED BY THE GOVERNOR GENERAL OF INDIA IN COUNCIL.
(Received the assent of the Governor General on the 2nd March, 1906.)

Preliminary.

Short title and extent.
1. (1) This Act may be called the Indian Coinage. Act, 1906; and

(2) It extends to the whole of British India, in- clusive of British Baluchistan, the Sonthal Parganas and the Pargana of Spiti.

Definitions.

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(a) "deface," with its grammatical variations and cognate expressions, includes clipping, fil- ing, stamping, or such other alteration of the surface or shape of a coin as is readily distinguishable from the effects of reason- able wear;
(b) "the Mint" includes the Mints now existing and any which may hereafter be estab- lished;
(c) "prescribed" includes prescribed by a rule made under this Act;
(d) "remedy" means variation from the standard weight and fineness; and
(e) "standard weight" means the weight pre- scribed for any coin.

2. इस अधिनियम में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो-
(क) "विरूपण" में इसके व्याकरणिक रूपांतरों और सजातीय अभिव्यक्तियों सहित सिक्के की सतह या आकार में कतरन, फाइलिंग, स्टांपिंग या ऐसा अन्य परिवर्तन शामिल है जो उचित घिसाव के प्रभावों से आसानी से पहचाना जा सके
(ख) "टकसाल" में वर्तमान में विद्यमान टकसालें और इसके बाद स्थापित की जाने वाली कोई भी टकसालें शामिल हैं
(ग) "निर्धारित" में इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम द्वारा निर्धारित शामिल हैं
(घ) "उपचार" का अर्थ है मानक वजन और शुद्धता से भिन्नता और
(ङ) "मानक वजन" का अर्थ है किसी सिक्के के लिए निर्धारित वजन।

Silver Coinage.

4. The following silver coins only shall be coine at the Mint for issue under the authority of the Gov ernor General in Council, namely :--

(a) a rupee to be called the Government rupee;
(b) a half-rupee, or eight-anna piece;

(c) a quarter-rupee, or four-anna piece; and
(d) an eighth of a rupee, or two-anna piece.

चांदी का सिक्का।

4. निम्नलिखित चांदी के सिक्के केवल गवर्नर जनरल इन काउंसिल के अधिकार के तहत जारी करने के लिए टकसाल में गढ़े जाएंगे, अर्थात्:--

(क) एक रुपया जिसे सरकारी रुपया कहा जाएगा;

(ख) आधा रुपया, या आठ आना का टुकड़ा

(ग) एक चौथाई रुपया, या चार आना का टुकड़ा और

(घ) एक रुपये का आठवाँ हिस्सा, या दो आना का टुकड़ा।

Standard weight and weight fineness.

5. (1) The standard weight of the Government rupee shall be one hundred and eighty grains Troy, and its standard fineness shall be as follows, namely, eleven-twelfths, or one hundred and sixty-five grains of fine silver, and one-twelfth, or fifteen grains of alloy.

(2) The other silver coins shall be of proportionate weight and of the same fineness:

Provided that, in the making of silver coins, a remedy shall be allowed of an amount not exceeding the following, namely:-

मानक भार और भार शुद्धता

5. (1) सरकारी रुपये का मानक भार एक सौ अस्सी ग्रेन ट्रॉय होगा और इसकी मानक शुद्धता इस प्रकार होगी, अर्थात् ग्यारह-बारहवाँ या एक सौ पैंसठ ग्रेन शुद्ध चाँदी, और एक-बारहवाँ, या पंद्रह ग्रेन मिश्रधातु।

(2) अन्य चाँदी के सिक्के आनुपातिक भार और समान शुद्धता के होंगे:

बशर्ते कि चाँदी के सिक्के बनाने में निम्नलिखित से अनधिक राशि का उपचार दिया जाएगा अर्थात्:-

	Remedy in weight.	Remedy in fineness.
Rupee ... . } Half rupee ... . }	Five thousandths	Two thousandths.
Quarter rupee ... . Eighth of a rupee	Seven thousandths } Ten thousandths }	Three thousandths.

Dimensions and Designs of Coins.

Power to direct coining, and to prescribe dimensions and designs.

10. (1) The Governor General in Council may, by notification in the Gazette of India,-

(a) direct the coining and issuing of all coins referred to in sections 4, 6 and 8, and
(b) determine the dimensions of, and designs for, such coins.

(2) Until the Governor General in Council other wise determines by notification under sub-section (1), the dimensions and designs of the silver coins coined under this Act shall be those prescribed for the like silver coins under the Indian Coinage Act, 1870, at the time of the commencement of this Act.

सिक्का बनाने का निर्देश देने तथा आयाम और डिजाइन निर्धारित करने की शक्ति

10. (1) गवर्नर जनरल इन काउंसिल भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा -
(क) धारा 4, 6 और 8 में निर्दिष्ट सभी सिक्कों के निर्माण और जारी करने का निर्देश दे सकता है, और
(ख) ऐसे सिक्कों के आयाम और डिजाइन निर्धारित कर सकता है।

(2) जब तक गवर्नर जनरल इन काउंसिल उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्धारित नहीं करता है, तब तक इस अधिनियम के तहत गढ़े गए चांदी के सिक्कों के आयाम और डिजाइन वे होंगे जो इस अधिनियम के प्रारंभ के समय **भारतीय सिक्का अधिनियम 1870** के तहत समान चांदी के सिक्कों के लिए निर्धारित किए गए थे।

Legal Tender.

Gold coins a legal tener

11. Gold coins, whether coined at His Majesty's Royal Mint in England or at any Mint established in pursuance of a Proclamation of His Majesty as a branch of His Majesty's Royal Mint, shall be a legal tender in payment or on account at the rate of fifteen rupees for one sovereign:
Provided that such coins have not been called in by any Proclamation made in pursuance of the Coin- age Act, 1870, or have not lost weight so as to be of less weight than that for the time being prescribed. for like coins by or under the said Statute as the least current weight.

सोने के सिक्के वैध मुद्रा हैं

11. सोने के सिक्के चाहे वे इंग्लैंड में महामहिम की शाही टकसाल में गढ़े गए हों या महामहिम की शाही टकसाल की शाखा के रूप में महामहिम की घोषणा के अनुसरण में स्थापित किसी टकसाल में गढ़े गए हों एक संप्रभु के लिए पंद्रह रुपये की दर से भुगतान या खाते में वैध मुद्रा होंगे:

बशर्ते कि ऐसे सिक्कों को सिक्का-उद्योग अधिनियम 1870 के अनुसरण में की गई किसी घोषणा द्वारा वापस नहीं लिया गया हो या उनका वजन इतना कम न हुआ हो कि वे उस समय निर्धारित वजन से कम वजन के हों। उक्त क़ानून द्वारा या उसके तहत समान सिक्कों के लिए सबसे कम वर्तमान वजन होगा।

Silver coin when a legal tender.

12. (1) The rupee and half-rupee shall be a legal tender in payment or on account:
Provided that the coin-

(a) has not lost in weight so as to be more than two per cent. below standard weight, and
(b) has not been defaced.

(2) The quarter-rupee and eighth of a rupee shall be a legal tender in payment or on account for any sum not exceeding one rupee:
Provided that the coin-
(a) has not lost in weight so as to be more than such percentage below standard weight as may be prescribed as the limit of reason- able wear, and
(b) has not been defaced.

चाँदी का सिक्का जब वैध मुद्रा हो।

12. (1) रुपया और आधा रुपया भुगतान या खाते में वैध मुद्रा होगी:

बशर्ते कि सिक्का-

(क) वजन में इतनी कमी न हुई हो कि वह मानक वजन से दो प्रतिशत से अधिक कम हो और

(ख) विरूपित न हुआ हो।

(2) एक चौथाई रुपया और आठवाँ रुपया भुगतान या खाते में वैध मुद्रा होगी, जो एक रुपये से अधिक नहीं होगी:

बशर्ते कि सिक्का-

(क) वजन में इतनी कमी न हुई हो कि वह मानक वजन से ऐसे प्रतिशत से अधिक कम हो, जो उचित घिसाव की सीमा के रूप में निर्धारित किया जा सकता है, और

(ख) विरूपित न हुआ हो।

Coin made under former Acts.

15. (1) (a) All silver coin of the weight and stan- dard specified in Acts No. XVII of 1835, No. XXI of 1838, No. XIII of 1862 and the Indian Coinage Act, 1870, and

(b) all copper coin of the weight specified in Acts No. XXI of 1835, No. XXII of 1844, No. XIII of 1862 and the Indian Coinage Act, 1870, which may have been issued since the passing of

those Acts respectively, and declared by those Acts respectively to be a legal tender, shall, notwithstanding anything contained in this Act or in any Act hereby repealed, but subject in the case of silver coin to the provisos contained in section 12 of this Act in so far as such provisos apply to like coins under this Act, continue to be a legal tender for the amounts for which the like silver and bronze coins are a legal ten- der under this Act respectively.

(2) All double pice copper coins which may have been issued under the Acts specified in sub-section (1), clause (6), shall continue to be a legal tender in pay- ment or on account for any sum not exceeding one rupee at the rate of thirty-two for a rupee or two for an anna.

पूर्व अधिनियमों के तहत बनाया गया सिक्का।

15. (1) (क) अधिनियम संख्या XVII 1835, संख्या XXI 1838, संख्या XIII 1862 और भारतीय सिक्का अधिनियम 1870 में निर्दिष्ट वजन और मानक के सभी चांदी के सिक्के, और

(ख) अधिनियम संख्या XXI 1835, संख्या XXII 1844, संख्या XIII 1862 और भारतीय सिक्का अधिनियम 1870 में निर्दिष्ट वजन के सभी तांबे के सिक्के जो क्रमशः उन अधिनियमों के पारित होने के बाद से जारी किए गए हों और उन अधिनियमों द्वारा क्रमशः कानूनी निविदा घोषित किए गए हों इस अधिनियम या इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियम में निहित किसी भी बात के बावजूद लेकिन चांदी के सिक्के के मामले में इस अधिनियम की धारा 12 में निहित प्रावधानों के अधीन जहां तक ऐसे प्रावधान इस अधिनियम के तहत समान सिक्कों पर लागू होते हैं, उन राशियों के लिए कानूनी निविदा बने रहेंगे जिनके लिए समान चांदी और कांस्य सिक्के (2) सभी दोहरे पैसे के तांबे के सिक्के जो उपधारा (1) के खंड (6) में निर्दिष्ट अधिनियमों के तहत जारी किए गए हैं, एक रुपये के लिए बत्तीस या एक रुपये के लिए दो की दर से एक रुपये से अधिक की राशि के भुगतान या खाते में कानूनी निविदा बने रहेंगे।

सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (Coinage Act, 2011)

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "सिक्के" से ऐसा सिक्का अभिप्रेत है, जो सरकार या इस निमित्त सरकार द्वारा सशक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा स्टांपित किसी धातु या किसी अन्य पदार्थ का बना है और जो एक वैध मुद्रा है, जिसके अंतर्गत स्मारक सिक्का और भारत सरकार का एक रुपए का नोट भी है।

स्पष्टीकरण शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है "सिक्के" के अंतर्गत किसी बैंक, डाकघर या वित्तीय संस्था द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पोस्टल आर्डर और ई-धन नहीं है

(घ) "सरकार" से केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ङ) "निर्गमित करने" से किसी सिक्के को धन के रूप में प्रयोग के लिए परिचालन में लाना अभिप्रेत है

(च) "धातु" से कोई धातु, आधार धातु, मिश्रातु, सोना, चांदी या ऐसा अन्य पदार्थ अभिप्रेत है, जो किसी सिक्के के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा विहित किया जाए

(छ) "टकसाल" से स्टांपित धातु द्वारा सिक्का बनाने के लिए कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) के अधीन विरचित और निगमित भारतीय सुरक्षा मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड या सरकार द्वारा या सरकार के प्राधिकार के अधीन स्थापित कोई अन्य संगठन अभिप्रेत है

(ठ) "मानक वजन" से किसी सिक्के के लिए विहित वजन अभिप्रेत है।

4. सिक्कों के मूल्य-वर्ग, उनकी विमाएं, डिजाइन और संरचना - टकसालों में या धारा 3 के परंतुक के अधीन प्राधिकृत किसी अन्य स्थान में एक हजार रुपए से अनधिक ऐसे मूल्य-वर्ग और ऐसी विमाओं और डिजाइनों के तथा ऐसी धातुओं या ऐसी संरचना की मिश्रित धातुओं या किसी अन्य पदार्थ के सिक्के ढाले जा सकेंगे, जो सरकार द्वारा विहित किया जाए।

5. **मानक वजन और उपचार** - धारा 4 के उपबंधों के अधीन ढाले गए किसी भी मूल्य-वर्ग के सिक्के का मानक वजन तथा ऐसे सिक्कों को बनाने में अनुज्ञात उपचार ऐसा होगा, जो केंद्रीय सराकर द्वारा समय-समय पर, इस निमित्त विहित किया जाए ।

6. सिक्का कब वैध निविदा है (1) धारा 4 के प्राधिकार के अधीन निर्गमित सिक्के संदाय में या लेखे में निम्नानुसार वैध-निविदा होंगे :-

(क) एक रुपए से अन्यून किसी मूल्य-वर्ग का सिक्का एक हजार रुपए से अनधिक किसी धनराशि के लिए
(ख) आधे रुपए का सिक्का दस रुपए से अनधिक किसी धनराशि के लिए
(ग) कोई अन्य सिक्का एक रुपए से अनधिक किसी धनराशि के लिए :
परंतु सिक्का विरूपित न हुआ हो और उसका वजन इतना कम न हुआ हो कि वह उतने वजन से कम रह गया हो जितना उसके लिए विहित किया जाए ।

(2) नया पैसा श्रृंखला में सभी नए सिक्के जो भारतीय सिक्का निर्माण (संशोधन) अधिनियम 1964 (1964 का 17) के प्रारंभ से पूर्व जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना सं०का०नि०आ० 1120, तारीख 11 मई 1956 के अधीन उस रूप में अभिहित किए गए हैं, संदाय में या लेखे में निम्नानुसार वैध-निविदा बने रहेंगे—
(क) आधे रुपए या पचास नए पैसे का सिक्का दस रुपए से अनधिक किसी धनराशि के लिए
(ख) कोई अन्य सिक्का एक रुपए से अनधिक किसी भी धनराशि के लिए।

7. सिक्का-निर्माण की दशमलव प्रणाली (1) रुपए को एक सौ इकाइयों में विभाजित किया जाएगा और किसी ऐसी इकाई को सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा, ऐसे नाम से अभिहित किया जा सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(2) किसी अधिनियमिति में या किसी अधिनियमिति के अधीन किसी अधिसूचना, नियम या आदेश में या किसी संविदा विलेख या अन्य लिखत में आने पैसे और पाई में अभिव्यक्त किसी मूल्य के प्रति सभी निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उपधारा (1) में निर्दिष्ट इकाइयों में अभिव्यक्त उसके उस मूल्य के प्रति निर्देश हैं, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट एक सौ इकाई की सोलह आने चौंसठ पैसे या एक सौ बानवे पाई की दर से उसका संपरिवर्तन करने पर प्राप्त होती है।

(3) किसी अधिनियमिति या किसी अधिनियमिति के अधीन किसी अधिसूचना नियम या आदेश में या किसी संविदा विलेख या अन्य लिखत में नया पैसा या नए पैसे में किसी मूल्य के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस मूल्य के प्रति निर्देश हैं, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट इकाइयों में क्रमशः अभिव्यक्त हैं ।

20. 1934 के अधिनियम 2 का संशोधन- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में, -

(i) धारा 2 के खंड (घ) में “भारतीय सिक्का-निर्माण अधिनियम 1906" (1906 का 3) शब्दों और अंकों के स्थान पर “सिक्का-निर्माण अधिनियम 2011” शब्द और अंक रखे जाएंगे

(ii) धारा 39 में “भारतीय सिक्का-निर्माण अधिनियम 1906" (1906 का 3) शब्दों और अंकों के स्थान पर दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं "सिक्का निर्माण अधिनियम 2011" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

27. निरसन और व्यावृत्ति (1) निम्नलिखित निरसन और व्यावृत्ति इसके द्वारा दी जाती है:-

(क) धातु सिक्का अधिनियम 1889 (1889 का 1)

(ख) सिक्का-निर्माण अधिनियम 1906 (1906 का 3)

(ग) कांस्य सिक्का (वैध-मुद्रा) अधिनियम 1918 (1918 का 22)

(घ) करेंसी आध्यादेश 1940 (1940 का अध्यादेश 4)

(ङ) छोटे सिक्के (अपराध) अधिनियम 1971 (1971 का 52) ।

28. विद्यमान सिक्कों का बना रहना- धारा 27 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों और अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी -

(क) उक्त अधिनियमितियों के अधीन निर्गमित सभी सिक्कों और

(ख) करेंसी अध्यादेश 1940 (1940 का अध्यादेश 4) के अधीन जारी भारत सरकार का एक रुपए का नोट को जो सिक्का-निर्माण अधिनियम 2011 के आरंभ होने से ठीक पूर्व वैध निविदा थे, सिक्के के समान माना जाएगा तथा इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन सभी प्रयोजनों अथवा भुगतान के लिए वैध निविदा बना रहेगा ।

अध्याय– 15

भारतीय कागजी मुद्रा अधिनियम की संक्षिप्त जानकारीयां

Act No. XIX o. 1861.
PASSED BY THE LEGISLATIVE COUNCIL OF INDIA.
(Received the assent of the Governor-General on the 16th July 1861.)
An Act to provide for a Government Paper Currency.

Preamble.
WHEREAS it is expedient to provide for the issue by the Government of India of Promissory Notes payable to bearer on demand, and to regulate the mode of issuing and securing payment of the same; and whereas due notice has been given by the Governor-General of India in Council to the Banks of Bengal, Bombay, and Madras respectively, as required by Acts VI of 1839, III of 1840, and IX of 1843, that the said Banks are to be modified by the power of the said Banks to issue Promissory Notes payable on demand ceasing from and after the day hereinafter provided; It is enacted as follows:

प्रस्तावना.

चूँकि यह समीचीन है कि भारत सरकार द्वारा धारक को मांग पर देय वचन-पत्र जारी करने तथा उसे जारी करने और उसका भुगतान सुनिश्चित करने की पद्धति को विनियमित करने का उपबंध किया जाए और चूँकि अधिनियम VI 1839, III 1840, और IX 1843 की अपेक्षा के अनुसार भारत के गवर्नर-जनरल द्वारा क्रमशः बंगाल, बम्बई और मद्रास के बैंकों को सम्यक सूचना दी गई है कि उक्त बैंकों को मांग पर देय वचन-पत्र जारी करने की उक्त बैंकों की शक्ति द्वारा संशोधित किया जाना है, जो इसके पश्चात् उपबंधित दिन से और उसके पश्चात समाप्त हो जाएगी यह निम्नानुसार अधिनियमित किया जाता है:

Laws repealed.

I. Section XXXI of the said Act VI of 1839, Section XXXI of the said Act III of 1840, and Section XXXIII of the said Act IX of 1843, so far as the said Sections authorize the Banks of Bengal, Bombay, and Madras respectively to issue Promissory Notes payable on demand, are repealed from and after the first day of March 1862.

कानून निरस्त किए गए।

I. 1839 के अधिनियम VI की धारा XXXI, 1840 के अधिनियम III की धारा XXXI, तथा 1843 के अधिनियम IX की धारा XXXIII जहां तक उक्त धाराएं क्रमशः बंगाल, बॉम्बे तथा मद्रास के बैंकों को मांग पर देय वचन पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत करती हैं, 1 मार्च 1862 से तथा उसके पश्चात निरस्त की जाती हैं।

Department of Issue to be established.

III. There shall be established by the Governor-General of India in Council a department of the Public Service, to be called the Department of Issue, either in connection with the Mints or otherwise, and from and after the passing of this Act there may be issued from the said Department, as hereinafter provided, Promissory Notes of the Government of India payable to bearer on demand, for such sums, not being less than ten Rupees, as the Governor-General of India in Council shall from time to time direct.

निर्गम विभाग की स्थापना की जाएगी।

III. भारत के गवर्नर-जनरल द्वारा परिषद् में लोक सेवा का एक विभाग स्थापित किया जाएगा, जिसे निर्गम विभाग कहा जाएगा चाहे वह टकसालों के संबंध में हो या अन्यथा और इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् उक्त विभाग से जैसा कि इसमें आगे उपबंधित है, भारत सरकार के वचन पत्र जारी किए जा सकेंगे जो धारक को मांग किए जाने पर देय होंगे ऐसी राशि के लिए जो दस रुपए से कम नहीं होगी जैसा कि भारत के गवर्नर-जनरल परिषद् में समय-समय पर निर्देश देंगे।

When such Notes may be issued.

IX. The Head Commissioner, the Commissioners, and the Deputy Com- missioners and Agents shall, in their respective "Circles of Issue," on the demand of any person, Issue from súch Office or Offices or Agencies of Issue as shall be established in the appointed city or town in their respective Circles, Promissory Notes of such denominations as shall be prescribed under Section III, not being for any less sum than ten Rupees, on the terms following:---
First, in exchange for the amount thereof in current silver coin of the Government of India.
Or, secondly, in exchange for the amount thereof in standard silver bullion or foreign silver coin computed according to such standard, at the rate of 979 Rupees per 1000 tolahs of standard silver fit for Coinage;

Proviso.
Provided that the said Head Commissioner, Commissioners, Deputy Com- missioners, and Agents shall, in all cases, be entitled to require such silver bullion and foreign coin to be melted and assayed at the expense of the person tendering the same, and provided also that in all places where there is no Mint of the Government of India, it shall be optional for any such Head Commissioner, Commissioner, Deputy Commissioners and Agents, to issue Notes in exchange for silver or foreign coin under this Section; Or, thirdly, in exchange for other Notes of the Government of India pay- able to bearer on demand of other amounts issued within the same Circle. Provided also, that it shall be lawful for the Governor-General in Council from time to time to direct, by order to be published in the Gazettes of Cal- cutta, Madras, and Bombay, that Notes to an extent to be specified in the
not exceeding one-fourth of the total amount of issues represented by coin and bullion as herein provided, shall be issued at such Offices or Agencies of Issue as may be named in the order, in exchange for gold coin of full weight of the Government of India, or for foreign gold coin or gold bullion computed at such rates and according to such rules and conditions as shall be fixed by such order, and which rates, rules, and conditions shall not be altered without six months'

previous notice. Whenever such order shall be issued, the Head Commissioner, Commissioners, Deputy Commissioners, and Agents, at the Offices or Agencies specified in the order, shall be bound to issue Notes on demand in conformity with such order.

ऐसे नोट कब जारी किए जा सकते हैं।

IX. प्रधान आयुक्त, आयुक्त, उप आयुक्त और एजेंट अपने-अपने "जारी करने वाले सर्किलों" में किसी व्यक्ति की मांग पर अपने-अपने सर्किलों में नियुक्त शहर या कस्बे में स्थापित ऐसे कार्यालय या कार्यालयों या जारी करने वाली एजेंसियों से धारा III के तहत निर्धारित मूल्यवर्ग के वचन पत्र जारी करेंगे, जो दस रुपये से कम राशि के नहीं होंगे निम्नलिखित शर्तों पर :-

सबसे पहले भारत सरकार के चालू चांदी के सिक्के में इसकी राशि के बदले में।

या दूसरे मानक चांदी के बुलियन या विदेशी चांदी के सिक्के में इसकी राशि के बदले में, जो ऐसे मानक के अनुसार गणना की गई हो सिक्का बनाने के लिए उपयुक्त मानक चांदी के प्रति 1000 तोला पर 979 रुपये की दर से

नियम

परन्तु यह कि उक्त प्रधान आयुक्त, आयुक्त, उप आयुक्त और अभिकर्ता, सभी मामलों में, ऐसे चांदी के सिक्के और विदेशी सिक्के को उसे देने वाले व्यक्ति के खर्च पर पिघलाने और परखने की मांग करने के हकदार होंगे, और यह भी कि उन सभी स्थानों पर जहां भारत सरकार की टकसाल नहीं है ऐसे किसी भी प्रधान आयुक्त, आयुक्त, उप आयुक्त और अभिकर्ताओं के लिए इस धारा के अधीन चांदी या विदेशी सिक्के के बदले में नोट जारी करना वैकल्पिक होगा या तीसरा उसी सर्किल के भीतर जारी किए गए अन्य रकमों की मांग पर वाहक को देय भारत सरकार के अन्य नोटों के बदले में।

यह भी प्रावधान है कि समय-समय पर कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के राजपत्रों में प्रकाशित किए जाने वाले आदेश द्वारा गवर्नर-जनरल इन काउंसिल के लिए यह निर्देश देना वैध होगा कि इस आदेश में निर्दिष्ट किए गए सिक्कों और बुलियन द्वारा दर्शाए गए कुल निर्गमों की राशि के एक-चौथाई से अधिक न होने वाली सीमा तक नोट भारत सरकार के पूर्ण भार के सोने के सिक्के के बदले में या विदेशी सोने के सिक्के या सोने के बुलियन के बदले में जारी किए जाएँगे, जो ऐसे आदेश द्वारा तय की गई दरों और नियमों और शर्तों के अनुसार परिकलित किए जाएँगे, और जिनकी दरों नियमों और शर्तों में छह महीने की पूर्व सूचना के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जब भी ऐसा आदेश जारी किया जाएगा तो आदेश में निर्दिष्ट कार्यालयों या एजेंसियों में प्रधान आयुक्त, आयुक्त, उप आयुक्त और एजेंट ऐसे आदेश के अनुरूप मांग पर नोट जारी करने के लिए बाध्य होंगे।

The whole amount of bullion and coin received for Notes to be kept as a reserve to pay such Notes, excepting an amount not exceeding 4 crores of Ru- pees to be fixed as the minimum limit of circulation.

X. The whole amount of the bullion and coin so received for Notes shall be secured as a reserve to pay such Notes,retained and with the exception of such an amount, not exceeding four crores of Rupees, as the Governor-General in Council, with the consent of the Secretary of State for India, shall from time to time fix. The amount so fixed shall be published in the Gazettes of Calcutta, Madras, and Bombay, and shall be invested in Government securities, and the said coin, bullion, and securities shall be appropriated and set apart to provide for the satisfaction and discharge of the said Notes; and the said Notes shall be deemed to have been issued on the security of the coin, bullion, and securities so appropriated and set apart, as well as on the general credit of the Government. Provided that any gold coin or bullion which may be received under this Act, may be sold or exchanged for silver coin or bullion to be so appropriated and set apart, instead of the gold coin or bullion.

नोटों के लिए प्राप्त बुलियन और सिक्कों की पूरी राशि ऐसे नोटों के भुगतान के लिए आरक्षित रखी जाएगी, सिवाय उस राशि के जो 4 करोड़ रुपये से अधिक न हो, जिसे प्रचलन की न्यूनतम सीमा के रूप में निर्धारित किया जाएगा।

X. नोटों के लिए प्राप्त बुलियन और सिक्कों की पूरी राशि ऐसे नोटों के भुगतान के लिए आरक्षित रखी जाएगी, और ऐसी राशि के अपवाद के साथ जो चार करोड़ रुपये से अधिक न हो जिसे गवर्नर-जनरल इन काउंसिल भारत के राज्य सचिव की सहमति से समय-समय पर निर्धारित करेगा। इस प्रकार निर्धारित राशि कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के राजपत्रों में प्रकाशित की जाएगी और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की जाएगी और उक्त सिक्के, बुलियन और प्रतिभूतियों को उक्त नोटों की संतुष्टि और निर्वहन के लिए विनियोजित और अलग रखा जाएगा और उक्त नोटों को इस प्रकार विनियोजित और अलग रखे गए सिक्के बुलियन और प्रतिभूतियों की सुरक्षा के साथ-साथ सरकार के सामान्य ऋण पर जारी किया गया माना जाएगा। परन्तु इस अधिनियम के अधीन प्राप्त किसी भी स्वर्ण सिक्के या बुलियन को स्वर्ण सिक्के या बुलियन के स्थान पर ऐसे चांदी के सिक्के या बुलियन के साथ बेचा या बदला जा सकेगा जिसे इस प्रकार विनियोजित और पृथक रखा जाएगा।

In what names the Government Securities to stand.

XI. The Government Securities purchased under this Act in the Presi- dency of Fort William in Bengal shall stand in the name of the Head Commissioner and the Master of the Mint at Calcutta; the Government Securities purchased under this Act in the Presidency of Fort Saint George shall stand in the name of the Commissioner at Madras and the Master of the Mint at Madras; and the Government Securities purchased under this Act in the Presidency of Bombay shall stand in the name of the Commissioner at Bombay and the Master of the Mint at Bombay. Provided that if the Head Commissioner or Commissioner in any case be the Master of the Mint, the Governor-General in Council shall appoint another Trustee or Trustees in addition to the Master of the Mint.

सरकारी प्रतिभूतियाँ किस नाम से होंगी।

XI. बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी में इस अधिनियम के तहत खरीदी गई सरकारी प्रतिभूतियाँ कलकत्ता में मुख्य आयुक्त और टकसाल के मास्टर के नाम पर होंगी फोर्ट सेंट जॉर्ज प्रेसिडेंसी में इस अधिनियम के तहत खरीदी गई सरकारी प्रतिभूतियाँ मद्रास में आयुक्त और मद्रास में टकसाल के मास्टर के नाम पर होंगी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इस अधिनियम के तहत खरीदी गई सरकारी प्रतिभूतियाँ बॉम्बे में आयुक्त और बॉम्बे में टकसाल के मास्टर के नाम पर होंगी। बशर्ते कि यदि मुख्य आयुक्त या आयुक्त किसी भी मामले में टकसाल का मास्टर है, तो गवर्नर-जनरल इन काउंसिल टकसाल के मास्टर के अलावा एक और ट्रस्टी या ट्रस्टियों को नियुक्त करेगा।

Abstract of accounts to be published.

XIII. An abstract of the accounts of the Department, showing the whole amount of Notes in circulation, the amount of coin and bullion reserved, distinguishing gold from silver, and the amount of the Government Securities held by the said Department, shall be made up monthly in Calcutta, and published as soon as may be in the Gazettes of Calcutta, Madras, and Bombay.

लेखाओं का सारांश प्रकाशित किया जाएगा।

XIII. विभाग के लेखाओं का सारांश, जिसमें प्रचलन में नोटों की पूरी मात्रा, आरक्षित सिक्कों और बुलियन की मात्रा, सोने और चांदी में अंतर तथा उक्त विभाग द्वारा धारित सरकारी प्रतिभूतियों की मात्रा दर्शाई जाएगी, कलकत्ता में मासिक रूप से तैयार किया जाएगा, तथा कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के राजपत्रों में यथाशीघ्र प्रकाशित किया जाएगा।

Notes where there is legal force.

XVI. Within any of the "Circles of Issue," as hereinbefore provided, a tender of a Note or Notes issued under this Act from any Office or Agency of Issue of such "Circle of Issue," shall be a legal tender to the amount expressed in such Note or Notes, and shall be taken to be valid as a tender to such amount in payment of any revenue or other claim to the amount of ten Rupees and upwards due to the Government of India, and in payment of any sum of ten Rupees and upwards due by the Government of India, or by any Body "Corporate or by any person or persons in British India, on all occasions whatsoever on which any tender of money can be legally made. Provided that no such Note or Notes shall be deemed to be a legal tender of payment by the Government of India at any Office or at the Issue Department of any Agency of Issue.

नोट जहां कानूनी निविदा हैं

XVI. किसी भी "जारी करने के सर्कल" के भीतर जैसा कि इसके पहले प्रावधान किया गया है, इस अधिनियम के तहत ऐसे "जारी करने के सर्कल" के किसी भी कार्यालय या एजेंसी से जारी किए गए नोट या नोट्स की निविदा ऐसे नोट या नोट्स में व्यक्त राशि के लिए एक कानूनी निविदा होगी, और भारत

सरकार को देय दस रुपये और उससे अधिक की राशि के किसी भी राजस्व या अन्य दावे के भुगतान में और भारत सरकार या किसी भी निकाय "कॉर्पोरेट" या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा देय दस रुपये और उससे अधिक की किसी भी राशि के भुगतान में ऐसी राशि के लिए निविदा के रूप में वैध माना जाएगा।

ब्रिटिश भारत में सभी अवसरों पर, जिन पर कोई भी धन का निविदा कानूनी रूप से किया जा सकता है। बशर्ते कि ऐसा कोई नोट या नोट भारत सरकार द्वारा किसी भी कार्यालय या किसी भी जारी करने वाली एजेंसी के निर्गम विभाग में भुगतान की कानूनी निविदा नहीं माना जाएगा।

Notes may be described as Promissory Notes.

XVIII. All Notes issued under this Act shall be deemed and taken to bePromissory Notes of the Government of India, and may and shall be described as Promissory Notes of the Go- vernment of India in all indictments, and in Criminal and Civil proceedings, any law or usage to the contrary notwithstanding.

नोटों को वचन पत्र के रूप में वर्णित किया जा सकेगा।

XVIII. इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए सभी नोट भारत सरकार के वचन पत्र समझे जाएंगे और माने जाएंगे, तथा सभी अभियोगों और फौजदारी तथा सिविल कार्यवाहियों में किसी कानून या प्रथा के विपरीत होने पर भी उन्हें भारत सरकार के वचन पत्र के रूप में वर्णित किया जा सकेगा और किया जाएगा।

ACT No. XX OF 1882.
PASSED BY THE GOVERNOR GENERAL OF INDIA IN COUNCIL. (Received the assent of the Governor General on the 26th October, 1882.)
An Act to amend the law relating to the Gov- ernment Paper Currency.
[As modified up to the 27th June, 1898.]

WHEREAS it is expedient to amend the law Preamble. relating to the Government Paper Currency; It is hereby enacted as follows:-

I.-Preliminary.

1. This Act may be called the Indian Paper Currency Act, 1882:

It extends to the whole of British India;[*] and it shall come into force on the passing thereof.
2. (1) Act No. III of 1871 (to consolidate and amend the law relating to the Government Paper Currency) is hereby repealed.
(2) All appointments made, rules prescribed, noti- fications published, authorities conferred, securities purchased and notes issued under the said Act, or any Act thereby repealed, shall, if in force, undis- posed of or in circulation when this Act comes into force, be deemed to be respectively made, prescribed, published, conferred, purchased and issued under this Act. And all references made to any portion of the Indian Paper Currency Act, 1871, or any Act thereby repealed, in Acts or Regulations passed before this Act comes into force, shall be deemed to be made to the corresponding portion of this Act.

1. इस अधिनियम को भारतीय कागजी मुद्रा अधिनियम 1882 कहा जा सकेगा:
इसका विस्तार सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत पर है [*] तथा यह इसके पारित होने पर लागू होगा।

2. (1) 1871 का अधिनियम संख्या III (सरकारी कागजी मुद्रा से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए) इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) उक्त अधिनियम या उसके द्वारा निरस्त किसी अधिनियम के अधीन की गई सभी नियुक्तियाँ, निर्धारित नियम, प्रकाशित अधिसूचनाएँ प्रदत्त प्राधिकार खरीदी गई प्रतिभूतियाँ और जारी किए गए नोट यदि इस अधिनियम के लागू होने के समय लागू हैं अप्रसारित हैं या प्रचलन में हैं, तो इस अधिनियम के अधीन क्रमशः बनाए गए निर्धारित, प्रकाशित, प्रदान किए गए खरीदे गए और जारी किए गए समझे जाएँगे।
तथा इस अधिनियम के लागू होने से पहले पारित अधिनियमों या विनियमों में भारतीय कागजी मुद्रा अधिनियम 1871 या उसके द्वारा निरस्त किसी अधिनियम के किसी भाग के लिए किए गए सभी संदर्भ इस अधिनियम के संगत भाग के लिए किए गए समझे जाएँगे।

II.-The Department of Paper Currency.

3. (1) There shall continue to be a Department of the public service, whose function shall be the issue of promissory notes of the Government of India, payable to bearer on demand, for such sums, not being less than five rupees, as the Governor General in Council, from time to time, directs.
(2) Such notes shall be called currency notes.
(3) The Department shall be called the Depart- ment of Paper Currency

II.-कागजी मुद्रा विभाग।

3. (1) लोक सेवा का एक विभाग बना रहेगा जिसका कार्य भारत सरकार के वचन-पत्र जारी करना होगा, जो धारक को मांग पर देय होंगे, ऐसी राशि के लिए, जो पाँच रुपये से कम नहीं होगी जैसा कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल समय-समय पर निर्देश दे।

(2) ऐसे नोटों को करेंसी नोट कहा जाएगा।

(3) विभाग को कागज़ी मुद्रा विभाग कहा जाएगा।

Deputy Com- and Currency

6. For each Circle of Issue, other than those which include the towns of Calcutta, Madras, Bom. missioners bay and Rangoon, there shall be an officer called the Agents. Deputy Commissioner of Paper Currency, and for each Currency Agency an officer called the Currency Agent.

उप आयुक्त और मुद्रा

6. कलकत्ता, मद्रास, बॉम. मिशनर्स बे और रंगून के शहरों को छोड़कर प्रत्येक निर्गम सर्किल के लिए एक अधिकारी होगा जिसे कागजी मुद्रा का एजेंट कहा जाएगा, और प्रत्येक मुद्रा एजेंसी के लिए एक अधिकारी होगा जिसे मुद्रा एजेंट कहा जाएगा।

9.(1) The Head Commissioner shall provide cur- rency notes of the denominations prescribed under this Act, and shall supply the Commissioners and the Currency Agents subordinate to him, and the Deputy Commissioners, with such notes as they need for the purposes of this Act.

(2) The Commissioners and Deputy Commissioners shall supply the Currency Agents subordinate to them, respectively, with such notes as those Agents need for the purposes of this Act.

(3) Every such note shall bear upon it the name of the town from which it is issued.

9. (1) प्रधान आयुक्त इस अधिनियम के अधीन निर्धारित मूल्यवर्ग के करेंसी नोट उपलब्ध कराएगा तथा अपने अधीनस्थ आयुक्तों और करेंसी एजेंटों तथा उप आयुक्तों को ऐसे नोट उपलब्ध कराएगा, जिनकी उन्हें इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है।

(2) आयुक्त और उप आयुक्त अपने अधीनस्थ करेंसी एजेंटों को क्रमशः ऐसे नोट उपलब्ध कराएंगे, जिनकी उन एजेंटों को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है।

(3) प्रत्येक ऐसे नोट पर उस शहर का नाम अंकित होगा, जहां से वह जारी किया गया है।

Signatures to notes.

10. (1) The name of the Head Commissioner, of one of the Commissioners, of a Deputy Commissioner or of some other person authorised by the Head Com- missioner, or by one of the Commissioners, to sign currency notes, shall be subscribed to every such note, and may be impressed thereon by machinery.

(2) Names so impressed shall be taken to be valid signatures.

नोटों पर हस्ताक्षर।

10. (1) मुख्य आयुक्त, आयुक्तों में से किसी एक का उप आयुक्त का या मुख्य आयुक्त द्वारा या आयुक्तों में से किसी एक द्वारा करेंसी नोटों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति का नाम प्रत्येक ऐसे नोट पर अंकित किया जाएगा और उसे मशीनरी द्वारा उस पर अंकित किया जा सकेगा।

(2) इस प्रकार अंकित नाम वैध हस्ताक्षर माने जाएंगे।

12. Any Currency Agent to whom notes have Issue of been supplied under section 9 may, if he thinks fit, on the demand of any person, issue from his agency any such notes in exchange for the amount thereof in any coin specified in clause (a) (b) or clause (c) of section 11.

12. कोई मुद्रा एजेंट जिसे धारा 9 के अधीन नोट दिए गए हैं, यदि वह ठीक समझे किसी व्यक्ति की मांग पर धारा 11 के खंड (क) (ख) या खंड (ग) में विनिर्दिष्ट किसी सिक्के में उनकी कीमत के बदले में अपने एजेंसी से ऐसे कोई नोट जारी कर सकेगा।

Issue of notes for gold.

13. The Governor General in Council may, from, time to time, by order notified in the Gazette of India, direct that currency notes (b) shall be issued at such offices of issue as are named in the order, in exchange for gold coin of full weight of the Government of India, or for foreign gold coin or gold bullion, at the rates, and according to the rules and conditions, fixed by that order.

सोने के बदले नोट जारी करना।

13. गवर्नर जनरल इन काउंसिल समय-समय पर भारत के राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगा कि करेंसी नोट (ख) ऐसे निर्गम कार्यालयों में जारी किए जाएंगे,

जो आदेश में नामित हैं, भारत सरकार के पूर्ण भार के सोने के सिक्के के बदले में या विदेशी सोने के सिक्के या सोने की सिल्लियों के बदले में उस आदेश द्वारा निर्धारित दरों और नियमों और शर्तों के अनुसार।

Issue of notes for silver by Head Commission. er Commis- sioners and Deputy Com missioners.

11. The Head Commissioner, the Commissioners and the Deputy Commissioners shall, in their respect- ive Circles of Issue, on the demand of any person, issue, from the office or offices of issue established in - their respective circles, currency notes of the denom- inations prescribed under this Act, in exchange for the amount thereof-

(a) in current silver coin of the Government of India,
(b) [Repealed by Act VIII of 1893.]
(c) in current silver coin made under the Native Coinage Act, 1876

प्रधान आयुक्त, आयुक्तों और उप आयुक्तों द्वारा चांदी के नोट जारी करना।

11. प्रधान आयुक्त, आयुक्त और उप आयुक्त अपने-अपने निर्गम क्षेत्रों में किसी व्यक्ति की मांग पर अपने-अपने क्षेत्रों में स्थापित निर्गम कार्यालयों से इस अधिनियम के अधीन निर्धारित मूल्यवर्ग के करेंसी नोट जारी करेंगे, बदले में उनकी राशि होगी-

(क) भारत सरकार के चालू चांदी के सिक्के में,
(ख) [1893 के अधिनियम VIII द्वारा निरसित।]
(ग) देशी सिक्का अधिनियम, 1876 के अधीन बने चालू चांदी के सिक्के में

Notes where legal tender.

16. Within any of the said Circles of Issue, a currency note issued from any town in that circle shall be a legal tender for the amount expressed in that note, in payment or on account of-
(a) any revenue or other claim, to the amount of five rupees and upwards, due to the Government of India, and
(b) any sum of five rupees and upwards, due by the Government of India, or by any body corporate or person in British India:
Provided that no such note shall be deemed to be a legal tender by the Government of India at any office of issue.

नोट वैध मुद्रा हैं।

16. किसी भी जारी करने वाले सर्किल के अंतर्गत, उस सर्किल के किसी भी शहर से जारी किया गया करेंसी नोट उस नोट में व्यक्त राशि के लिए वैध मुद्रा होगी, जो निम्नलिखित के भुगतान या कारण में होगी-
(क) भारत सरकार को देय पाँच रुपये या उससे अधिक की राशि तक का कोई राजस्व या अन्य दावा और
(ख) भारत सरकार या ब्रिटिश भारत में किसी निगमित निकाय या व्यक्ति द्वारा देय पाँच रुपये या उससे अधिक की कोई राशि:

बशर्ते कि ऐसा कोई नोट भारत सरकार द्वारा किसी भी जारी करने वाले कार्यालय में वैध मुद्रा नहीं माना जाएगा।

Notes where payable.

17. A currency note shall be payable only-
(a) at the office or offices of issue of the town from which it has been issued, and
(b) in the case of notes issued from any town not situate in British Burma, [*] also at the Presidency-town of the Presidency within which that town is situate.

नोट जहां देय हों।

17. करेंसी नोट केवल-
(क) उस शहर के जारी करने वाले कार्यालय या कार्यालयों में देय होगा जहां से इसे जारी किया गया है, और
(ख) ब्रिटिश बर्मा में स्थित न होने वाले किसी शहर से जारी किए गए नोटों के मामले में [*] उस प्रेसीडेंसी के शहर में भी देय होगा जिसमें वह शहर स्थित है।

Notes issued from Currine yo Agen cies deemed to be issued from place of issue of circle.

18. For the purposes of sections 16 and 17, notes issued from any Currency Agency shall be deemed to have been issued from the town appointed under sec- tion 5 to be the place of issue in the Circle of Issue in which that Agency is established.

मुद्रा एजेन्सियों से जारी नोट, जारी करने के स्थान से जारी किए गए माने जाएंगे।

18. धारा 16 और 17 के प्रयोजनों के लिए किसी मुद्रा एजेन्सी से जारी नोट जारी करने के स्थान के रूप में धारा 5 के अधीन नियुक्त शहर से जारी किए गए माने जाएंगे, उस जारी करने के सर्किल में जिसमें वह एजेन्सी स्थापित है।

Coin and bul lion received for notes to be kept as a reserve, ex- cept amount fixed as here in provided.

19. The whole amount of the coin and bullion received under this Act, and under Act III of 1871,[] for currency notes, shall be retained and secured as a reserve to pay those notes, with the exception of such . an amount, not exceeding (°) eighty millions [] of rupees, as the Governor General in Council, with the consent of the Secretary of State for India, from time to time fixes.

नोटों के लिए प्राप्त सिक्के और बुलियन को आरक्षित के रूप में रखा जाएगा, सिवाय इसके कि यहां प्रावधान के अनुसार निश्चित राशि हो।

19. इस अधिनियम के तहत और 1871 के अधिनियम III के तहत मुद्रा नोटों के लिए प्राप्त सिक्के और बुलियन की पूरी राशि उन नोटों का भुगतान करने के लिए आरक्षित और सुरक्षित रखी जाएगी ऐसी राशि

के अपवाद के साथ जो (°) अस्सी मिलियन रुपये से अधिक नहीं होगी, जिसे गवर्नर जनरल इन काउंसिल भारत के सचिव के साथ समय-समय पर राज्य निर्धारित करता है।

Penalty for issuing such bills or notes.

26. (1) Any body corporate or person committing any offence under section 25 shall, on conviction before a Presidency Magistrate, or a Magistrate of the first class, be punished with a fine equal to the amount of the bill, hundí, note or engagement in respect whereof the offence is committed.

(2) Every prosecution under this section shall be instituted by the Head Commissioner, Commissioner or Deputy Commissioner, as the case may be, of Paper Currency for the Circle of Issue in which the bill, hundi, note or engagement is drawn, accepted, made or issued.

ऐसे बिल या नोट जारी करने के लिए दंड।

26. (1) धारा 25 के अधीन कोई अपराध करने वाला कोई निगमित निकाय या व्यक्ति, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर उस बिल, हुंडी, नोट या वचनपत्र की राशि के बराबर जुर्माने से दंडित किया जाएगा जिसके संबंध में अपराध किया गया है।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अभियोजन उस जारी करने वाले सर्कल के लिए कागजी मुद्रा के प्रधान आयुक्त, आयुक्त या उप आयुक्त द्वारा जैसा भी मामला हो संस्थित किया जाएगा जिसमें बिल, हुंडी, नोट या वचनपत्र तैयार, स्वीकार, बनाया या जारी किया गया है।

APPENDIX.

ACT NO. VIII OF 1893.

PASSED BY THE GOVERNOR GENERAL OF INDIA IN COUNCIL. (Received the assent of the Governor General on the 26th June, 1893.)

An Act to amend the Indian Coinage Act, 1870, and the Indian Paper Currency Act, 1882.

WHEREAS it is expedient to amend the Indian Coinage Act, 1870, [*] and the Indian Paper Currency Act, 1882; [b] It is hereby enacted as follows:-

{ Title and commence ment.} 1. (1) This Act may be called the Indian Coinage and Paper Currency Act, 1893; and

(2) It shall come into force at once.

{ Repeal of existing enactments } 2. The enactments specified in the schedule here- to shall be repealed or modified to the extent and in the manner mentioned in the third column thereof, but no such repeal or modification shall affect any- thing already done or any right or obligation hereto- fore acquired or undergone under the said enactments or any of them.

भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम 1870 और भारतीय कागजी मुद्रा अधिनियम 1882 को संशोधित करने के लिए अधिनियम।

चूँकि भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम 1870 [*] और भारतीय कागजी मुद्रा अधिनियम, 1882 को संशोधित करना समीचीन है [ख] इसके द्वारा निम्नानुसार अधिनियम बनाया जाता है:-

{शीर्षक और प्रारंभ।} 1. (1) इस अधिनियम को भारतीय सिक्का निर्माण और कागजी मुद्रा अधिनियम 1893 कहा जा सकेगा और

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

{विद्यमान अधिनियमों का निरसन} 2. अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियमों को उनके तीसरे स्तंभ में उल्लिखित सीमा तक और तरीके से निरस्त या संशोधित किया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई निरसन या संशोधन पहले से की गई किसी चीज़ या उक्त अधिनियमों या उनमें से किसी के तहत अर्जित या प्राप्त किए गए किसी अधिकार या दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा।

ACT NO. II OF 1898.

PASSED BY THE GOVERNOR GENERAL OF INDIA IN COUNCIL,
(Received the assent of the Governor General on the 21st January, 1898.)
An Act to provide for the issue of currency notes on the security of gold received in England.

Short title commence ment and duration.

WHEREAS it is expedient to provide for the issue of currency notes on the security of gold received in England; It is hereby enacted as follows:-

1. (1) This Act may be called the Indian Paper Currency Act, 1898.

(2) It shall come into force at once; and

(3) It shall remain in force for six months from its commencement, and no longer.

संक्षिप्त नाम प्रारंभ और अवधि।

चूंकि इंग्लैंड में प्राप्त सोने की प्रतिभूति पर करेंसी नोट जारी करने का प्रावधान करना समीचीन है इसलिए यह निम्नानुसार अधिनियमित किया जाता है:-

1. (1) इस अधिनियम को भारतीय कागजी मुद्रा अधिनियम 1898 कहा जा सकता है।

(2) यह तुरन्त लागू होगा और

(3) यह अपने प्रारंभ से छह महीने तक लागू रहेगा इससे अधिक नहीं।

Addition of after section new 13 Act XX of 1882. Issue of notes against gold received England.

2. After section 13 of the Indian Paper Currency Act, 1882, the following section shall be added, namely :-

"13A. The Governor General in Council may, from time to time, by an order notified in the Gazette of India, direct that currency notes shall be issued at such offices of issue as are named in the order to an amount equal to the value of gold held by the Secre- tary of State for India at the rate, and subject to the conditions, fixed by that order:
Provided that-

(1) the power conferred by this section shall not be exercised unless the Secretary of State for India shall consent to hold in gold coin or gold bullion what he shall determine to be equivalent in value to the notes so issued, as a reserve to secure the payment of such notes, until he shall transmit the same, or what he shall determine to be equivalent to the same, in gold coin or gold bullion to India, or until the Government of India shall appropriate and set apart in India, as a part of the currency reserve under section 19, an amount of coin of the Government of India equal in value to such notes;

(2) gold coin or gold bullion so remitted shall be deemed to be received, within the meaning of section 19, when it is received in India by the Governor General in Council; and

(3) gold coin or gold bullion so retained shall, until its arrival in India, be distinguished from other gold coin or gold bullion in the abstract account published under section 27"

धारा 13 के बाद नया 13 जोड़ा गया 1882 का अधिनियम XX। इंग्लैंड से प्राप्त सोने के बदले नोट जारी करना।

2. भारतीय कागजी मुद्रा अधिनियम 1882 की धारा 13 के बाद, निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:-
"13A. गवर्नर जनरल इन काउंसिल समय-समय पर भारत के राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि मुद्रा नोट ऐसे जारी करने वाले कार्यालयों में जारी किए जाएंगे जो भारत के राज्य सचिव द्वारा रखे गए सोने के मूल्य के बराबर राशि के बराबर हैं, जो उस आदेश द्वारा निर्धारित दर और शर्तों के अधीन हैं:

बशर्ते कि-

(1) इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि भारत सचिव, जारी किए गए नोटों के मूल्य के बराबर मूल्य की राशि को ऐसे नोटों के भुगतान को सुरक्षित करने के लिए आरक्षित निधि के रूप में सोने के सिक्के या सोने की बुलियन के रूप में रखने के लिए सहमति नहीं देता है, जब तक कि वह उसे या उसके बराबर मूल्य की राशि के सोने के सिक्के या सोने की बुलियन के रूप में भारत को प्रेषित नहीं कर देता है, या जब तक कि भारत सरकार धारा 19 के अधीन मुद्रा आरक्षित निधि के एक भाग के रूप में ऐसे नोटों के मूल्य के बराबर भारत सरकार के सिक्के की राशि को भारत में विनियोजित और अलग नहीं कर देती है

(2) इस प्रकार प्रेषित सोने का सिक्का या सोने की बुलियन धारा 19 के अर्थ के भीतर तब प्राप्त मानी जाएगी जब वह भारत में परिषद गवर्नर जनरल द्वारा प्राप्त की जाती है और

(3) इस प्रकार रखा गया सोने का सिक्का या सोने की बुलियन भारत में आने तक धारा 27 के अधीन प्रकाशित सार खाते में अन्य सोने के सिक्के या सोने की बुलियन से अलग होगी"

<u>भारतीय कागजी मुद्रा अधिनियम 1871.</u>

11. प्रधान आयुक्त, आयुक्त और उपायुक्त अपने संबंधित सर्किलों में किसी भी व्यक्ति की मांग पर, अपने संबंधित सर्किलों में स्थापित कार्यालय या कार्यालयों से सरकार के वचन पत्र जारी करेंगे। - भारत सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत निर्धारित मूल्यवर्ग के धारक की मांग पर निम्नलिखित शर्तों पर भुगतान किया जाएगा:-

(ए) भारत सरकार के वर्तमान चांदी के सिक्के में उसकी राशि के बदले में या,

(बी) चांदी बुलियन या विदेशी चांदी के सिक्के में उसकी राशि के बदले में नौ सौ उनहत्तर रुपये प्रति एक सौ अस्सी हजार चांदी के सिक्के की दर से

सिक्का बनाने के लिए उपयुक्त और भारतीय द्वारा निर्धारित मानक सुंदरता के लिए सिक्का निर्माण अधिनियम 1870 बशर्ते कि उन सभी स्थानों पर जहां भारत सरकार की कोई टकसाल नहीं है, ऐसा कोई भी प्रधान आयुक्त, आयुक्त या उपायुक्त इस धारा के तहत चांदी की बुलियन या विदेशी सिक्के के बदले नोट जारी करने से इनकार कर सकता है।

अधिनियम सं. 1899 का XXII.

1. (1) इस अधिनियम को भारतीय सिक्का निर्माण और कागजी मुद्रा अधिनियम, 1899 कहा जा सकता है और

(2) यह तुरंत लागू होगा।

2. भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम 1870 की धारा

12 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी,अर्थात्:- 1870 का तेईसवें. "12. सोने के सिक्के चाहे इंग्लैंड में महारानी के शाही टकसाल में गढ़े गए हों या महारानी की घोषणा के अनुसरण में महारानी की शाही टकसाल की एक शाखा के रूप में स्थापित किसी भी टकसाल में भुगतान के रूप में या खाते में कानूनी निविदा होंगे। एक संप्रभु के लिए पन्द्रह रुपये की दर से

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (OLD)

(अध्याय 1 - प्रारंभिक)

1 (घ) "रुपए का सिक्का" से ऐसे [2]*** रुपए अभिप्रेत है जो भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 '*** के उपबंधों के अधीन[3] [[भारत] में] वैध निविदा है

बैंक नोट निर्गमित करने का अधिकार

22. (1) रिज़र्व बैंक को ' [भारत] में बैंक नोट निर्गमित करने का एकल अधिकार होगा और वह उस काल के लिए, जिसे केंद्रीय सरकार केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर नियत करेगी, [केंद्रीय सरकार] द्वारा अपने को दिए गए करेंसी नोट निर्गमित कर सकेगा और जब तक कि कोई प्रतिकूल आशय न प्रतीत हो बैंक नोटों को इस अधिनियम के जो उपबंध लागू हैं वे [केंद्रीय सरकार] द्वारा या रिज़र्व बैंक द्वारा निर्गमित किए गए भारत सरकार के सारे करेंसी नोटों को उसी रीति से लागू होंगे मानो ऐसे करेंसी नोट बैंक-नोट हों और इस अधिनियम में बैंक-नोटों के प्रति निर्देशों का अर्थ तदनुसार किया जाएगा।

निर्गमन विभाग

23. (1) बैंक-नोटों का निर्गमन रिज़र्व बैंक द्वारा निर्गमन विभाग से किया जाएगा जो बैंककारी विभाग से पृथक् कर दिया जाएगा और पूर्णतः सुभिन्न रहेगा और निर्गमन विभाग की आस्तियां धारा 34 में एतत्पश्चात् यथापरिभाषित निर्गमन विभाग के दायित्वों से भिन्न किसी दायित्व के अधीन नहीं होंगी।
(2) निर्गमन विभाग बैंककारी विभाग या किसी अन्य व्यक्ति को बैंक-नोट अन्य बैंक-नोटों के या ऐसे सिक्कों सोना-चांदी या प्रतिभूतियों के विनिमय में ही निर्गमित करेगा जिनका आरक्षित निधि का एक भाग होना इस अधिनियम द्वारा अनुज्ञात है अन्यथा नहीं।

निर्गमन विभाग की आस्तियां

33. (1) निर्गमन विभाग की आस्तियां सोने के सिक्कों, सोने की सिल्लियों [3][विदेशी प्रतिभूतियों] रुपए के सिक्कों और रुपयों वाली प्रतिभूतियों के रूप में इतनी कुल रकम की होगी जो निर्गमन विभाग के एतत्पश्चात् यथापरिनिश्चित दायित्वों के योग से कम नहीं है।
[(2) आस्तियों के रूप में धारित सोने के सिक्कों, सोने की सिल्लियों और विदेशी प्रतिभूतियों का कुल मूल्य और इस प्रकार से धारित सोने के सिक्कों और सोने की सिल्लियों का कुल मूल्य किसी समय क्रमशः दो सौ करोड़ रुपए और एक सौ पन्द्रह करोड़ रुपए से कम नहीं होगा।]

निर्गमन विभाग के दायित्व

34. (1) निर्गमन विभाग के दायित्व वह रकम होगी जो भारत सरकार के उन करेंसी नोटों और उन बैंक नोटों की रकम के बराबर है जो तत्समय परिचालन में है।

विभिन्न प्रकार की करेंसी देने की बाध्यता

39. (1) रिज़र्व बैंक मांग किए जाने पर बैंक-नोटों और भारत सरकार के करेंसी नोटों के विनिमय में रुपए के सिक्के देगा और जो सिक्का भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 के अधीन वैध निविदा है उसके विनिमय में मांग किए जाने पर करेंसी नोट या बैंक-नोट देगा।

(2) रिज़र्व बैंक [दो] रुपए या उससे ऊपर के करेंसी नोटों या बैंक-नोटों के विनिमय में कम मूल्य के बैंक-नोट या करेंसी नोट या ऐसे अन्य सिक्के, जो भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 के अधीन वैध निविदा है, इतनी मात्रा में देगा जितनी रिज़र्व बैंक की राय में परिचालन के लिए आवश्यक है, और [केंद्रीय सरकार] रिज़र्व बैंक को ऐसे सिक्के उसके लिए मांग होने पर देगी। यदि [केंद्रीय सरकार] किसी समय ऐसे सिक्के देने में असफल रहती है तो रिज़र्व बैंक जनता को उन्हें देने की अपनी बाध्यता से मुक्त हो जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (NEW)

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 है।

1 (घ) “रुपए का सिक्का" से ऐसे 13*** रुपए अभिप्रेत हैं जो 14 [सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 (2011 का 11)] के उपबन्धों के अधीन 15 [16 [भारत] में] वैध निविदा है;

22. बैंक-नोट निर्गमित करने का अधिकार (1) रिजर्व बैंक को 2 [भारत] में बैंक-नोट निर्गमित करने का एकल अधिकार होगा और वह उस काल के लिए जिसे केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय बोर्ड की सिफारिश पर नियत करेगी, केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने को दिए गए करेंसी नोट निर्गमित कर सकेगा और जब तक कि कोई प्रतिकूल आशय न प्रतीत हो बैंक-नोटों को इस अधिनियम के जो उपबन्ध लागू हैं वे [केन्द्रीय सरकार] द्वारा या रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित किए गए भारत सरकार के सारे करेन्सी नोटों को उसी रीति से लागू होंगे मानो ऐसे करेन्सी नोट बैंक-नोट हों और इस अधिनियम में बैंक-नोटों के प्रति निर्देशों का अर्थ तदनुसार किया जाएगा।

(2) उस तारीख से ही जिससे यह अध्याय प्रवृत्त होता है [केन्द्रीय सरकार] कोई करेन्सी नोट निर्गमित नहीं करेगी।

[22 क. बैंक नोटों के डिजिटल रूप को कतिपय उपबंधों का लागू न होना- धारा 24, धारा 25, धारा 27, धारा 28, और धारा 39 में अंतर्विष्ट कोई बात बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी बैंक नोटों को लागू नहीं होगी ।]

24. नोटों का अंकित मूल्य (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए बैंक नोट दो रुपए, पांच रुपए, दस रुपए, बीस रुपए, पचास रुपए, सौ रुपए, पांच सौ रुपए, एक हजार रुपए, पांच हजार रुपए और दस हजार

रुपए या दस हजार रुपए से अनधिक ऐसे अन्य अंकित मूल्य के होंगे जो केन्द्रीय बोर्ड की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।

(2) केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय बोर्ड की सिफारिश पर यह निदेश दे सकेगी कि ऐसे अंकित मूल्य के बैंक-नोटों का, जो वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, निर्गमन न किया जाए या निर्गमन करना बन्द कर दिया जाए ।

25. बैंक-नोटों का रूप बैंक नोट ऐसे डिजाइन, रूप और सामग्री के होंगे जो केन्द्रीय बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् [केन्द्रीय सरकार] द्वारा अनुमोदित की जाए ।

26. नोट वैध निविदा होंगे (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक बैंक-नोट 2 [भारत] में किसी भी स्थान में उसमें अभिव्यक्त राशि की अदायगी में या लेखे वैध निविदा होगा और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत होगा ।

(2) केन्द्रीय बोर्ड की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि ऐसी तारीख से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो किसी अंकित मूल्य के बैंक-नोटों का कोई क्रम । [रिजर्व बैंक के ऐसे कार्यालय या अभिकरण ही या ऐसे विस्तार तक में वैध निविदा रहेगा जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है अन्यथा नहीं ।]

27. नोटों पर पुनः निर्गमन — रिजर्व बैंक ऐसे बैंक-नोटों को जो फटे हुए विरूपित या अत्यधिक मैले हैं फिर से निर्गमित नहीं करेगा ।

28. खोए गए, चोरी किए गए, विकृत या अपूर्ण नोटों का प्रत्युद्धरण 4*** किसी अधिनियमिति या विधि-नियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार या रिजर्व बैंक से भारत सरकार के किसी खोए हुए, चोरी किए गए, विकृत या अपूर्ण करेन्सी-नोट का मूल्य अधिकारेण प्रत्युद्धृत करने का हकदार नहीं होगा :

परन्तु रिजर्व बैंक केन्द्रीय सरकार] की पूर्व मंजूरी से वे परिस्थितियां जिनमें और वे शर्तें और परिसीमाएं विहित कर सकेगा, जिनके अधीन ऐसे करेन्सी-नोटों या बैंक नोटों का मूल्य अनुग्रह स्वरूप प्रतिदत्त किया जा सकेगा और इस परन्तुक के अधीन बनाए गए नियम 6*** 7 [संसद्] के पटल पर रखे जाएंगे।

39. विभिन्न प्रकार की करेन्सी देने की बाध्यता (1) रिजर्व बैंक मांग किए जाने पर बैंक नोटों और भारत सरकार के करेन्सी नोटों के विनिमय में रुपए के सिक्के देगा और जो सिक्का [सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 (2011 का 11)] के अधीन वैध निविदा है उसके विनिमय में मांग किए जाने पर करेन्सी नोट या बैंक नोट देगा ।

(2) रिजर्व बैंक [दो] रुपए या उससे ऊपर के करेन्सी नोटों या बैंक नोटों के विनिमय में कम मूल्य के बैंक-नोट या करेन्सी नोट या ऐसे अन्य सिक्के जो [सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 (2011 का 11) के अधीन वैध निविदा हैं, इतनी मात्रा में देगा जितनी रिजर्व बैंक की राय में परिचालन के लिए आवश्यक है, और [केन्द्रीय सरकार] रिजर्व बैंक को ऐसे सिक्के उसके लिए मांग होने पर देगी । यदि केन्द्रीय सरकार] किसी समय ऐसे सिक्के देने में असफल रहती है तो रिवर्ज बैंक जनता को उन्हें देने की अपनी बाध्यता से मुक्त हो जाएगा ।

कागजी मुद्रा विभाग को प्रभावित करने वाले प्रमुख परिवर्तन

1861	16 जुलाई 1861 को कागजी मुद्रा जारी करने के लिए अधिनियम 19 को स्वीकृति दी गई। इस अधिनियम के माध्यम से कागजी मुद्रा जारी करने का अधिकार केवल भारतीय सरकार को दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी एकाधिकार स्थापित हुआ। इसके साथ ही भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों की होल्डिंग पर 40 मिलियन रुपये की सीमा भी निर्धारित की गई, ताकि मुद्रा प्रणाली में स्थिरता और प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।
1862	1 मार्च को भारतीय सरकार ने कागजी मुद्रा विभाग की स्थापना की। यह विभाग सरकारी प्रतिभूतियों को रखने के लिए बनाया गया था, जिसकी अधिकतम सीमा 40 मिलियन रुपये तय की गई। **उस समय 1 रुपये का मूल्य 165 ट्रॉय ग्रेन चांदी के बराबर था।**
1871	20 जनवरी 1871को भारतीय प्रतिभूतियों की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 60 मिलियन रुपये कर दी गई।
1890	29 अगस्त 1890 को भारतीय प्रतिभूतियों की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 80 मिलियन रुपये कर दी गई।
1896	17 दिसंबर 1896 को भारतीय प्रतिभूतियों की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 100 मिलियन रुपये कर दी गई।
1898	जनवरी 1898 को दूसरे अर्ध मुद्रा बोर्ड काल की शुरुआत हुई। सरकार ने विनिमय दर 1 रुपया = 16 पेंस स्टर्लिंग (240 पेंस = £1) या 1 रुपया = 7.53344 ट्रॉय ग्रेन सोना निर्धारित की
1898	1898 में वाणिज्य एवं वित्त विभाग ने 21 जनवरी को एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की, जिसमें सरकार ने यह घोषणा की कि अब से 1 रुपया = 7.53344 ट्रॉय ग्रेन फाइन गोल्ड के आधार पर नोट जारी किए जाएंगे। इस कदम से सरकार ने अपने मुद्रा प्रबंधन को एक सुनियोजित दिशा देने का प्रयास किया। इसके साथ ही लंदन में भारत के लिए 16-5/32 पेंस प्रति रुपया की अधिकतम विनिमय दर की पेशकश की गई जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार और विनिमय प्रणाली में एक नई दिशा स्थापित करने के उद्देश्य से था।

1899	1899 में भारतीय सिक्का और कागजी मुद्रा अधिनियम 15 सितंबर को स्वीकृत हुआ। इस अधिनियम के तहत, ब्रिटिश सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में स्वीकार किया गया और 1 संप्रभु (£1) = 15 रुपये की दर पर उनका विनिमय निर्धारित किया गया।
1900	1900 में भारतीय कागजी मुद्रा अधिनियम 29 जून को स्वीकृत हुआ। इस अधिनियम के तहत, भारत सरकार को 1 सॉवरेन (£1) = 15 रुपये के मूल्य पर दो साल के लिए सोने के नोट जारी करने की अनुमति दी गई, बशर्ते ब्रिटिश सरकार इस पर सहमत हो।
1905	22 मार्च 1905 को प्रतिभूतियों की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 120 मिलियन रुपये कर दी गई, जिसमें से 20 मिलियन रुपये तक ब्रिटिश सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति दी गई।
1911	6 मार्च 1911 को प्रतिभूतियों की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 140 मिलियन रुपये कर दी गई, जिसमें से 40 मिलियन रुपये तक ब्रिटिश सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति थी।
1919	1919 में 12 अगस्त को भारत के लिए राज्य सचिव की घोषणा (यू.एस. मिंट वार्षिक रिपोर्ट, 30 जून 1920: 248) में कहा गया कि ओटावा स्थित कनाडाई टकसाल को भारत में बिना किसी सीमा के टेलीग्राफिक ट्रांसफर जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था। इसके तहत, 1 रुपया = 10.3585 बढ़िया ट्रॉय ग्रेन सोने के बराबर माना गया।
1920	5 फरवरी - सितंबर 1920 तक सरकार ने 1 रुपया = 11.30016 ट्रॉय ग्रेन फाइन गोल्ड (24 गोल्ड पेंस) की विनिमय दर स्थापित की। 24 जून को यह विनिमय दर 1 रुपया = 24 पेंस स्टर्लिंग पर आ गई। हालांकि, 28 सितंबर के बाद, चांदी की कीमत में गिरावट के कारण इस दर को छोड़ दिया गया और मुद्रा विनिमय एक चलती खूंटी (आज के प्रबंधित फ्लोट जैसा) पर वापस आ गया।
1931	21 सितंबर 1931 को ब्रिटेन ने स्वर्ण मानक त्याग दिया, और भारत ने भी इसका अनुसरण किया। इसके बाद रुपया 18 पेंस पर स्थिर रहा।
1935	1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, जिसने मुद्रा विभाग का स्थान ले लिया।

अध्याय– 16

भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना

यदि हम **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934** की प्रस्तावना का अध्ययन करें, तो स्पष्ट होता है कि इसकी स्थापना **भारतीय जनता के कल्याण के लिए नहीं**, बल्कि ब्रिटिश शासन की **आर्थिक लूट और प्रशासनिक सुविधा** के लिए की गई थी।

प्रस्तावना में कहा गया था कि:

> "भारत में मुद्रा की स्थिरता बनाए रखने, बैंक-नोटों के निर्गमन को नियंत्रित करने, और समष्टिगत रूप से देश की मौद्रिक और प्रत्यय व्यवस्था को देश के लाभार्थ चलाने के लिए एक रिज़र्व बैंक की स्थापना उचित मानी जाती है..."

यहाँ "देश के लाभार्थ" शब्द प्रयोग में लाया गया, लेकिन उस समय **भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं, बल्कि ब्रिटिश उपनिवेश** था। ऐसे में "देश" का अर्थ वास्तव में ब्रिटिश सरकार के हितों से था, न कि भारतीय जनमानस से।

अधिनियम आगे कहता है कि:

> "वर्तमान वैश्विक मुद्रा प्रणाली की अव्यवस्था के कारण, भारत के लिए स्थायी मौद्रिक आधार तय करना संभव नहीं है, इसलिए अस्थायी उपाय किए जा रहे हैं।"

यह कथन यह दर्शाता है कि **रिज़र्व बैंक की संरचना अस्थायी और लचीली** रखी गई ताकि अंग्रेज़ अपने साम्राज्यिक हितों के अनुसार मौद्रिक नीतियों में बदलाव कर सकें। भारतीयों की समृद्धि या आर्थिक स्वतंत्रता इसमें कहीं प्राथमिकता नहीं थी।

ब्रिटिश शासन में बनाए गए अधिकांश कानूनों का मूल उद्देश्य ब्रिटिश सत्ता को मजबूत करना और भारतीय संसाधनों का शोषण था। रिज़र्व बैंक भी उसी कड़ी का एक हिस्सा था।

स्वतंत्रता के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की स्थिति

1947 में भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भी **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934** को बिना किसी मूलभूत संशोधन के जारी रखा गया। रिज़र्व बैंक उसी ढांचे और संरचना में कार्य करता रहा, जो ब्रिटिश शासन के दौरान निर्धारित की गई थी।

- **RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ, लेकिन अधिनियम के मूल ढांचे में बड़े बदलाव नहीं आए।**

अध्याय– 17

OIGS

On India Government Service

यह शब्द सरकारी सेवा में कार्यरत प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति को निरूपित करता है। इसके अंतर्गत चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक, वे सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं जो किसी न किसी रूप में सरकार के अधीन सार्वजनिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं तथा जिन्हें वेतन, भत्ता अथवा अन्य सरकारी सुविधाएँ जनता के कर (Tax) से प्राप्त राजस्व से प्रदान की जाती हैं।

भारतीय न्याय संहिता (BNS)

BNS धारा 2(28): "लोक सेवक" (Public Servant) की परिभाषा



BNS की धारा 2(28) में "लोक सेवक" उस व्यक्ति को कहा गया है जो निम्न में से किसी भी वर्ग या वर्णन के अंतर्गत आता हो:

1. सेना, नौसेना या वायुसेना का प्रतिनियुक्त अधिकारी (Commissioned Officer)
2. कोई न्यायाधीश, चाहे वह खुद न्याय करने वाला हो या किसी संस्था का सदस्य हो, जो न्यायिक कार्य करता हो
3. न्यायालय का कोई अधिकारी (जैसे लिक्विडेटर, रिसीवर, कमिश्नर), जिसकी जिम्मेदारी होती है: किसी तथ्य या कानूनी मामले की जांच या रिपोर्ट करना, किसी दस्तावेज़ को बनाना, सत्यापित करना या रखना, किसी संपत्ति को संपन्न करना उपरांत प्रक्रिया करना, न्यायिक प्रक्रिया को लागू करना,शपथ ग्रहण करवाना,न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखना, या इन कर्तव्यों के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति
4. ऐसा पंच या पंचायत का सदस्य जो न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करता हो
5. वह मध्यस्थ (Arbitrator) या अन्य व्यक्ति जिसे न्यायालय या किसी सक्षम सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किसी मामले का निष्कर्ष या रिपोर्ट करने हेतु नियुक्त किया गया हो
6. वह व्यक्ति जिसके पास किसी को कैद में रखने का अधिकार है

7. वह सरकारी अधिकारी जिसका कर्तव्य है: अपराधों को रोकना,अपराधों की सूचना देना, अपराधियों को न्यायालय तक लाना, या जनता की सुरक्षा, स्वास्थ्य, या सुविधा की रक्षा करना
8. वह अधिकारी जो सरकार की ओर से कोई संपत्ति लेता, रखता या खर्च करता है, सर्वेक्षण, मूल्यांकन या अनुबंध करता है, राजस्व प्रक्रिया लागू करता है, सरकार के आर्थिक हितों से संबंधित कोई रिपोर्ट तैयार करता है, या सरकार के आर्थिक हितों से जुड़े दस्तावेज़ तैयार करता/रखता है, अथवा किसी कानून के उल्लंघन को रोकने का कर्तव्य निभाता हो
9. वह अधिकारी जिसे किसी गांव, कस्बे या ज़िले के सामान्य धार्मिक-लोक उपयोग के लिए कर या दर लगाना, सर्वेक्षण या मूल्यांकन करना, या वहां की जनता के अधिकारों के निर्धारण के लिए दस्तावेज़ बनाना/रखना जैसे कार्य सौंपे गए हों
10. वह व्यक्ति जो चुनाव संबंधी कार्य करता हो—जैसे निर्वाचन सूची तैयार, प्रकाशित, बनाए रखना या चुनाव का संचालन
11. कोई ऐसा व्यक्ति जो सरकार के सेवा में हो या वेतन-भोगी हो, अथवा कमीशन या फीस के आधार पर सरकारी सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह करता हो;

मुद्रा संबंधी प्रशासनिक पत्राचार

अनुक्रमिका	
क्रमांक संख्या	**विषय**
1	भारतीय रिजर्व बैंक, 17वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 स्थित मुद्रा प्रबंध विभाग के पास अपना वास्तविक धन प्राप्ति से संबंधित लगाया गया आवेदन
2	वास्तविक धन प्राप्ति से संबंधित आवेदन के संदर्भ में, भारतीय रिजर्व बैंक, 17वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 स्थित मुद्रा प्रबंध विभाग द्वारा प्रेषित आधिकारिक उत्तर।
3	वास्तविक धन प्राप्ति से संबंधित आवेदन के संदर्भ में, भारतीय रिजर्व बैंक, 17वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 स्थित मुद्रा प्रबंध विभाग द्वारा प्रेषित आधिकारिक उत्तर की स्थिति जानने के लिए लगाया गया RTI
4	वास्तविक धन प्राप्ति से संबंधित आवेदन के संदर्भ में, भारतीय रिजर्व बैंक, 17वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 स्थित मुद्रा प्रबंध विभाग द्वारा प्रेषित आधिकारिक उत्तर का प्रतिउत्तर
5	माननीय वित्त मंत्री के पास भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा प्रबंध विभाग से तय समय तक उत्तर प्राप्त न होने के संबंध में की गई शिकायत और उसका परिणाम तथा संबंधित RTI आवेदन
6	माननीय न्यायमूर्ति के पास भेजा गया पत्र
7	माननीय न्यायमूर्ति के पास भेजे गए पत्र के संबंध में लगाया गया RTI
8	माननीय न्यायमूर्ति के पास भेजे गए पत्र के 30 दिनों तक उत्तर न मिलने पर भेजा गया अनुस्मारक पत्र:

SUPREME COURT OF INDIA

Inward Number	Applicant Name	Action
Inward No. 19241/SCI/PIL(E)/2025	APPUN KUMAR	View
Inward No. 71040/SCI/PIL(E)/2025	APPUN KUMAR	View

प्रतिज्ञा

"नव-भारत का आह्वान"

भारत फिर से ऊँचा उठे, मिलकर ये प्रयास करें,
फिर से पाएँ खोए आदर्श, इसका कोई विधान करें।

आओ एक नव-भारत का
निर्माण करें।

जहाँ न्याय न बिके बाज़ारों में, झुके न सच दरबारों में,
आओ ऐसे भारत का निर्माण करें, जहाँ सत्ता बसे सदाचारों में।

जहाँ शिक्षा का सूरज चमके, हर मन के अंधियारे में,
जहाँ रोटी, कपड़ा, और मकान बने जन-जन का अधिकार।

जहाँ आदर हो वृद्धों का,
और उनका रहे सम्मान।

जहाँ न वृद्धों की पीड़ा शेष रहे, न रोता कोई अनाथ रहे,
संयुक्त परिवारों की छाया में, जीवन का हर श्वास रहे।

आओ एक नव-भारत का
निर्माण करें।

भारत फिर से ऊँचा उठे, मिलकर ये प्रयास करें,
फिर से पाएँ खोए आदर्श, इसका कोई विधान करें।

—अप्पुन कुमार


DHARMDEV SAH SAMAJIK KALYAN SANKALP FOUNDATION
DSSKSF
Lic. No 175140
DONATE
NOW
DHARMDEV SAH SAMAJIK
KALYAN SANKALP FOUNDATION
Scan & Donate
SUPPORT EDUCATION
SUPPORT HEALTH
PROMOTE JUSTICE
HELP THE NEEDY
BUILD A BETTER TOMORROW
DHARMDEV SAH SAMAJIK KALYAN SANKALP FOUNDATION
Every Donation
Makes a Difference

✦समापन✦

प्रिय पाठक,

आपने इस पुस्तक का अध्ययन कर अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ।

यह पुस्तक शैक्षणिक एवं जन-जागरूकता के उद्देश्य से प्रकाशित की गई है। इसमें प्रस्तुत विचार लेखक के व्यक्तिगत अध्ययन, सार्वजनिक अभिलेखों, उपलब्ध दस्तावेज़ों एवं विभिन्न स्रोतों के विश्लेषण पर आधारित हैं। इसमें निहित जानकारी का उपयोग किसी भी प्रकार की कानूनी, व्यावसायिक, या वित्तीय मामले में करने की सलाह नहीं दी जाती हैं।

पुस्तक का उद्देश्य जानकारी देना है, न कि कोई कानूनी, वित्तीय या व्यावसायिक सलाह।

लेखक **कॉपीराइट** का पूर्ण सम्मान करता है। यदि इस पुस्तक में प्रयुक्त किसी सामग्री, चित्र, दस्तावेज़ अथवा अन्य कॉपीराइट-संरक्षित सामग्री से अनजाने में किसी के अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, तो कृपया सूचित करें।

संपर्क

यदि आप इस पुस्तक से संबंधित कोई सुझाव, तथ्यात्मक संशोधन, शोध सामग्री या उपयोगी जानकारी साझा करना चाहते हैं, तो निम्न माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं—

E-mail : appunk91@gmail.com

लेखक
— **अप्पुन कुमार**

इस पुस्तक का इलेक्ट्रॉनिक रूप पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है।
यदि आप इस शोध कार्य एवं समाजसेवा को आगे बढ़ाने में सहयोग देना चाहते हैं,
तो आप **Dharmdev Sah Samajik Kalyan Sankalp Foundation**को स्वैच्छिक दान दे सकते हैं।
दान की गई राशि का उपयोग जनकल्याण एवं समाजसेवा से जुड़े कार्यों में किया जाएगा।

बैंकों का षड्यत्र



यह पुस्तक वर्ष **2024** से **2026** के दौरान लगभग दो वर्षों तक किए गए मेरे अध्ययन, शोध तथा पूर्व प्रकाशित अध्ययन सामग्री के पुनर्परीक्षण का संशोधित, परिष्कृत एवं एकीकृत संक्षिप्त संस्करण है।

इस संकलन का उद्देश्य किसी पूर्वाग्रह का समर्थन करना नहीं, बल्कि उपलब्ध दस्तावेजों एवं सार्वजनिक अभिलेखों के आधार पर विषय का व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत करना है।



लेखक
अप्पुन कुमार

Foundation
Dharmdev Sah Samajik Kalyan Sankalp Foundation

Scan to know more

ISBN
9 789359 334547

मूल्य :
₹999/-
मात्र

संपर्क | E-mail : appunk91@gmail.com